Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या १७

दिनांक, २ सितम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक प्रातः ६ बजकर ३० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, गृह, सहकारी, स्वायत्तशासन, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सम्पर्क-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री सज्जनसिंह।

कोटा डिवीजन में मक्का तथा ज्वार की फसल को हानि

१५२६. श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या उनके ध्यान में है कि कोटा डिवीजन में मक्का ज्वार की फसल को फड़के ने दुबारा बोई जाने पर भी काट दिया है ?

(ख) क्या उनके यह भी ध्यान में है कि इसके फलस्वरूप हमारे खरीफ अभियान को तथा काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को धक्का पहुंचेगा ?

(ग) यदि प्रश्न नं० १ का उत्तर हां में हो तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी स्थिति में उन्होंने इस असाधारण संकट का निराकरण करने के लिए क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(घ) क्या वे यह बताने की स्थिति में हैं कि इस संकट का उचित समाधान हो गया है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण):

(क) जी हां। कोटा व बूंदी जिलों के कुछ हिस्सों में फड़के की वजह से मक्का व ज्वार की फसल को दुबारा बोने पर काट दिया है।

(ख) जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समय पर उचित कार्यवाही की जाने से फड़के को अधिकांश रूप से नियन्त्रित कर फसल को बचा लिया गया है।

(ग) इस सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा फड़के का निराकरण करने की औषधि एवं यन्त्रों का स्थान स्थान पर पूर्ण रूप से प्रबन्ध

Page No.2

(श्री दौलतराम सारण)

कर दिया है। इसके अतिरिक्त जयपुर से डिवीजन के फील्डमैन, ग्राम सेवक और एग्रीकल्चर असिस्टेन्ट व अन्य स्टाफ काश्तकारों को औषधि देने और उनके फड़के को नष्ट करने के कार्य में मदद देने के लिये नियुक्त कर दिये थे। तहसील केशोरायपाटन व बाटुन्डा सर्किल में जहाँ फड़के का प्रकोप अधिक था वहां इसे बहु व्यापक घोषित कर औषधि निशुल्क वितरित की गई।

(घ) दवा के प्रयोग से तथा अधिक वर्षा के कारण अब फड़का करीब करीब मर गया है। जहां मौजूद है वहां पर अभी कृषि विभाग के कर्मचारी इनको नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने बताया कि ऑपरेशन्स जो जो किये गये हैं और फड़के को मार दिया गया है इसके लिये क्या आप यह बतायेंगे कि कितना रुपया खर्च हुआ इस ऑपरेशन में जिससे सदन अनुमान लगा सके कि फड़का मारा गया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : फड़के को मारने के लिये २० टन दवा कोटा में और २५ टन बूँदी में खर्च की गई और मशीनों की व्यवस्था भी की गई।

श्री श्रीभानसिंह : यह कौनसी दवा थी जो २० टन और २५ टन कोटा और बूँदी में फड़का मारने के लिये भेजी गई ?

श्री दौलतराम सारण : यह डी. एस. जी. पाउडर होता है।

श्री सज्जनसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसका अभिप्राय यह है कि कोटा, बूँदी और झालावाड़ में फसलों को नुकसान नहीं हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा है कि नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं ऐसा कि नहीं हुआ है। हमारी खरीफ को नुकसान पहुंचा है। मैंने कहा है कि थोड़ा पहुंचा है। आपने पूछा है कि इसके फलस्वरूप हमारे खरीफ अभियान को तथा काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को बड़ा धक्का पहुंचेगा, मैंने कहा है कि थोड़ा पहुंचेगा।

श्री सज्जनसिंह : क्या यह समझा जावे कि आम तौर पर फड़के से नुकसान नहीं हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : जहां पर फड़का नहीं है वहां पर नुकसान नहीं हुआ है और जहां फड़का हुआ है वहां दुबारा बोने की जरूरत पड़ी।

श्री सज्जनसिंह: जब मैंने निवेदन किया कि कोटा जिले में ऐसी स्थिति है कि मक्का व ज्वार की फसल को फड़के ने दुबारा बोई जाने पर भी काट दिया है, इसका उत्तर आपने नहीं दिया है।

श्री दौलतराम सारण : जहां से शिकायत आई वहां काम किया है।

श्री श्रीभानसिंह : कहां कहां से शिकायतें आई और कहां कहां यह कार्य किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया, आपने प्रश्न में जो पूछा है कि कोटा

Page No.3

(श्री दौलतराम सारण)

डिवीजन में मक्का व ज्वार की फसल को फड़के ने दुबारा बोई जाने पर भी काट दिया है, इसका उत्तर मैंने दिया है कि कोटा व बूँदी जिलों में कुछ हिस्सों में फड़के की वजह से मक्का व ज्वार की फसल को दुबारा बोने पर काट किया है।

श्री श्रीभानसिंह : वे हिस्से कौन से हैं ? आपने कहा है कि कुछ हिस्से, वे हिस्से कौन कौन से हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जहां फड़का हुआ है। यह गांव की डिटेल्स मेरे पास नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : आपने बताया है कि कोटा व बूँदी के कुछ हिस्सों में तो आप बतावेंगे, कौनसी तहसीलों में नोर्थ, ईस्ट वेस्ट या साउथ, कहां पर फड़के से नुकसान हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : आपने जो प्रश्न पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया है। तहसील व गांव की डिटेल्स इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : जब आपने अपने जवाब में बताया है कि कोटा डिवीजन व बूँदी के कुछ हिस्सों में, तो कौन से हिस्सों में यह तो आपको बताना चाहिये ।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मैं यह निवेदन करूंगा कि तहसील केशोरायपाटन जिला बूँदी व दीगोद, बड़ोद, जिला कोटा।

श्री श्रीभानसिंह : एक खेत पर है या निश्चित क्षेत्र में है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको जानकारी दी है ये दो तहसीलें कोटा में हैं और दो तहसीलें बूँदी में है। यों तो फड़का सारे राजस्थान में ही है।

श्री श्रीभानसिंह : I think it is very irresponsible सारे राजस्थान में है, क्या मतलब...
आपने कहा कि 'फड़का सारे राजस्थान में है ?' उनको रोकने के लिए सरकार क्या ऑपरेशन कर रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो फड़के को मारने के लिए पाउडर है वह सभी जिलों में जहां जहां पर ब्लॉक्स हैं उनकी मारफत और जहां पर ब्लॉक्स नहीं हैं वहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के जरिये भेज दिया गया। कोटा में २० जुलाई को और बूंदी में २७ जुलाई को भेजा गया। वहां पर मशीन भेजी। आपने पूछा उसका हवाला दिया है

प्रश्न संख्या ५२७

श्री उपध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री संपतराज जैन ।

श्री सागरमल महाजन, निवासी आवर, तहसील डग के चोरी

५२८. श्री संपतराज जैन (अकलेरा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

Page No.4

(श्री संपतराज जैन)

(१) क्या श्री सागरमल महाजन, निवासी आवर, तहसील के घर में २ वर्ष पहले उसकी अनुपस्थिति में चोरी हुई थी? यदि हां, तो कितना माल चोरी गया?

(२) क्या श्री सागरमल ने तत्कालीन सब-इन्सपेक्टर पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त दी थी कि सब-इन्सपेक्टर ने चोरी के माल पर बेचान के दस्तखत कराने के लिए उसके साथ मारपीट की?

(३) क्या उक्त सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ पहले भी शिकायत आई है?

(४) क्या इस मामले में चोरी का माल खरीदनेवाले स्वर्णकार कोर्ट से दंडित हो चुके हैं, लेकिन असली चोर को मालूम करने और उसे दंड दिलाने में पुलिस असफल रही है?

(५) क्या श्री सागरमल को मारने, पीटने के बाद भी जब उक्त सब-इन्सपेक्टर पुलिस सुनारों की बहियों में श्री सागरमल के हस्ताक्षर कराने में असफल रहा तो उसने सुनारों की बहियों में श्री सागरमल के जाली दस्तखत असली अपराधी व चोरी का माल खरीदनेवालों को बचाने के लिए बनवाये?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास):

(१) जी हां।

(२) जेवरात सोने, चांदी के कीमत ८६४ रुपये चोरी जाने की रिपोर्ट कराई गई है।

(३) थानेदार श्री हामिद अली, एस. एच. ओ. आवर ने इस मुकदमे की तफतीश को

अदम वकूवे में खत्म किया जिस पर मुस्तगीस से सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जिला को निवेदन किया जिस पर उन्होंने सर्कल इन्सपेक्टर को मुकदमे की तफतीश करने का आदेश दिया। थानेदार श्री गुलाबसिंह की सहायता द्वारा दुबारा जांच का आदेश दिया। मुस्तगीस ने यह आरोप लगाया है कि थानेदार श्री हामिद अली ने इस मुकदमे के अभियुक्तों से हाथ मिलाया, मगर सरेदस्त इस किस्म का कोई सबूत नहीं पाया गया जो इन आरोपों को साबित कर सकें। मगर फिर भी थानेदार श्री हामिद अली के विरुद्ध नियमित जांच करने के लिए दरखास्त तफतीश मुकदमा हो रही है।

(४) इस दरख्वास्त में जो एस. पी. जिला को दी गई है, श्री सागरमल ने यह कहा है कि थानेदार ने उसको मारा तथा यह भी कहा कि वह इस बात को स्वीकार करे कि उसने वे जेवरात श्री भगवानसिंह को दे दिये हैं। लेकिन उसने यह नहीं कहा है कि थानेदार ने जबरदस्ती की कि वह जेवरात बेचने के सिलसिले में दस्तखत करे और यह भी कहा कि वह रात को थाने से भाग गया।

(५) थानेदार को कोई सजा नहीं दी गई है फिर भी उसके विरुद्ध नियमित जांच हो रही है। ऐसा कोई रेकार्ड नहीं है जिससे यह मालूम हो कि उसके खिलाफ पहले भी इस किस्म की कोई शिकायतें आई थीं।

(६) श्री सागरमल के कोई माता-पिता नहीं हैं। यह मालूम नहीं है कि आजकल वह अपनी जीविका किस प्रकार पैदा कर रहा है।

(७) श्री जगन्नाथ व श्री बसन्तीलाल सुनार को क्रमशः धारा ४६७ व ४११, ४१५

Page No.5

(श्री रामकिशोर व्यास)

आई. पी. सी. के तहत मुंसिफ मजिस्ट्रेट, भवानी मंडी द्वारा सजा दी जा चुकी है। खास अभियुक्त श्री भगवानसिंह का चालान धारा ४५६, ३८० आई. पी. सी. के अन्तर्गत किया गया था मगर अदालत ने सबूत न होने के कारण उसे खारिज कर दिया।

(८) श्री जगन्नाथ सुनार, जिसकी बही में सागरमल के जाली दस्तखत पाये गये थे, को धारा ४६७ आई. पी. सी. के अन्तर्गत सजा हो गई है। मगर रेकॉर्ड पर इस प्रकार की कोई चीज नहीं है जिससे यह मालूम हो सके कि थानेदार ने ये जाली दस्तखत करवाने का इन्तजाम किया था।

(९) एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि हस्ताक्षर श्री सागरमल के नहीं थे।

(१०) कोर्ट ने पहले ही बरामद माल फरियादी को लौटाने के लिए अपील का समय समाप्त होने पर देने की आज्ञा दे दी है। मुलजिम ने अपील की है और वह जेर तजवीज है।

श्री सम्पतराज जैन : इस चोरी की रिपोर्ट पुलिस में किस तारीख को दर्ज हुई थी?

श्री रामकिशोर व्यास : २-२-५७ को।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : रिपोर्ट के कितने दिन बाद चालान हुआ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसका चालान भी हो गया और सजा भी हो गई।

श्री सम्पतराज जैन : प्रश्न यह है कि सबइन्सपेक्टर श्री आबिदअली ने इस मामले की जांच कितने दिन बाद शुरू की?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री सम्पतराज जैन : जब श्री सागरमल ने आई० जी० पी० को दरख्वास्त दी उस पर दूसरे सब-इन्सपेक्टर को इस जांच के लिए मुकर्रर किया गया?

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब में भी मैंने यही कहा है।

श्री सम्पतराज जैन : वह काम श्री आबिदअली को न देना, क्या उसमें अविश्वास था?

श्री रामकिशोर व्यास : कम्पलेनेन्ट ने यह शिकायत की कि दूसरे आदमी को इसके लिये अपोइन्ट किया जाय इसलिए कर दिया गया।

प्रश्न संख्या ५२६

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५३०

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५३१

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५३२

Page No.6

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

बुनकर सहकारी समिति, बूँदी का चुनाव

५३३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) बुनकर सहकारी समिति, नम्बर १०७१, बूंदी का चुनाव कब हुआ ?

(ख) क्या नये निर्वाचित लोगों को चार्ज दे दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उप मन्त्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (१) दिनांक २०-१२-५७ को ।

(२) जी हां । अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : चार्ज कब दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण: ३१-३-५८को ।

श्री मुरलीधर व्यास : चुनाव कब हुआ था ?

श्री दौलतराम सारण: २०-१२-५७को ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तीन महीने बाद चार्ज क्यों दिया गया ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई थी । पहले जो चुनाव हुआ वह गलत हुआ था दूसरा चुनाव सही हुआ । इस चार्ज देने के बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री मुरलीधर व्यास : चुनाव के बाद भी चार्ज देने में लम्बा समय क्यों लगाया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : न्यूली इलेक्टेड सहकारी समिति पुरानी सहकारी समिति से चार्ज लेती है । यह तो समितियों के आपस में करने का काम था । चार्ज दे दिया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने इस बारे में जांच तो की होगी कि इतनी देरी से चार्ज क्यों दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी की शिकायत हो तो जांच का सवाल पैदा होता है । एक वर्किंग कमेटी काम कर रही थी । दूसरी आई पहले वाली भी इलेक्टेड थी और दूसरी भी । वैसी हालत में जब कोई शिकायत हमारे पास न आये हम किस तरह से जांच करवा सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : इलेक्टेड बॉडी के लिए भी तो नियम होते हैं । कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कितने कितने अरसे बाद चार्ज दे देना चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें नियम की अवहेलना नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५३४

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

पशु प्रजनन केन्द्र बस्सी में १० हजार रुपये के दाने की बरामदगी

५३५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि हाल ही में मार्च, ५६ में पशु प्रजनन केन्द्र, बस्सी में १० हजार रुपये का दाना सी० आई० डी० पुलिस ने बरामद किया?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): यह असत्य है।

श्री मुरलीधर व्यास: क्या यह बात सही है कि बस्सी पशुप्रजनन केन्द्र में से २५३ बोरी दाना गया, इस प्रकार की कोई शिकायत की गई?

श्री दौलतराम सारण: बस्सी फार्म से नहीं बल्कि श्री गैंदा जमादार के मकान से गया, इस प्रकार की शिकायत की गई थी।

श्री मुरलीधर व्यास: इस प्रकार की शिकायत के कारण माननीय मुख्य मन्त्री ने यह बात कही थी कि इस बात की जांच स्पेशल सी० आई० डी० द्वारा करवाई जायेगी।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): यह तो हम मानते हैं, शिकायत आयी है और उसकी जांच भी करवाई गई लेकिन वह शिकायत बस्सी फार्म से दाना जाने की नहीं थी बल्कि किसी प्राइवेट आदमी के मकान से जाने की शिकायत थी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): क्या यह सही है कि २३ फरवरी, १९५९ को चीफ मिनिस्टर महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि बस्सी फार्म से जो २५५ बोरी दाना जाने की शिकायत है उसको सीज करने के लिये सी० आई० डी० पुलिस को कहा गया है और सी० आई० डी० ने वह सीज भी किया है श्री गैंदा जमादार के पास?

श्री नाथराम मिर्धा: यह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि कुछ दाने की बोरियां श्री गैंदा जमादर के मकान से बरामद हुई हैं।

श्री पी० के० चौधरी: क्या यह सही है कि यह दाना जो है उसको बस्सी फार्म से २१, २२ फरवरी की रात को किसी ट्रेक्टर द्वारा शिफ्ट किया गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी: क्या यह बात सही नहीं है कि जो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी इन्सटीटयूट की गई थी उसमें इन्क्वायरी ऑफिसर ने इस बात की रिपोर्ट दी है कि फार्म के ट्रेक्टर द्वारा उन बोरियों को स्टोर से श्री गैंदा के घर में शिफ्ट किया गया और ट्रेक्टर को अनलाइसेन्स्ड ड्राईवर द्वारा डाईव कराया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा: बात यह थी कि शिकायत यह की गई थी कि फार्म का दाना

Page No.8

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चोरी करके बाहर बेचा जा रहा है। हमने इसकी जाँच करवाई। उस जांच में यह कि वह जो दाना था किसी प्राइवेट मकान में मिला। वह किसी ठेकेदार का दाना था, फार्म का दाना नहीं था। उसीको हमने वेरीफाई कर लिया। वहां जितना दाना आया वह सब जानवरों को दे दिया गया।

श्री पी० के० चौधरी : क्या ठेकेदार का दाना फार्म के स्टोर में रहता है?

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दाना है यह सरकारी फार्म में मिला न कि श्री गेंदा जमादार के घर में?

श्री नाथूराम मिर्धा : श्री गेंदा जमादार के घर में मिला है।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सी० आई० डी० की इस प्रकार की रिपोर्ट है कि यह दाना फार्म से श्री गेंदा जमादार के घर लेजाया गया था और वह भी सरकारी ट्रेक्टर द्वारा और उस सरकारी ट्रेक्टर को डाईव करने वाला अनलाइसेन्स्ड डाईवर था उसके द्वारा वहाँ पर ले जाया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्क्वायरी करने के बाद ही जवाब दिया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या एक जमादार के घर में इतना १०,०००) रु० का दाना मिल सकता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेकेदार ने उसके घर में स्टोर कर रखा था।

श्री श्रीभानसिंह : ऐसा कौन सा ठेकेदार है जो दस हजार का दाना लेकर वहीं स्टोर कर रखा हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेकेदार का नाम तो पता नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : जब दाना ठेकेदार का था तो सरकारी ट्रेक्टर द्वारा वहाँ क्यों ले जाया गया था?

श्री नाथूराममिर्धा : आप ट्रेक्टर के बारे में और ठेकेदार के बारे में ही जानना चाहते थे तो आपको सीधा सवाल पूछना चाहिये था। मैं उसका जवाब दे देता। इन्क्वायरी का जो नेट रिजल्ट निकला है वह मैंने आपके सामने रख दिया कि फार्म के दाने का कोई गबन नहीं था अब वह किस टेक्टर में लेजाया गया, क्या वह सरकारी ट्रेक्टर था या दूसरा, इस बारे में आप अलग से सवाल पूछ सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि २२५ बेग्ज ग्रेन २१ और २२ की रात को फार्म के स्टोर से किसी ठेकेदार द्वारा शिफ्ट नहीं किया गया? Whether these bags of grain were shifted from the farm to house of Jamadar?

श्री श्रीभानसिंह : आखिर आपने इन्क्वायरी करवाई है उस इन्क्वायरी की रिपोर्ट आपके पास जरूर होगी। क्या आप उस रिपोर्ट के आधार पर यह नहीं बता सकते कि वह दाना किस ठेकेदार का था और वह स्टोर में था या नहीं, इसको तो आप बता सकते हैं ताकि सदन को मालूम पड़ जाय आखिर १०,०००) रु० का दाना श्री गेंदा जमादार का तो हो नहीं सकता?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जैसा कि आपको पहले कहा वह दाना ठेकेदार का था और वह श्री गेंदा जमादार के घर में था। अब मैं यह नहीं कह सकता कि वह कहां से लाया गया, कैसे लाया गया और किसने लाकर वहां स्टोर किया?

Page No.9

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो सिर्फ उस ठेकेदार का नाम जानना चाहता हूँ जिस ठेकेदार के पास १०,०००) रु० का दाना रह सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेकेदार का नाम तो पता नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : It is very vague answer Sir. The question was specific that there was misappropriation of Rs. 10,000 worth of grains. Enquiry has been instituted and foodgraints have been freezed and after that the Hon'ble Minister says that the food grains belong to a contractor, Sri Gainda Jsmadar is not contractor. He is an employee of the farm.

श्री उपाध्यक्ष : He has already explaind that it belongs to the contractor. The name of the contractor he does not know.

श्री पी० के० चौधरी : It is found in the house of an employee of the farm.

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेकेदार किसी भी प्राइवेट मकान में अपना धान स्टोर कर सकता है।

He may be an employee or anything, but he could have charged certainrent for the storage of grain in his house. It does not mean that the grain was stolen from the farm. What I say is that there was no theft from the farm. This is clear.

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed enough supplementaries.

श्री पी० के० चौधरी : If the Hon'ble Minister can get away with that sort of bad reply, when the question was specific...

श्री उपाध्यक्ष : Order please. Another question.

श्री श्रीभानसिंह : मैं इससे नहीं कहता। दूसरा प्रश्न कॉल कर लिया पर ऑनरेबल मिनिस्टर ने यह कहा—

This is after due enquriy that the Hon'ble Minister is replylng to question in the House.

इन्क्वायरी कन्डक्ट करने बाद प्रश्न का उत्तर दिया जाता हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी करने वाले ने अपनी रिपोर्ट में कम से कम यह तो लिखा होगा कि अमुक ठेकेदार का अनाज वहाँ पर स्टोर था। जब इन्क्वायरी की अफसर ने तो क्या नाम बता नहीं सकते उस ठेकेदार का ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes Mr. Sribhan. Singh, the only question is that he does not know the name of the contractor.

श्री श्रीभानसिंह : He must have. He should lay a copy of report on the table of the House.

श्री नाथूराम मिर्धा : The question does not require that a copy of the report be laid on the table of House.

Page No.10

श्री श्रीभानसिंह : The question does require—ठेकेदार का नाम क्या है ? I feel the Enquiry Officer has mis-reported to the House.

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग से सवाल पूछ लें। ठेकेदार का नाम पूछ कर मैं और बता दूँगा। इसमें क्या बात है ?

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार के मुख्य मंत्री ने आदेश दिया। उस आधार पर सी० आई० डी० की तरफ से जांच कराई गई। उस ऑर्डर के लैटर को मैं सदन के सम्मुख प्रोड्यूस करता हूँ। इसमें जिक्र है वहां पर किस प्रकार ठेकेदार पकड़ा गया, इसके बाद में माल वहां पहुँचाया गया और इसके बाद में भी दूसरे दूसरे इस ऑफिस के अफसरों ने इन्क्वायरी की है, और रिपोर्ट में लिखा है कि ठेकेदार सरकारी था और मौके पर धान मिला।

लैटर नम्बर सच एण्ड सच प्रोड्यूस करता हूँ। मैं इन्क्वायरी कराना चाहता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : The letter must be read in the House. I will request the Hon'ble Member to read it.

श्री उपाध्यक्ष : Is it a copy ?

श्री मुरलीधर व्यास : Yes.

श्री नाथूराम मिर्धा : पत्र के जरिये इन्क्वायरी तो हुई है और इन्क्वारी के रिजल्ट के आधार पर मैं जबाब दे रहा हूं। मैं कब कहता हूं कि यह नहीं लिखा गया ?

श्री मुरलीधर : "I had reached Bassi at about 10 O'clock by bus and no sooner I got down at the farm gate, I was received by the officials of the C. I. D. Police who had come for conducting some enquiry at the farm under orders of the Chief Minister with effect from 23. 2. 59. and freezed 254 bags of ration which is said to have been transferred from the farm store to the house of Gainda Jamadar of the farm on the night between 21st and 22nd February, 1959. It is understood that this shifting was done because some audit party was expected to come for checking."

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, this is a report after all. It is the basis of the enquiry and then the enquiry, made and the results thereof have been communicated by the Hon'ble Minister.

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी रिपोर्ट इसके बाद में है। इसमें साफ कहा गया है कि यह जो ट्रेक्टर था यह सरकारी था और सरकारी ट्रेक्टर में माल वहां से वहां पर ले जाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : I want to know whether this is the conclusion of the enquiry or a report only ?

श्री मुरलीधर व्यास : It is a report.

श्री उपाध्यक्ष : Then the report is the basis of enquiry. The enquiry made subsequently and the result of it has been informed by the Hon'ble Minister.

I take another question.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं इस मामले में मन्त्री महोदय जुडीशियल इन्क्वायरी करावें। आखिर जवाब भी दें तो जवाब तो ऐसा मिलना चाहिये कि जिससे सन्तोष हो। माल कॉन्टेक्टर का है तो क्या वह सरकारी ट्रेक्टर में जावे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

श्री पी० के० चौधरी : Half an hour discussion may be allowed on this.

श्री उपाध्यक्ष : I have called the House to order. I have taken another question.

श्री श्रीभानसिंह: दूसरा प्रश्न ले लिया पर इसमें यह है', ५६ में एवीडेन्स में देखिये, जिस ठेकेदार ने दस हजार का माल जमा रक्खा है उसके पास कम से कम फूड ग्रेन का लाइसेन्स तो होना चाहिये था। He should have declared his stock that this is my stock and it is declared, वह जब कि इन्क्वायरी कन्डक्ट की तो इन्क्वायरी इन्सपेक्टर ने नाम चैक किया होगा। तो ये दोनों चीजें टैली होती हैं या नहीं ! तभी तो ठेकेदार का नाम नहीं बताया जाता क्योंकि it is a case of 1959.

प्रश्न संख्या ५३६

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५३७

श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५३८

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास : इतना अगर मामला है तो मैं प्रस्ताव करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी की जावे। इसका मतलब क्या निकलता है ?

प्रश्न संख्या ५३६

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

मुख्य मन्त्री (श्रीमोहनलाल सुखाड़िया) : जुडीशियल एन्क्वायरी किसकी ?

इन्क्वायरी तो की है हमने। २५४ बोरी पकड़ी गई। डिटेल्ड इन्क्वायरी पुलिस ने की है उसकी। वहाँ वालों ने, सी० आई० डी० वालों ने जांच की है। रिपोर्ट दी है सरकार को। रिपोर्ट के बाबत अगर प्रश्न पूछें तो उसकी डिटेल फरनिश की जा सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : यह मामला पेचीदा है। इसके लिये half an Hour Discussion रखा जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा : डिस्कशन कर लेंगे। ऐसी क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

Page No.12

नगरपालिका, मनोहरपुर का चुनाव

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Local Self Minister be pleased to state—

(a) When did the election of Manoharpur Municipal Board, Tehsil Bairath take place ?

(b) Is it correct that Collector, Jaipur recommended four names to the Government to nominate any two from amongst them to the Municipal Board? If so, what are those names ?

(c) Is it correct that the Government has nominated two persons on the Board whose names do not appear on the panel of names submitted by the Collector for the purpose ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (a) 3.10.1958.

(b) The Collector Jaipur recommended the following 7 names:—

1. Shrimati Ghisi Devi,
2. Shrimati Manbhar Dakot.
3. Shrimati Nathi.
4. Shrimati Ghisi Balai.
5. Shri Amra Bunkar.
6. Shri Bhura Regar.
7. Shri Deepa Regar.

(c) No. Government nominated only one name, Shri Dhanna Khatik whose name did not appear on the list sent by the Collector. The other name Shrimati Manbhar Dakot nominated by the Government is on the Collector's list.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि गवर्नमेंट ने जो दो आदमी नोमिनेट किये गे उनमें एक शिड्यूल कास्ट का न होने से नोमिनेशन कैंसिल करना पड़ा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मनोहरपुर की ?

श्री पी० के० चौधरी : जी हां।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : No.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही नहीं है कि जो कलेक्टर ने नाम भेजे थे उनमें से नोमिनेट नहीं करके दूसरे किसी आदमी का नाम नोमिनेट किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जवाब दिया है इसका उपाध्यक्ष महोदय, एक नाम जो पब्लिक की तरफ से हरिजनों के डेपुटेशन ने जो दिया था उसको किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : पब्लिक की तरफ से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां। हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन लेकर एक डेपुटेशन आया था। उन्होंने कहा कि कलेक्टर की रिपोर्ट कम्पलीट नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : पब्लिक की तरफ से कौन आया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिप्रेजेन्टेटिव्ज आये थे। पब्लिक के आदमी।

Page No.13

श्री पी० के० चौधरी : यह प्रोसीजर दूसरी जगह भी एडोप्ट करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर इस तरह की शिकायत होती है कि सारे नाम शामिल नहीं किए। एक कलेक्टर ने कभी दो हरिजनों के ही नाम भेज दिये तो कभी दो महिलाओं के नाम भेज दिए। इस तरह जब करते हैं और इस तरह की शिकायत आती है और सभी पार्टियों के आदमी आते हैं और कहते हैं तो वहां सरकार अपनी तरफ से कार्यवाही करती है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि कलेक्टर की सिफारिश भी नहीं किए हुए और जो म्युनिसिपेलिटी की बिगेस्ट ग्रुप का लीडर था उसकी तरफ से नाम भेजा गया था उसको भी नहीं लिया गया ? उस आदमी के भेजे हुए नाम को लिया गया जो म्युनिसिपल चुनाव में भी हार गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी ने रिप्रेजेन्ट नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। डॉ० बहादुरसिंह

सहकारी विभाग के एग्जीक्यूटिव इन्सपेक्टर की उदयपुर के लैण्ड मोरगेज बैंक के सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति तथा अन्य ममले

५४१. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : Will the Minister for Co-operation be pleased to state :

1. Is it a fact that one junior-most Inspector (Executive) of the Co-operative Department has been posted as Supervisor, Land Mortgage Bank, Udaipur (jurisdiction Rajsamand, Relmagra Tehsil) whereas the post attracted the chances of many senior persons ?

2. Is it a fact that the Inspectors, Audit are generally given chances in Banks and the appointment is an exception to the general rules ?

3. Was there any other officer who was recommended for giving the chance as Manager of the Central Co-operative Bank from Udaipur District ?

4. Were there some complaints made against this officer posted in Rajasamand ? If so, by whom and in what connection ?

5. Whether Shri Nathoo Singh, a quite junior person of the Department has been posted as Audit Assistant, Udaipur, as against a Senior Officer who has been removed? If so, why ?

6. Is it a fact that the Assistant Registrar, Udaipur has constantly recommended to allow senior officer to continue as Audit Assistant to the Deputy Registrar, Kotah ?

7. Is it a fact that an incapable person and whose services have already been terminated, has been made an Instructor of District Co-operative Institute, whereas in other institutes, Inspectors have been deputed ?

8. Is it the intention of the Government that efficient and capable

Page No.14

(डॉ० बहादुरसिंह)

Auditors should be given chance of Assistant Registrars ?

उप मन्त्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हाँ। श्री हरिप्रसाद यादव, एम. एल. ए. द्वारा बाबत गबन रकम सहकारी समिति।

(ङ) जी हां। उस स्थान के योग्य होने के कारण।

(च) जी नहीं, केवल एक ही बार सिफारिश की थी।

(छ) जी नहीं।

(ज) जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : जुनियर इन्सपेक्टर से कितने लोग सीनियर थे ?

श्री दौलतराम सारण : जुनियर, सीनियर होने का सवाल नहीं है, न तनख्वाह कम होने का ही सवाल है।

डॉ० बहादुरसिंह : आपने कहा 'जी हां'। प्रश्न यह था कि जो जुनियर इन्सपेक्टर था उसको लैंड मोरगेज का सुपरवाइजर बनाया तो उससे कितने सीनियर लोग रह गये थे जिनको कि नहीं बनाया गया ?

श्री दौलतराम सारण : यह इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : उत्तर दे रहे हैं और आप कहते हैं कि लिस्ट नहीं तो इसके लिए फिर दूसरी तारीख निश्चित कर ली जाय।

श्री दौलतराम सारण : आप कौन से 'जी हां' के बारे में पूछ रहे हैं, 'जी हां' तो मैंने कई जगह कहा है।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : मैं पहले 'जी हां' के बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा है कि 'Is it a fact that one Junior most Inspector (Executive) of the Co-operative Department has been posted as Supervisor, Land Mortgage Bank, Udaipur (Jurisdiction Rajsamand, Relmagra Tehsil) whereas the post attracted the chances of, many superior person ?

मैंने कहा 'जी हाँ'।

श्री उपाध्यक्ष : The other question is of seniority.

डॉ० बहादुरसिंह : श्री हरिप्रसाद यादव ने शिकायत किसके सम्बन्ध में की थी ?

श्री दौलतराम सारण : सन् '५८ में श्री हरिप्रसाद यादव, एम० एल० ए० (वल्लभनगर—सु) ने श्री बंशीलाल के विरुद्ध शिकायत की थी और जाँच होने पर वह निराधार पाई गई।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इसी पुरस्कार में ट्रान्सफर किया गया था ?

Page No.15

श्री दौलतराम सारण : पुरस्कार का इसमें कोई सवाल नहीं है। यह तो विभागीय ट्रान्सफर है। यदि शिकायतें सच्ची पाई जाती हैं तो सख्त कार्यवाही की जाती है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या विभागीय जांच करने के पहले इस मामले को एन्टी करप्शन में भेज दिया गया था?

श्री दौलतराम सारण : इसकी विभागिय जांच ही कराई गई थी।

श्री श्रीभानसिंह : इस तरह की शिकायतें जब कि कोई एक एम० एल० ए० करता है तो उसको एन्टी-करप्शन में जाँच के लिए क्यों नहीं भेजते?

श्री दौलतराम सारण : जब विभागीय जाँच पर शिकायत सही साबित होती है तो उसको एन्टी-करप्शन के पास भेजते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : मैं इनको कन्ट्राडिक्ट करूंगा कि जब कि एक एम० एल० ए० ने किसी आधार पर शिकायत की तो एन्टी-करप्शन से उस शिकायत की जांच न करवा कर विभागीय जांच के लिए ही क्यों रखा जाता है?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आपके कहने से नहीं बन जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order.

श्री श्रीभानसिंह : आपके कहने से भी नहीं बन जाता।

श्री नाथूराम मिर्धा : It is not necessary that every complaint should go to the Anti-Corruption Department.

श्री श्रीभानसिंह : Was it not a complaint against the officer.

श्री उपाध्यक्ष : Question No. 542.

श्री नाथूराम मिर्धा : Whatever the complaints were, they have been enquired.

श्री श्रीभानसिंह : Is it not under the normal course that such complaints should go to the Anti-Corruption Department?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Kishnaram.

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब लिखित में किसी एम. एल. ए. की ओर से कम्पलेन्ट आती है तो उसको एन्टी-करप्शन विभाग में जांच के लिये भेजना चाहिए न कि उसकी इस तरह से विभागीय जांच कराई जाय। इसलिए इस प्रकार की शिकायत को एन्टीकरप्शन में नहीं भेजा गया?

श्री उपाध्यक्ष : He has already replied that even on the preliminary enquiry the complaint was found baseless.

श्री श्रीभानसिंह: It was a written complaint submitted by an Hon'ble Member of this House (Shri Hari Prasad Yadav) that a particular man is corrupt and charges were levelled against him. Why did not the Government think it proper to entrust the case to the Anti-Corruption Deptt.?

श्री उपाध्यक्ष : The question has been replied.

डॉ बहादुरसिंह : एक प्रश्न इसमें है कि जब इन्सपेक्टर बिला कसूर था तो उसको दंड क्यों दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दंड कुछ भी नहीं दिया गया।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : क्या माननीय सदस्य (श्री हरिप्रसाद यादव) को इत्तला कर दी गई थी कि शिकायत की जांच की जा रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको इत्तला थी।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य शिकायत के सम्बन्ध में अपने एविडेन्स दें उसके लिए क्या उनको सूचना दी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कार्यवाही की जानी चाहिए, की गई।

श्री श्रीभानसिंह : Did he inform the Hon'ble Member of the Legislative. Assembly ?

कम्पलेन्ट की उसकी फलां तारीख को एविडेन्स होगी, तो क्या उन्होंने एविडेन्स देनी चाही थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एविडेन्स देनी थी, कहा भी था और जो सुनना था सुना और सुनाना था वह भी सुनाया, उनको पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया...

श्री श्रीभानसिंह : आपने नोटिस दिया...

श्री उपाध्यक्ष : Well I have taken the other question.

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्टरी की...

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed too many supplementaries on this question. I am to look to the convenience of the other Hon'ble Members and there are so many questions.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इन्क्वायरी भी कोई तरीके से होती है।

श्री श्रीभानसिंह : कल मैं कोई कम्पलेन्ट करता हूँ। गवर्नमेन्ट यह डिसाइड नहीं करती है, एन्टीकरप्शन को नहीं देती है। डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी है वह साइड है, वह आरबिट्रेरी अनुकॉल्ड फार और अनजस्टिफाइड है डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करते हैं तो जो आदमी कम्पलेन्ट करता है उसको पूछा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister has rightly grasped the issue and he has given a reply to the extent to which he got from the department...

श्री श्रीभानसिंह : The Department has no right to...

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any more supplementaries on this issuenow.

प्रश्न संख्या ५४२

श्री किसनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, फिर किसी एक एम० एल० ए० के लिए कह दिया जाय जब कि उनको इन्क्वायरी में एसोशियेट नहीं किया गया...

Page No.17

प्रश्न संख्या ५४३

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर में पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की जांच की रिपोर्ट

५४४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बीकानेर में पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा होने वाले दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ के जाँच अधिकारी श्री नारायण चतुर्वेदी ने कोई रिपोर्ट सरकार को दी है ?

(२) सरकार ने उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हाँ।

(२) सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जाँच की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : उस रिपोर्ट में इस प्रकार की बात कही गई थी कि पत्रकारों के साथ में पुलिस के आदमियों ने ज्यादती की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों के खिलाफ ही लिखा है। पत्रकारों और गवर्नमेंट के खिलाफ भी।

श्री मुरलीधर व्यास : दोनों के खिलाफ लिखा है, ऐसा कहा तो क्या पुलिस ने ज्यादती की है इसके सम्बन्ध में क्या पुलिस के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यदि श्री चतुर्वेदीजी से मतलब है तो उन्होंने दोनों के खिलाफ लिखा है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध इतना है कि पुलिस के अधिकारियों ने पत्रकारों के हथकड़ी लगाई और ज्यादती की, उसके लिए पूछ रहा हूं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हाँ, दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : कब से चल रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : तब ही से चल रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसको काफी लम्बा समय हो गया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कब से चल रही है और उसमें क्या प्रोग्रेस है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोगजी भाई।

श्री मूलचन्द डागा : इसका जवाब दिलाया जाय कि क्या प्रोग्रेस हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोग्रेस यही है कि शहादतें वगैरहा लिखी जारही हैं।

Page No.18

श्री मूलचन्द डागा : कितनी हो गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूँ कि कोई डेफिनेट रिप्लाई दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Can you inform the House of the progress made ?

श्री रामकिशोर व्यास : Decision is being recorded. This is the progress of the enquiry.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोगजी भाई।

कुशलगढ़-बांसवाड़ा सड़क निर्माण

५४५. श्री मोगजी भाई (बाँसवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) बासवांड़ा जिले के कुशलगढ़ से बांसवाड़ा जंक्शन जालोर सड़क का निर्माण कार्य कब से चालू है ? किस किस ठेकेदार को निर्माण कार्य दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) वर्ष १६५३-५४ से। निम्न ठेकेदारों को:-

१. मेसर्स दिलीपसिंह जीतसिंह,

२. मेसर्स मदनमोहन गोयल,

३. मेसर्स ओ३म् कार्यालय।

(२) योजनानुसार कार्य चालू है।

श्री मोगजी भाई : यह कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : योजना के मुताबिक काम चल रहा है।

श्री मोगजी भाई : कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १६६०-६१ तक।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

कल्याण पाड़ा सड़क निर्माण योजना

५४६. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने बांसवाड़ा जिले की बागीडोरा तहसील में कल्याणपाड़ा तक सड़क निर्माण की योजना बनाई थी ? अगर हां, तो उक्त सड़क कहां से कहां तक बनाई जावेगी ?

(ख) उक्त सड़क निर्माण की लागत क्या है और अब तक कितनी मील बन चुकी है।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोगजी भाई : यह कल्याणपाड़ा सड़क बनाने की योजना है तो क्या सड़क बन चुकी ?

श्री उपाध्यक्ष : वहाँ तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा है।

(हंसी)

Page No.19

श्री नाथूराम मिर्धा : There is no such road in the Second Five Year Plan.

श्री मोगजी भाई : किस आधार पर यह जवाब दे रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विभागीय सूचना के आधार पर ही।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री डूंगरगढ़ नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्य

५४७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

श्री डूंगरपुर नगरपालिका ने १३ दिसम्बर, १९५८ से अप्रेल, १९५९ के अन्त तक कौन कौन से सार्वजनिक निर्माण-कार्य किए तथा उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ? कृपया उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अनुपलब्ध)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं उपाध्यक्ष महोदय, जानना चाहता हूं कि इसमें जो योजनाओं के अन्तर्गत कार्य हुए हैं उसमें कितने काम बच गये हैं वे सूची में नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने पूछा कि कौन कौन से सार्वजनिक निर्माण कार्य किए तथा उसमें कितना रुपया खर्च हुआ है, उसके लिए जवाब दे दिया है कि दो निर्माण कार्य हुए हैं और उनमें 'बापू बाल वाटिका' के ऊपर ९,५८९ रुपये, ९३ नए पैसे खर्च हुए और कुओं का निर्माण तथा सुधार के ऊपर ५,१७० रुपये, ४२ नए पैसे खर्च हुए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज पटेल।

सहकारी विभाग में सहायक निरीक्षकों की संख्या तथा उनकी निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति

५४८. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (गंगापुर-सु. क्या मन्त्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में ३१ मार्च, १९५९ को कितने सहायक निरीक्षक कार्य कर रहे हैं एवं किन किन ग्रेड्स में ?

(२) सहायक निरीक्षकों को निरीक्षकों के प्रमोशन देने के क्या नियम हैं एवं क्या योग्यता रखी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि गत दिनों में बहुत से सहायक निरीक्षकों को ऑफिशियेटिंग चान्स देकर निरीक्षक बना दिया गया है एवं उनसे कई सीनियर सहायक निरीक्षकों के प्रमोशन को रोक दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? अब तक दिए गए प्रमोशन्स की सूची सदन की मेज पर पेश की जावे।

उप मन्त्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (१) २६८ सहायक निरीक्षक—एक ही ग्रेड ६०—४—८० द० बी० ५—१२५—७॥ १४० ।

Page No.20

(श्री दौलतराम सारण)

(२) जिस वर्ष निरीक्षक के पद पर प्रमोशन होता है उस वर्ष सहायक निरीक्षक का अपने पद पर १ जनवरी को सेवा काल कम से कम ५ वर्ष हो और साथ में निम्न बातों पर भी विचार करना होता है:—

(१) सीनियोरिटी,

(२) टेक्नीकल योग्यता व ज्ञान,

(३) निपुणता, पौरुष और समझदारी,

(४) सत्यता और

(५) पिछला कार्य तथा वार्षिक गोपनीय विवरण।

(३) जी हां, क्योंकि उनका सर्विस रेकॉर्ड संतोषजनक नहीं था।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह।

ग्राम जवाली तहसील देसूरी के बांध निर्माण की योजना

५४६. महाराज श्री हुकमसिंह (जैसलमेर)—श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया): क्या मन्त्री, सिंचाई विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देसूरी तहसील के ग्राम जवाली में कोई बांध बनाने की योजना है ? यदि हां, तो बांध का कार्य कब से चालू किया जावेगा ?

(ख) उक्त बांध की सर्वे रिपोर्ट, कैचमेंट एरिया, वाटर स्टोरेज केपेसिटी एवं उसका कमान्डेड एरिया इत्यादि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (क) ग्राम जवाली में खोड़ नामक बांध बनाने की तजवीज है। कार्य तखमीने की मंजूरी के बाद ही चालू किया सकता है।

(ख) इसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। अन्य प्रस्तावित विवरण निम्न हैं :

१. केचमेंट एरिया ८० इस्क्वायर माइल

२. स्टोरेज केपेसिटी ४८५ मिलियन क्यूबिक फीट।

३. कमान्डेड एरिया ६,६०० एकड़।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): जावली का बांध बांधा जायेगा, दूसरा पाली में बंध चुका है। उससे पाली का नुकसान हो जायेगा और इसकी इन्क्वायरी हो चुकी है कि यह बांध बंध जाने से दूसरा पानी रुक जायेगा।

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : इसी बांध की इन्क्वायरी पहले सरकार द्वारा हो चुकी है और यह रिपोर्ट जा चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : This is quite an independent question, and this requires a lot of information.

श्री मूलचन्द डागा : But enquiry has been made.

श्री उपाध्यक्ष : But it may not be within the knowledge of the Hon'ble Minister.

श्री मूलचन्द डागा : यह योजना क्या सेन्टर द्वारा चलाई गई है और आप यह काम शुरू करायेंगे तो कब करायेंगे ?

श्री भीखाभाई : यहां के प्लानिंग डिपार्टमेंट और फाइनेन्स डिपार्टमेंट द्वारा जांच होने के बाद में सेन्टर वाटर कमीशन को जायेगा। वहां से प्लानिंग कमीशन और वहां की एक सब-कमेटी के द्वारा जांच होने पर ही उसकी स्वीकृति हो सकती है क्योंकि यह मीडियम योजना है।

श्री मूलचन्द डागा : इसके कम्युटेड एरिया में जो जमीन ऑलरेडी काश्त की जा रही है उसका क्या होगा और वहां पर जितना नुकसान होगा उससे ज्यादा बांध के बंधने से फायदा हो सकता है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

सरकारी डॉक्टरों के साथ जानेवाले कम्पाउन्डरों की विजिटिंग फीस

५५०. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जब सरकारी डॉक्टर बीमारों को देखने जाते हैं तो जो कम्पाउन्डर्स उनके साथ जाते हैं उन कम्पाउन्डर्स की विजिटिंग फीस कितनी है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : निर्धारित फीस की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

[कृपया परिशिष्ट २ देखिये]

श्री मूलचन्द डागा : मेरे पास तो सूची नहीं आई है।

श्री भीखाभाई : पढ़ कर सुना देता हूं : स्टाफ नर्स और कम्पाउन्डर ग्रेड, १ के दिन के २) रुपये और रात के ३) रुपये। पूरे दिन के ८) रुपये और पूरी रात के १२) रुपये।

मिडवाइव्स और कम्पाउन्डर्स ग्रेड, २ के दिन के १-८-० रुपये और रात के २) रुपये। पूरे दिन के ५) रुपये और पूरी रात के ८)।

कम्पाउन्डर्स, ग्रेड ३ और ४, नर्स दाईज और दाईज दिन का १) रुपया और रात का १-८-० रुपया।

श्री मूलचन्द डागा : सूची दिलवाने की कृपा करें।

श्री भीखाभाई : वह मिल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी क्या दिक्कत पेश आ रही है वहां पर ?

श्री रामचन्द्र।

झालावाड़ जिले की तहसीलों में पंजीबद्ध समितियां

५५१. श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला झालावाड़ की प्रत्येक तहसील में अब तक कितनी कितनी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(२) प्रत्येक तहसील में सहकारिता का कार्य किस किस साल में आरम्भ हुआ और अब इस जिले में कितने इन्सपेक्टर किन किन तहसीलों में कार्य कर रहे हैं ?

Page No.22

(श्री रामचन्द्र)

(३) प्रत्येक तहसील में चर्म उद्योग की कितनी कितनी समितियां हैं ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (१), (२) और (३)–चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री रामचन्द्र : जो सूचना मिली है उससे मालूम होता है कि गंगधर और डग में सहकारिता का काम बहुत ही कम हुआ है, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सरण : जनता में उत्साह कम होगा और माननीय सदस्य ने भी मदद कम की होगी।

श्री रामचन्द्र : क्या इन तहसीलों के लिए कोई इन्सपेक्टर्स नियुक्त किये गये हैं ?

श्री दौलतराम सरण : तहसीलों के लिए जो इन्सपेक्टर्स नियुक्त किये गये हैं उनकी सूची में संख्या अंकित है।

श्री रामचन्द्र : गंगधर और डग के लिए इन्सपेक्टर ही नहीं हैं तो सहकरिता कैसे वहां पर चल सकती है ? जनता के ऊपर आपका यह आरोप लगाना कहां तक उचित है, माननीय मंत्री जरा इसको बतायें !

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : दो तहसीलों के अन्दर इन्सपेक्टर्स नहीं हैं पर ये जो तहसीलें हैं वे दूसरे असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर के ज्युरिडिक्शन में हैं। इन्सपेक्टरों की संख्या बढ़ाने से कोई ज्यादा सोसाइटीज़ नहीं बनती हैं। अगर आप कभी रजिस्ट्रेशन करवाने गये हों और आपको कोई दिक्कत पेश आई हो तो हम समझेंगे कि विभाग की तरफ से दिक्कत पेश हुई है। बात यह है कि जहाँ जनता में उत्साह कम है वहां पर सहकारी समितियां कम खुलती हैं और जहां उत्साह ज्यादा है वहां ज्यादा बनती हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : और अभी डिपार्टमेन्ट को एप्रोप्रियेट केन्डीडेट भी नहीं मिले।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या यह सही है कि सहकारी मंत्री का दौरा नहीं होने से सहकारी समितियां नहीं बनी हैं ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके अकेले दौरे करने से काम नहीं चलता है। हाउस के मेम्बरों का भी सहयोग बहुत आवश्यक है।

श्री रामचन्द्र : मेरा यह कहना है कि इन्सपेक्टर दूसरी जगह से आ कर रजिस्टर कर सकते हैं तो एक चर्म उद्योग सहकारी समिति बनी है उसको रुपये जमा कराने के बाद १३ महीने हो गये हैं कर्जा नहीं मिला है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो बोर्ड है जो कि इन्डस्ट्रियल सोसाइटी रजिस्टर करता है, उससे मिलता है। कई दफा ऐसा होता है कि कागजों में खाना-पूर्ति नहीं होती है, इससे भी नहीं मिलता है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ने दो तहसीलों के लिये यह ऑर्डर्स दे रखे हैं कि जिन सहकारी समितियों को माननीय सदस्य बनायें उनको रजिस्टर नहीं करें और जिनको इन्सपेक्टर्स बनायें उन्हीं को रजिस्टरी किया जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता।

श्री श्रीभानसिंह : अगर माननीय सदस्य कम्पलेन्ट करें तो आप इन्क्वायरी करेंगे ?

(श्री नाथूराम मिर्धा द्वारा उत्तर देने के हेतु शीघ्रता से खड़े होने पर)

Why he is so hasty ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पहले ही समझ लेता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : You don't relish my asking ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I relish it very nicely.

श्री रामचन्द्र : मेरा निवेदन यह है कि इस सहकारी समिति को जो कि कायदे से रजिस्टर हो गई है और रुपया भी जमा हो गया है लेकिन १३ महीने से कर्ज का रुपया नहीं मिला है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह लोन देनेवाली संस्था से अलग से पूछा जाये तो मुकम्मिल जवाब मिल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

राजकीय विद्यालय, हिण्डौन के छात्रों का स्थानीय पुलिस द्वारा चालान

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गत पिछले दो मास से राजकीय विद्यालय हिण्डौन के दो छात्रों सर्वश्री रामेश्वरदयाल तथा रामदयाल का चालान स्थानीय पुलिस ने दफा १४७,१४८, ४३५ तथा ४५१ आई० पी० सी० में किया।

(ख) इस घटना में और कितने विद्यार्थी थे और वे कितनी कितनी उम्र के थे ?

(ग) क्या इन छात्रों को २४ घण्टे तक पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा ?

(घ) इस घटना के होने का क्या कारण था ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) करीब १०, १५ विद्यार्थी थे। उनमें से सिर्फ ६ को नामांकित किया गया है। विद्यार्थी विभिन्न संस्थाओं के थे। सिर्फ गिरफ्तार करके जमानतों पर छोड़े जानेवालों के सिवाय सबके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) वार्षिक परीक्षा में काफी लड़कों का फेल होना ही इसका कारण था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

ग्राम रेवादर (Reodar) तथा लास, (Las) जिला सिरोही में चिकित्सालय

५५३. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Medical and Publice Health be pleased to state:—

(a) Whether the Government had plans to open dispensary at Reodar, in Sirohi District ?

(b) Whether the Government had also plans to open dispensary at Las Village of Sheoganj Tehsil in Sirohi District before the end of the Second Five Year Plan ?

उप-मन्त्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : (श्री भीखाभाई) 1. No.

2. No.

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय

५५४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Publicity be pleased to state:—

What is the amount of expenditure incurred by the State Government for newspaper advertisement (dailies and weeklies) during the last quarter of the financial year, 1958-59 and during the first quarter of the financial year, 1959-60. The value of the advertisement given to each individual paper during both these quarters may be given separately.

सार्वजनिक सम्पर्क मंत्री (श्री राम किशोर व्यास) : A sum of Rs. 54,929-18 n. p. and Rs. 50,963-39 n.p. was paid to various newspapers against the advertisements issued to them during the last quarter of 1958-59 and first quarter of 1959-60 respectively. A statement showing the appointments, total value of advertisements issued to each approved paper of Rajasthan has been placed on the table of the House.

(सूची अनुपलब्ध)

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि जो लोकल हिन्दी डेली पेपर्स हैं वे एप्रूव्ड लिस्ट में हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे खयाल से होना चाहिए ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह भी सही है कि गवर्नमेंट जब एडवरटाइजमेंट देती है तो पेपर के सरकुलेशन का खयाल रखकर एडवरटाइजमेंट देती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हाँ, कई बातें कन्सीडर करनी पड़ती हैं ।

श्री बरकतुल्लाखां (जोधपुर) : क्या यह सही है कि यहां से ३ दैनिक पत्र निकलते है उनमें से 'राष्ट्रदूत' को कोई एडवरटाइजमेंट नहीं दिया गया ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है ।

Page No.25

श्री पी० के० चौधरी : एडवरटाइजमेंट देते समय प्रेस कमीशन की रिकमन्डेशन और राजस्थान न्यूज पेपर एडीटर्स कॉन्फरेन्स की रिकमन्डेशन थी कि कॉमर्शियल बेसिस पर सरकुलेशन देखते हुए एडवरटाइजमेंट दिया जायेगा न कि किसी पॉलिटीकल बेसिसपर दिया जायेगा। तो गवर्नमेंट ने जो एडवरटाइजमेंट दिया है उसकी रिकमन्डेशन को ध्यान में रखते हुये दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक सम्भव होता है रिकमन्डेशन को फॉलो किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने उनकी रिकमन्डेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या इस बेसिस पर दिया है तो 'नवयुग' को लास्ट क्वार्टर में ८ हजार रुपये का दिया और इस क्वार्टर में १२ हजार रुपये का दिया है और 'राष्ट्रदूत' और 'लोकवाणी' को ६००,७००) लास्ट क्वार्टर में और लगभग १६००)रु० इस क्वार्टर में दिया है। इसी तरह से वीकलीज 'अमरज्योति' 'प्रजासेवक' और 'नवजीवन' को इस क्वार्टर में २, २ हजार रुपये से ज्यादा का एडवरटाइजमेंट दिया है और लास्ट क्वार्टर में ज्यादा दिया है। क्या कारण है कि राजस्थान में जिसका सरक्युलेशन ज्यादा से ज्यादा है और लार्ज है उनको आप वीकलीज से भी कम कीमत का एडवरटाइजमेंट देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह दिया है, सही है।

श्री पी० के० चौधरी : किसने दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेन्ट ने अपने डिस्क्रीशन से दिया है। गवर्नमेन्ट ने जिसको चाहा दिया है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व): जो अखबारों की एप्रूव्ड लिस्ट है उससे जो अखबार आते हैं उनको विज्ञापन किस ढंग से दिया जाय, यह काम विशेष अधिकारी के सुपुर्द है ? कोई नियम हैं या अधिकारी स्वेच्छा से काम करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के डिस्क्रीशन में है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : कोई नियम हैं या नहीं या ऑफिस स्वेच्छा से देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जनरल प्रिन्सीपल्स हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या इन दोनों पेपर्स के एडवरटाइमेंट रिड्यूस किये हैं इसके लिए आपने रिटन ऑर्डर दिया है, गवर्नमेंट ने कि एडवरटाइजमेन्ट कम कर दिए जायं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऑर्डर देने की जरूरत क्या है ? गवर्नमेन्ट ने दिया नहीं। हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट ने जितना चाहा दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स ने गवर्नमेंट की एक्सेप्टेड पॉलिसी के अगेन्स्ट में जाकर इन दो पेपर्स को एडवरटाइजमेंट जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग १५ हजार रुपये का दिया गया था रिड्यूस कर के १५० कर दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई दफा इन दोनों 'ए' पेपर्स को ज्यादा मिल जाता है और कई बार दूसरे पेपर्स को ज्यादा मिल जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): गत समय में भी इस प्रकार के प्रश्न पर गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि सरकूलेशन के हिसाब से....

श्री उपाध्यक्ष :Order, Order Please.

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : मेरा प्रश्न यह है कि जैसी केन्द्रीय सरकार में प्रेस ब्यूरो और एडवरटाइजमेंट ब्रान्च अलग अलग हैं, उसी तरह से राजस्थान सरकार में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि नहीं है, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से प्रश्न है।

डॉ॰ बहादुरसिंह :यह प्रश्न इससे सम्बन्धित है। एडवरटाइजमेंट के बारे में आपके यहां सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारी देते हैं और न्यूज को भी वे ही देखते हैं। इसको अलग अलग नहीं किया है।

श्री रामकिशोर व्यास ; यह अलग से प्रश्न है।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : क्या यह सही है कि जिस रेट से डेलीज को एडवरटाइजमेंट दिया गया है उसी रेट से वीक्लीज को दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : Shri Daya Krishna Visay. Mr. Chaudhary, I have taken the other question.

श्री पी॰ के॰ चौधरी ; I want further information Sir ?

श्री उपाध्यक्ष ; I have allowed so many supplementaries on this question and there will be no end to it like this.

श्री पी॰ के॰ चौधरी ; I will like to konw about the rates. Is it a fact that there are certain who have been given @ 7/—Per column while others @7/8/ for each colum.

श्री रामकिशोर व्यास : किस किस अखबार को किस किस रेट पर दिया गया है, यह मेरी जानकारी में नहीं है। आप अलग से जानना चाहें तो मैं इनफोर्मेशन दे सकता हूं।

प्रश्न संख्या ५५५ तथा ५५६

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री पुरषोत्तमलाल शर्मा

करकेड़ी, जिला अजमेर की सड़क का निर्माण

५५७. **श्री पुरुषोतमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

Page No.27

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

(१) क्या डिस्ट्रिक्ट अजमेर में करकेड़ी रोड बनने की स्वीकृत हुई है ?

(२) क्या इस सड़क का काम बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) यह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) करकेड़ी किशनगढ़-रूपनगढ़ तक ग्रेवल्ड रोड बनाने की स्वीकृति हुई है।

(२) जी हां। भूमि अवाप्तगी की कठिनाइयों के कारण तथा ग्रेवल्ड रोड के स्थान पर मेटल्ड रोड बनाने का प्रस्ताव के विचाराधीन होने के कारण।

(३) निर्णय होने पर कार्य पुनः आरम्भ किया जावेगा। आशा है तृतीय योजना काल में

श्री पुरुषोत्तमलाम शर्मा : निर्णय कब तक कर लिया जायेगा मेटल्ड रोड का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी वहां की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, अजमेर ने प्रस्ताव पास किया है कि यह रोड ग्रेवल्ड न बना कर मेटल्ड बनाई जाय। चीफ इन्जीनियर ने दुबारा एस्टीमेट बना कर गवर्नमेंट को लिखा है और जल्दी ही हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रीभानसिंह।

रूपवास तथा बयाना तहसीलों में सिचाई बाँध

५३८. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

1. How many irrigation bunds of Rupbas and Bayna Tehsils have been handed over to the Panchayats ?
2. How many Panchayats have refused to take over ?
3. What is the position of Upper and Lower Raseri Bund in Bayana Tehsil ?
4. Who is collecting the irrigation rates of these bunds handed over to the Panchayats ?

उप-मंत्री, सिचाई (श्री भीखाभाई) :

1. Five Irrigation Bunds of Rupbas Tahsil and six bunds of Bayana Tehsil have been handed over to the respective Panchayats.
2. None of the Panchayat has refused to take them over.
3. Upper and Lower Raseri Bund in Bayana Tehsil have been handed over to the concerned Gram Panchayat.
4. The Irrigation Department does not collect water rates for these tanks ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विश्वम्भर नाथ जोशी।

पुलिस चौकी कोल्वा का पुलिस थाने में परिवर्तन

४४६. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदी कुई—श्री श्रीभानसिंह (बयाना) द्वारा

(श्री श्रीमानसिंह):

पूछा गया) : Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) When was the Kolwa Police Out-post converted into a full ledged Police Station ?

(b) What additions, if any, have so far been made to the previous building of the Police out-post at Kolwa, District Jaipur, after its conversion to a Police Station ?

(c) Is the Government aware that there exists no suitable accommodation at this Police Station for male and female lock-up, store rooms, arms and ammunitions and for the residence of the members of the police staff ?

(d) If so, will the Government take earliest steps for sanctioning the construction of a B or C type Police Station building at Kolwa ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

1. In the year 1953.

2. None.

3. Yes Sir.

4. Sanction regarding construction of a new building for the Police Station has been accorded and the work is to be taken up shortly.

प्रश्न संख्या ५६०

श्री उपाध्यक्ष : श्री हजारीलाल चाको लिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६१

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। Answers for the rest of the questions will be laid on the table of the House.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, we started exactly at 9-30 and we have not yet completed the one hour for the question. I saw it from my watch, it was 9-30.

श्री उपाध्यक्ष : I hope we started at 9. 20.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, I had seen my watch and we started at 9-30.

श्री उपाध्यक्ष : Alright. I take some more questions.

स्थगित प्रश्न।

प्रश्न संख्या १०६

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित)

श्री तेजपाल (बैयर) : यह क्वेश्चन चतुर्वेदी जी का मैं पूछना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बाद में ले लूंगा।

[कृपया परिशिष्ट ४ देखिए]

श्री भोगजी भाई।

कुशलगढ़-उदयगढ़ तथा कुशलगढ़-बांसवाड़ा सड़कों का निर्माण

२५०. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) कुशलगढ़ से उदयगढ़ व कुशलगढ़ से बांसवाड़ा की सड़कों का निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया गया था व अब तक कितने ठेकेदारों को ठेका दिया गया ?

(ख) उक्त सड़कों का निर्माण कार्य अब तक कितना पूरा हुआ है और कितना कार्य बाकी है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कें क्रमश: केवल ११ व १६ मील लम्बी हैं ? यदि हां, तो उनके अभी तक पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

(घ) उपरोक्त सड़कों के पुल निर्माण कितनी बार किये थे और वर्षा से या दूसरे कारणों से कितनी बार पुल टूट गये ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कुशलगढ़-उदयगढ़ सड़क का कार्य १६५१ में तथा कुशलगढ़-बांसवाड़ा सड़क का कार्य १६५४ में क्रम से ४ तथा ३ ठेकेदारों को।

(ख) कुशलगढ़—उदयगढ़ का सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व पुलियों का निर्माण कार्य चालू है। कुशलगढ़-बांसवाड़ा सड़क ५ मील बन चुकी है व १३ मील का कार्य चालू है।

(ग) कुशलगढ़ की लम्बाई ६ मील ६ फर्लांग है और बांसवाड़ा कुशलगढ़ की बांसवाड़ा-जालोद रोड जंक्शन से लम्बाई १८ मील है, कार्य योजनानुसार चालू है।

(घ) एक बार मुख्य दो काजवेज को वर्षा तथा बाढ से मामूली नुकसान एक, दो बार हुआ है।

श्री मोगजी भाई : यह काम डिपार्टमेंट की देखरेख में होता है या ठेकेदार की मर्जी से होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काम ठेकेदार की मर्जी से थोड़े ही होता है। काम डिपार्टमेंट के अनुसार होता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जयचन्द्र मोहिल।

सहकारी समितियों में किये गये गबन एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित अभ्यारोप

२६७. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन सु.): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिनमें गबन, रकम की गड़बड़ी और अनियमितताएं आदि की शिकायतें हैं ?

(ख) उक्त शिकायतों वाली समितियों से क्या कोई विधान सभाई भी संबंधित हैं ? यदि हां, तो कौन कौन, किस किस समिति से और किस किस प्रकार से ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) राजस्थान सहकारी विभाग की जानकारी में २५ समितियाँ ऐसी हैं जिनमें रकम की गड़बड़, गबन आदि अनियमितताओं की शिकायतें हैं।

Page No.30

(श्री नाथूराम मिर्धा

(ख) विधान सभाई सदस्य :—

श्री महादेवप्रसाद बंका (कोटडी—सु.) ।

२. श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.)। के विरुद्ध झुंझुनू बुनकर सहकारी समिति, झुंझुनू एवं २. भूपाल सागर सहकारी समिति में गबन एवं रकम का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में विभागीय जांच कराये जाने के बाद दोनों मामले पुलिस को दे दिये गये हैं जहां जाँच की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री सज्जनसिंह।

बूंदी—शिकारबुर्ज-टीकड्दा आलोद सड़क

२६०. श्री सज्जनसिंह (बूंदी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(१) बूंदी—शिकारबुर्ज टीकड़दा आलोद रोड के पक्के हिस्से की राजस्थान बनने के बाद में कब कब मरम्मत हुई ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि सामयिक मरम्मत के बगैर सड़क की हालत दिन दिन खराब होती जा रही है और इससे जनता के यातायात में बड़ी असुविधा होती है ?

(३) क्या सरकार इस सड़क को बूंदी के गोठड़े तक बढ़ाने का और कच्चे हिस्से को पक्का बनाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) वर्ष १६५५-५६ और वर्ष १६५८-५६ ।

(२) जो भाग इस विभाग के आधीन है उस पर असुविधा नहीं होती ।

(३ बूंदी के गोठड़े का तथा कच्चे भाग को पक्का बनाने का काम किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री लक्ष्मीचन्द

तहसील पंचायत सांचोर भवन का निर्माण

२६६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर श्रीअनूपसिंह(बालोतरा) द्वारा पूछा गया) क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील साँचोर, जिला जालोर के पंचायत भवन हेतु कितनी धनराशि विकास विभाग द्वारा स्वीकृत की गई व वह रकम खजाने से कब उठाई गई व पंचायत विभाग में कब जमा कराई गई है ?

(२) क्या उक्त भवन का कार्य चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं और कब तक चालू कराये जाने की आशा की जाती है ?

(३) क्या जब तक भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तब तक के लिये उक्त रकम ठेके से जमा कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) विकास विभाग से इस काम के लिए कोई रुपया नहीं दिया गया ।

(२) तथा (३)-प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री भोंरा, सदस्य, राजस्थान विधान सभा (महुवा) के स्वर्गवास पर श्रद्धांजलि

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल

सुखाड़िया) : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे दुख के साथ इस सदन को यह सूचित करना पड़ता है कि आज प्रात: २–३० बजे, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अन्दर इस सदन के माननीय सदस्य श्री मौरा (महुवा) जो अस्पताल में २६-७-१६५६ से भर्ती हुए थे, लीवर में एबसिस होने की वजह से अस्पताल में आज उनकी मृत्यु होगई।

इस सदन में वे दिनांक २४–६–५८ को चुनकर आये थे और उसके बाद दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य बीच में खराब होता गया और आज वे हमारे बीच में सदन से हमेशा के लिए उठ गये। मैं समझता हूं इसके लिये हम सबको दुख है और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार वालों को सांत्वना का सन्देश इस सदन की ओर से प्रस्तुत है। मैं समझता हूं इस दुखद घटना के लिये हम मौन रहकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करें और मैं आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आधे घंटे के लिए उनके सम्मान में इस सदन की कार्यवाही स्थगित करें।

श्री उपाध्यक्ष ; मैं माननीय सदस्यों की ओर से और अपनी ओर से दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करता हूं। माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि दो मिनट के लिये मौन रह कर दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करने के लिये ईश्वर से प्रार्थना करें।

(माननीय सदस्यों द्वारा खड़े रह कर दो मिनट तक मौन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिवंगत आत्मा के सम्मान में आधा घन्टे के लिये स्थगित की जाती है। ११.५ पर फिर सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।

[तदुपरान्त सदन की कार्यवाही १०.३५ बजे से ११.५ बजे तक लिये स्थगत की गई]

११. ३० म० प्र० ४ (पुनः)

मुख्य मन्त्री (श्रीमोहनलाल सुखाड़िया): उपाध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव के लिये मैंने निवेदन किया था उसके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ से कहा कि अच्छा हो कि सदन आज ५ बजे तक के लिये एडजोर्न हो जाए और उसके बाद हम मिल कर सदन की कार्यवाही कर लें। मैं इस विषय को कोई वादविवाद का या बहस का विषय नहीं समझता हूं। कोई वादविवाद की स्थिति पैदा हो इसमें यह उचित भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उससे सबको दु:ख है और इस दु:ख में कोई राय का फर्क नहीं है। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा कि हम ५ बजे तक के लिये सदन को स्थगित करदें।

श्री उपाध्यक्ष: क्योंकि श्री मौराकी मृत्यु यहां जयपुर में हुई है इसलिये उचित यह है कि ५ बजे तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There would have been some sense if we would have adjourned for the whole day. The House was adjourned for few hours and not for the whole day. Actually we have adjourned for on hour. If you have adjourned for the

(श्री पी० के० चौधरी)

whole day then there is some sense otherwise there is no sense.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : There is a difference that ordinarily the House sits up to 5 P. M, and therefore practically for the whole working day we have adjourned.

श्री उपाध्यक्ष : That will be second sittng of the House

सदन की कार्यवाही आज ५ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही म० पू० ११.३२ बजे शाम को ५ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

संक्षिप्त विवरण

(बुद्धवार, दिनांक २ सितम्बर, १९५९)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा डिवीजन में मक्का तथा ज्वार की फसल को हानि।

श्री सागर महाजन, निवासी आवर, तहसील डग के चोरी।

बुनकर सहकारी समिति, बूंदी का चुनाव।

पशु प्रजनन केन्द्र बस्सी में १० हजार रुपये के दानेकी बरामदगी।

नगरपालिका मनोहरपुरका चुनाव।

सहकारी विभाग के एक एग्जीक्यूटिव इन्सपेक्टर कोलैण्ड मोरगेज बैंक, उदयपुर के सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति तथा अन्य मामले।

बीकानेर में पत्रकारों के साथ हुए पुलिस दुर्व्यवहार का जांच प्रतिवेदन।

कुशलगढ़-बांसवाड़ा सड़कनिर्माण।

कल्याणपाड़ा सड़क निर्माण योजना।

श्री डूंगरगढ़ नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्य।

सहकारी विभाग में सहायक निरीक्षकों की संख्या तथा उनकी निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति।

ग्राम जवाली तहसील देसूरी के बांध निर्माण की योजना।

सरकारी डॉक्टरोंके साथ जानेवाले कम्पाउण्डरों की विजिटिंग फीस।

✓ झालावाड़ जिले की तहसीलों में पंजीकृत समितियां।

राजकीय विद्यालय, हिण्डोन के छात्रों का स्थानीय पुलिस द्वारा चालान।

ग्राम रेवानार तथा लाम, जिला सिरोही में चिकित्सालय।

समाचार-पत्रों में विज्ञापनों पर राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय।

करकेड़ी, जिला अजमेर की सड़क का निर्माण।

रूपवास तथा बयाना तहसीलों में सिंचाई बांध।

पुलिस चौकी, कोलवा का पुलिस थाने में परिवर्तन।

स्थगित प्रश्न

भरतपुर जिले की गत वर्षा से टूटी सड़कों की मरम्मत।

कुशलगढ़-उदयगढ़ तथा कुशलगढ़-बांसवाड़ा सड़कों का निर्माण।

Page No.34

सहकारी समितियों में किये गये गबन एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित अभ्यारोप।

बूंदी - शिकार बुर्ज-टीकड्दा-अलोद सड़क।

तहसील पंचायत, सांचोर का भवन-निर्माण।

श्री भौंरा, सदस्य, राजस्थान विधान सभा (महुआ) के स्वर्ग-वास पर श्रद्धांजलि।

श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मन्त्री, ने स्वर्गीय श्री भौंरा, सदस्य राजस्थान विधान सभा (महुवा) के निधन पर संवेदना प्रकट की तथा माननीय सदस्यों द्वारा दो मिनट तक खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

यद्यपि स्वर्गीय श्री भौंरा के सम्मान में प्रातः १० बज कर ३५ मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दी गई थी किन्तु प्रातः ११-३० पर जब कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई तब माननीय मुख्य मन्त्री ने कुछ माननीय सदस्यों के निवेदन पर सदन की कार्यवाही पुनः सायं ५ बजे तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव किया। एतदर्थ सदन की कार्यवाही तदनुसार स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक २ सितम्बर, १६५६ (सायंकालीन बैठक) की कार्य-सूची।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपर्यंकित विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार)

———

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४८ का उत्तर देखिए]

सहकारी विभाग के कार्यवाहक निरीक्षकों की सूची

क्रमसंख्या	नाम	पद
१	श्री रामरतन यादव	निरीक्षक एग्जीक्यूटिव
२	" केशवसिंह	"
३	" सिरहनल जैन	"
४	" महेन्द्रसिंह	"
५	" रामसिंह	"
६	" कन्हैयालाल	"
७	" परम हंस	"
८	" प्रताप नारायण	"
९	" चन्द्रधर त्रिपाठी	"
१०	" जगदीश प्रसाद जैन	"
११	" मोहनलाल व्यास	"
१२	" गोविन्दप्रताप अग्रवाल	"
१३	" प्रभुलाल	"
१४	" जगनलाल	"
१५	" बाबूलाल	"
१६	" लक्ष्मीनारायण	"
१७	" कल्याण प्रसाद	"
१८	" गिराजप्रसाद जाटव	"
१९	" शंकरलाल परिहार	"
२०	" भगवान सहाय	"
२१	" रंगलाल	"
२२	" दयाशंकर भार्गव	निरीक्षक ऑडिट
२३	" नंदरामसिंह	"
२४	" नेमीचन्द	"
२५	" भूपसिंह	"
२६	" रामगोपाल	"
२७	" मूलचन्द पुरोहित	"
२८	" राधेश्याम	"
२९	" कृष्णगोपाल दलेला	"
३०	" राम कल्याण	"

३१	श्री जगन्नाथ प्रसाद	निरीक्षक एग्जीक्यूटिव
३२	" रामेश्वर प्रसाद	"
३३	" प्यारेलाल	"
३४	" किरोडीलाल	"
३५	" अम्मालाल	"
३६	" रणवीरसिंह	"
३७	" कन्हैयासिंह	"

———

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५० का उत्तर देखिए।]

Schedule of fees to be charged by Nursiug Staff of Rajasthan Govt.

		Day. 6 A.M. to 8 P.M.		Night. 8.P.M. to 6 A.M.
1.	Staff Nurse & Compounder Grade I.	Rs./2-.	Rs..3/-.	Whole day Rs. 8/-. Whole night Rs./12-.
2.	Midwives & Compounders Grade II.	Rs. 1/8/-.	Rs. 2/-.	Whole day Rs. 5/-. Whole night Rs.8/-.
3.	Compounder gaade III & Iv, Nurse Dais and Dais.	Rs./1-.	Rs.:1/8/-	

Note:—Rajasthan Govt. servants & their families will have 50% concessions.

2. "Family (including Govt. servants wife (husband in case of a woman Govt. servant) sons, parents, minor borthers, unmarried daughters or Sisters, widowed sisters or daughter-in-law if wholly dependent on the Govt. servent.
3. Arrangements for their conveyance or its charges will be as laid down in Schedule 'A'.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५१ का उत्तर देखिये)

झालावाड़ जिले की पंजीकृति समितियों की सूची

क्रम संख्या	नामतहसील	तादाद समितियां अन्य	चर्म	उद्योग	योग	इस तहसील में सहकारिता का कार्य आरम्भ होने का साल	इस तहसील में कितने निरीक्षक कार्य कर रहे हैं।
१	२	३	४		५	६	७
१	झालरापाटन	६०	४		६४	१९४८	१
२	बकानी	४६	२		५१	१९५१	१
३	अकलेरा	६१	–		६१	१९३६	१
४	खानपुर	५५	४		५६	१९४९	१
५	पंचपहाड़	५४	–		५४	१९४६	१
६	मनोहर थाना	२४	१		२५	१९४८	१
७	पिडावा	३६	१		४०	१९५६	१
८	गंगधर	८	–		८	१९५८	–
९	डग	८	१		९	१९५८	–
	योग	४०१	१३		४०१		७

परिशिष्ट ४

(प्रश्नोत्तर काल में समयाभाव के कारण न लिया जा सकने वाला तारांकित स्थगित प्रश्न)

भरतपुर जिले की गत वर्षा से टूटी सड़कों की मरम्मत

१०६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग-श्री तेजपाल बैर द्वारा पूछा गया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) भरतपुर जिले में गत वर्ष कौन कौन सी सड़कें वर्षा से टूटी अथवा खराब हुई थीं ?

(२) क्या वर्षा की समाप्ति के अनन्तर उक्त टूटी हुई सड़कों को पूरे तौर पर पक्का कर दिया था अथवा खराब सडकों की मरम्मत करा दी थी ? यदि हां, तो किस किस की और किस किस अंश तक ?

(३) क्या सरकार को पता है कि उनमें से अधिकांश सड़कें अभी तक वैसी ही टूटी फूटी अवस्था में हैं, जैसे कि वे उक्त वर्षाकाल में और उसके अनन्तर की गई थी, तथा वे अब वर्षा आरम्भ होते ही पुनः यातायात के अयोग्य हो गई हैं ?

(४) यदि हां, तो सरकार ने इतने दिनों तक उनको पुख्ता कराने की व्यवस्था क्यों नहीं की ?

(५) क्या अब सरकार उनको स्थाई रूप से दुरुस्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ?

उत्तर—

(१) सूची प्रस्तुत है ।

(२) उपलब्ध धनराशि में यथा सम्भव आवश्यक कार्य जितने हो सके किये गये हैं और मरम्मत का कार्य १,६८,७४० रु० का किया गया है ।

(३) यातायात के अयोग्य कोई सड़क नहीं है । सड़कों पर गैंगस काम कर रही है ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) सरकार यथासम्भव प्रयत्न कर रही है, जितनी धनराशि उपलब्ध हो सकी कार्य किया गया है ।

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर देखिये]

LIST OF DAMAGED ROAD OF BHARATPUR. DISTT.

1. Bharatpur Jaipur road 18th mile.
2. Bharatpur Kumber road 2 miles.
3. Bharatpur road 1 mile.
4. Bharatpur Mal Godown road 1 mile.
5. Bharatpur Agra road 2 mile.
6. Pahari Agra Jaipur road part A.& E 1 mile.
7. Kaman Pahari road 11 mile and 14 mile.
8. Bharatpur Nadbai road 1 mile.
9. Kamam Jurehre road 3,4,5 and 10 mile.
10. Kaman by pass road 1 mile.
11. Deeg Goverdhan road 1 mile and 1 furlong.
12. Kaman Nandgown road 1,3,4. and 5 mile.
13. Nagan Nadbai road 12,15 mile.
14. Bayana Hindaun road 8 mile.
15. Bayana Weir road 49, 52 mile.
16. Bayana Bharatpur road 16,23 mile.
17. Dholpur Rajakhera road 1 mile and 2 mile.
18. Dholpur Bharatpur road via Rupbas road and Saipur road 8 and 9 mile.
19. Uchain Seola road 2 furlong.
20. Agra Bayana road up to Rudaval 2 furlong.
21. Dholpur Bari road, 1 mile.
22. Bari to Baseri road 1 mile.

शुद्धि-पत्र

[२ सितम्बर, ५६]

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
३८१३	शीर्षक	१ सितम्बर ५६	२ सितम्बर, ५६
३८१६	१	श्री रामकिसोर व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
३८२७	१५	Jsmadar	Jamadar
३८२८	४	MInister	Minister
३८२८	१३	replyling	replying
३८२६	अन्तिम से ८	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
३८३५	,, ७	ममले	मामले
३८३६	२	Udaiqur	Udaipur
३८४५	अन्तिम से ८	निर्माण	निर्माण
३८४७	१४	श्री डूंगरपुर	श्री डूंगरगढ़
३८५०	११	जावली	जवाली
३८५०	अन्तिम	बक	कब
३८५५ व ३८५६	शीर्षक	राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद् विधेयक ५६	तारांकित प्रश्नोत्तर
३८५८	अन्तिम से २	श्री रामकिसोर व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
३८५६	शीर्षक	२२ अगस्त, ५६	२ सितम्बर, ५६
३८६०	१७	एडवरटाइमेंट	एडवरटाइज़मेंट
३८६१	१२	प्रेस यूरो	प्रेस ब्यूरो
३८६२	२	Visay	Vijay

१	२	३	४
३८६२	१४	colum	column
३८६६	६	quesiions	questions
३८७२	७	११.३० म० प्र० ४ (पुन:)	११.३० म० पू० (पुन:)
३८७२	अन्तिम से २	for on	for an
३८७४	२	sittng	sitting
३८८१	३	Nursiug	Nursing
३८८१	[illegible]	Compounder gaade	Compounder Grade
३८८१	अन्तिम से ३	Servent	Servant

——०——

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

गुरुवार, २ सितम्बर, १६५६
(बैठक सायंकालीन)

विधान सभा की बैठक सायंकाल ५ बज कर १७ मिनट पर विधानसभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

क्लॉज ५६

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम।

श्री परसराम (आमीन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज ५६ पर अमेंडमेंट है:
The words "the State Government" be substituted by the words "the Zila Parishad', wherever occuring in the clause.

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५६ के अन्तर्गत सरकार अपने पास अख्त्यारात लेना चाहती है, पंचायत समिति या स्टेंडिंग कमेटी के किसी रेजोल्यूशन को या तो लीगली पास नहीं किया गया हो या पंचायत समिति या जिला परिषद् नाजायज फायदा अपने अख्त्यारात का उठा रही हो या अख्त्यारात से आगे रही हो तो उसको सरकार स्टेन्ड कर सकती है या खारिज कर सकती है।

हो सकता है कि अभी इनिशियल स्टेज पर होने की वजह से पंचायत समितियां गलतियां करें और उनकी दुरुस्ती आवश्यक हो पर सरकार ५७ के अन्तर्गत पूरी पंचायत समिति को डिजोल्व करने का या सुपरसीड करने का अख्त्यारात लेती है और एक एक रेजोल्यूशन सब कमेटी का होता है उसको कैन्सिल करने के अख्त्यारात लेती है तो मैं समझता हूं यह विकेन्द्रीकरण की भावना के बिल्कुल विपरीत है। जबकि सरकार और पंचायतों के बीच में जिला परिषद् नामक स्वायत्त संस्था कायम करने जा रहे हैं। इस कड़ी के बीच में सरकार का मकसद ऐसा दिखता है कि कलेक्टर को अपनी एजेंसी मान कर सब अख्त्यारात अपने हाथ में लेना चाहती है। ऐसी सूरत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह जो जिला परिषद् है उसको अख्त्यारात दिया जाना चाहिए क्योंकि जिला परिषद् का ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स में रहेगा और अगर उसके एक्शनों से ह्यूमन राइट्स को या पब्लिक पीस को खतरा पैदा हो तो उस रेजोल्यूशन को कैंसिल करना, अगर वे चाहें तो पब्लिक के हित में कर सकते हैं। मगर सरकार ने कलेक्टर को ने पॉवर दिये और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर elderly माना है। वह कलेक्टर एक तरफ तो जिला

(श्री परसराम)

परिषद् का सदस्य है और दूसरी तरफ वह जिला परिषद् की किसी तरह की रिपोर्ट को बिना जिला परिषद के नोटिस में लाये हुए सरकार को लिख सकता है और उसके लिखने मात्र से रेजोल्यूशन कैंन्सिल हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह जिला परिषद के सदस्य को दोहरी हैसियत देना है। जिला परिषद में बैठता है तो उसकी दूसरी हैसियत होती है और पंचायत समितियों के रेजोल्यूशनों को वह कैंन्सिल कर सकता है। मैं समझता हूं कि जिला परिषद के सामान्य सदस्य के नाते वह भी एक सदस्य है और ऐसा नहीं है कि वह एक फिलोस्फर हो और अच्छी और नेक सलाह दे सकते हों मैं यह कहूंगा कि कि जहां तक सत्ता को डेलिगेट करने और पॉवर को ट्रान्सफर करने का प्रश्न हैं, इस प्रकार का अधिकार दे कर हम सत्ता को और पंगू बना रहे हैं। जब सारे के सारे सदस्य जो वहां पर बैठते हैं, पहले तो ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे और अगर कोई रेजोल्यूशन ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन सेफ्टी और ब्रीच ऑफ पीस का हो उसके लिए अधिकार जिला परिषद को होना चाहिए। अगर कलेक्टर को जैसा आपने ५६ क्लॉज के (३) में है, उसमें कलेक्टर को सारे अधिकार रहते हुए भी जिला परिषद की रिपोर्ट सरकार को पेश कर सकता है लेकिन जहां तक पंचायत समिति के प्रस्तावों का प्रश्न है, स्टेंडिंग समिति के प्रस्तावों का प्रश्न है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना मैं समझता हूँ कि वह लोकतन्त्र के हित में नहीं होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां स्टेट गवर्नमेंट है वहां जिला परिषद कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज को अपोज करता हूं। इसमें पंचायत समिति के डिसिजन्स को और day to day resolutions को कैंन्सिल करने का और सस्पेन्स करने का अधिकार गवर्नमेंट को दिया जाता है। इतना ही नहीं अगर आप सब-क्लज (२) को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस तरह गवर्नमेंट को सब-क्लॉज (१) में रेजोल्युशन को कैंन्सिल करने का अधिकार दिया जाता है। उसी प्रकार कलेक्टर भी कैंन्सिल कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस चैप्टर में ५६ वें क्लॉज में जो सब-क्लॉजेज़ हैं उनको देखेंगे तो उनको देखने से यह विदित होता है कि यह जो हम बातें कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं वे प्रयास उनको उस दिशा में नहीं ले जा रहा है। हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोगों की इच्छानुसार हम चलावें। लेकिन यह जो हमने इसमें रखा है Day to day resolutions. रोजमर्रा के काम काज के प्रस्ताव जो वे पास करेंगे उनको सस्पेन्ड और केंन्सिल करने के अधिकार हम ले रहे हैं। किस वजह से ले रहे हैं यदि हम इसको पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि किस वजह से लेना चाहते हैं "The State Government may, by an order in writing, cancel

श्री पी० के० चौधरी)

any resolution or order passed by a Panchayat Samiti or of any standing committee......if in its opinion such resolution is not legally passed. उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लीगली पास्ड होगा या नहीं, मैं यह कहूंगा कि इसमें इन्टरफियर करने वाली गवर्नमेंट कौन होती है। अगर इसके लिए कोई चेलेन्ज करने वाला है तो पार्टी चेलेन्ज करेगी।

The executive has no right to interpret the law or to assume on itself to interpret the law. They are going beyond their jurisdiction by this clause. उपाध्यक्ष महोदय, इसके आगे कहा जाता है कि "if in its opinion such resolution is not legally passed or is in excess or abuse of the powers conferred by or under this Act or under any law for the time being in force, or if its execution is likely to cause danger to human life, health or safety or is likely to lead to a breach of peace." तो उपाध्यक्ष महोदय, लीगली पास किया whether it is in accordance with any law in force in the State. पंचायत समिति के किसी प्रस्ताव या एक्शन whether it is according to law or not उसमें इन्टरफीयरेन्स करने का एग्जिक्यूटिव को कोई अधिकार नहीं है according to our Constitution. It is against the Constitution. मैं कहूंगा कि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेन्स्ट है according to the existing law in the State उसके माफिक प्रस्ताव पास किया है। या नहीं who is the Government to assume that power to itself? What authority it has got to assume the power to interpret law? और अगर इस प्रकार का पॉवर हमको देना है तो आप अलग से दें। आपने इसके लिए जुडिशियरी को पॉवर दे रखे हैं whether an action of any individual or of the executive machinery of the State, whether these actions are according to law or not; for that there is a constitutional authority, the Judiciary is there to interpret it and to give its decision, Who is the executive? Why are thay assuming this authority. Why are they becoming so precacious? तो उपाध्यक्ष महोदय दूसरी बात इसमें कही गई है कि If the execution of it is likely to cause danger to human life, health or safety, or is likely to lead to a breach of peace, अब मेरी समझ में नहीं आता है कि पंचायत समिति के सदस्य कोई पागल तो नहीं है They are not mad people. जो कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें ह्यूमन लाइफ को खतरा होगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसके बारे में मैं स्वास्थ्य मंत्री....

श्री पी० के० चौधरी : मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी पंचायत समिति का यही कम्पोज़ीशन है कि उसमें ऐसे ऐसे सदस्यों को भेज देगी जो पागल के माफिक अपना काम करेंगे और अपनी राय देंगे like mad people ऐसा प्रस्ताव पास करेंगे जिससे ब्रीच ऑफ पीस का डेन्जर होगा तो फिर जब आप जानते हैं कि पंचायत समिति ऐसे करेक्टर के

Page No.46

(श्री पी० के० चौधरी)

आदमियों की बनावेंगे तो फिर आप उनको इस प्रकार की ऑथोरिटी क्यों दे रहे हैं। इसको डीसेन्ट्रेलाइजेशन का नाम क्यों दे रहे हैं?

दूसरी बात सब-क्लाज (३) में देखिए-

"If, in the opinion of the Collector, immadiate action is necessary to suspend a resolution on the ground that its execution is likely to cause danger to human life, health or safety or is likely to lead to a breach of peace, he may by order in writing suspend the resolution,"

अब यह जो पॉवर डेलिगेट है वह भी कलेक्टर महोदय को darger to public life है मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति टेप्स पिट्स खोदने का काम करेगी। चूंकि खड्डे में गिर कर लोग मर जावेंगे इसलिए कलेक्टर साहब को एक्शन लेने की जरूरत है। पब्लिक हैल्थ के लिए, कहीं लोगों के सामने पखाना बन रहा है, ऐसे काम करने के लिए पंचायत समितियां नहीं हैं लेकिन वे तो डेवलपमेन्ट के काम भल प्रकार फंक्शन हो रहे हैं या नहीं उनको ठीक करवाना और उनमें गति देने के लिए हैं। ह्युमन लाइफ को डेन्जर हो पब्लिक लाइफ को डेन्जर हो, ब्रीच ऑफ पीस हो, ऐसे काम नहीं दिये जाते। ऐसे काम वहां दिये जाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार के प्रोविजन रखने की क्या आवश्यकता है। ब्रीच ऑफ पीस का दुरुपयोग कदम कदम पर होगा। कोई ज्युडिशियल इन्टरप्रिटेशन होता तो कोई बात होती, एग्जीक्यूटिव ब्रीच ऑफ पीस का इन्टरप्रिटेशन करती है...

I raise serious objection to this, Sir. The Assembly Secretary should not cross the floor while we are speaking.

श्री उपाध्यक्ष : I regret I don't want to express much too, much on this issue and I would like that our Assembly Secretary will not disturb when the member is speaking.

श्री पी० के० चौधरी : He is supposed to advise the Chair, not the Hon ble Ministers about the issues we are raising. Upadhyaksha Mahodaya, this convention should be stopped....

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you will continue your debate, please.

श्री पी० के० चौधरी : I would request the Chair to stop this onvention I have noticed this off and on. In the Question Hour also he goes to advise the Ministers. He is not there to advise the Ministers. They have got their own Secretaries. They are there, they will advise them.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you will continue your debate, please

श्री पी० के चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि पंचायत समितियों का, जो नक्शा, नमूना इस प्रकार से आपके सामने हो, उससे पब्लिक लाइफ को डेन्जर हो, पब्लिक हैल्थ को डेन्जर हो और ब्रीच ऑफ पीस होगी तो उस कानून को आप पास मत करिये। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्रीच ऑफ पीस का हर तरह से दुरुप-

(श्री पी० के० चौधरी)

योग होगा, मेजोरिटी से पंचायत ने फैसला किया हो किसी काम के लिए, मान लीजिये सड़क बनाने का काम है, या कुआँ खोदने का काम है, उसको पर्टिकुलर ग्रुप रेस्ट्रिक्ट करेगा, जमीन वह देगा नहीं और उस तक के लिए एग्जीक्युटिव के पास जाकर शिकायत करेगा, यदि हमारी जमीन लेंगे तो हम जान दे देंगे, तो एग्जीक्युटिव इस बिना पर कि ब्रीच ऑफ पीस हो जायेगा इस बिना पर डेवलपमेन्ट के काम को रोक देगा। ये जो अमोनिमस पॉवर्स दिये हैं वे नहीं देने चाहिये।

इसके साथ ही साथ क्लॉज ५७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्लॉज ५७ में पंचायत समिति के सस्पेन्शन का प्रोविजन है और हम इस बात को मानते हैं कि पंचायत समिति के ऊपर स्टेट गवर्नमेन्ट का कुछ न कुछ कंट्रोल रहना चाहिये लेकिन यह कन्ट्रोल ओवर ऑल होना चाहिये, गाइडेन्स के लिए होना चाहिए, क्लॉज ५७ को मंजूर कर सकते हैं ..

if it proves itself to be a group of mad people, to be a pack of people who are mad. तो ऐसी पंचायत समितियों को क्लॉज ५७ के अन्तर्गत सस्पेन्ड कर सकती है लेकिन रिटन वर्क में, जैसा कि प्रोविजन है, डे टु डे वर्किंग में रुकावट डाली जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में मेहता कमेटी की डीसेन्ट्रेलाइजेशन के बारे में जो रिकमन्डेशन है और उसमें डिसेन्ट्रेलाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है वह यह है 'decent ralisatoin' means the State Gavernment should completely divest itself of powers with regard t certain items. इसमें कम्पलीट डाइवरसिटी ऑफ पॉवर्स कहां आते हैं ? नहीं आते हैं। पॉवर्स जो हैं उनको आप अपने हाथ ही में रखते हैं। उसी पैरा के लास्ट में मेहता कमेटी ने कहा है "If this body is to function with vigour, initiative and success the Government will have to devolve upon it all of its own functions in these fiedls within the body's jurisdiction, reserving to itself the fuuctions of guidance, supervision and higher planning, and where necessary providing extra finance."

यानी उसका कम्प्लीट फन्क्शन गवर्नमेन्ट का है that must devolve on tha Panchayat Samiti.

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट के डाइरेक्शन का प्रोविजन है जो उन्होंने कहा है, गाइडेन्स और डारेक्शन it must be a power to direct' पॉवर ऑफ डारेक्शन कैसे होने चाहिये उसके लिए मैं आपको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अपने अन्दर में लोकल बोडीज़ होती हैं उसके लिए डाइरेक्शन का क्या तरीका रखा है उन्होंने डे टु डे रेजोल्यूशन...

श्री उपाध्यक्ष : I hope Mr. Chaudhary..........

श्री पी० के० चौधरी : Yes, within two minutes, Sir.

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : एक साथ ही दोनों क्लॉज ५६ तक साथ ही में ले लिये जांय तो ठीक होगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : दोनों की स्प्रिट ही अलग अलग २ है। This is separate.

Page No.48

श्री पी० के० चौधरी : Clause 58 and 59 will have to be taken separately,

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिल्ली कारपोरेशन एक्ट की सेक्शन ८४ से ९० तक आकर्षित करना चाहता हूँ। वहाँ प्रोविजन दिया गया है : Directions by Central Government.

उसमें लिखा गया है Central Government will give directions in writing to the Corporation or to the local body. टाइम मुकर्रर कर देगी। लोकल बोडीज उस समय में काम नहीं करेगी तो then the Central Government will have authority to get it executed through its own agency. तो यहां डाइरेक्शन का प्रोविजन होना चाहिये। यह जो है वह डाइरेक्शन का प्रोविजन नहीं है। It is a direct supersession, direct interference and it will be a hindrance to the develepment of Panchaya Samitis.

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यह प्रोविजन रहा तो फिर डिसेन्ट्रेलाइजेशन का नाम उसमें न रह कर कम्प्लीट सेन्ट्रेलाइजेशन का ही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): यह जो क्लॉज ५९ रखा है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : If all these clauses are taken together then all the amendments may be moved first.

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको चान्स देता हूँ। ५९ और ५७ साथ में ले लें।

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी : Clauses 58 and 59 should be taken separately.

श्री उपाध्यक्ष : Then I will take them in my own way. Yes you will continue.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५९ में पंचायत समिति और जिला परिषद् के प्रस्तावों को रद्द करने का या उसको मोअत्तिल करने का जो अधिकार अपने हाथ में सरकार ने रखा है, मैं समझता हूँ कि हमने एक ओर तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके नीचे के लोगों को एक अधिकार दिया है और उस अधिकार के साथ साथ हम इस प्रकार के पॉवर्स रखते हैं कि ऐसी स्थिति में, स्थिति जो दिखाई गई है उसमें, कहीं पर रास्ता बन्द हो जाय, वहाँ लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कोई ऐसी चीज हो जाय जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो, तो सरकार को अधिकार है कि पंचायत समिति, जिला परिषद् जो रेजोल्यूशन बनाये उसको वह रद्द कर सकती है। मैं समझता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं कि जो मूलभूत अधिकार दे रहे हैं एक तरफ, इस विधेयक द्वारा सत्ता सौंप रहे हैं और दूसरी तरफ इसमें इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं जो

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसकी ताकत ही को कमजोर करता है। इस प्रकार के सवाल आये, कहीं पर सड़क का सवाल आया, कहीं पर शान्ति भंग हो सकती है, जैसा कि सड़क बनाने का सवाल आ जाय और अभी कहा गया कि एक पक्ष कहेगा कि यहां नहीं वहां बननी चाहिये और बहुमत से वे हो जाती हैं सर्वोनुमति नहीं, दूसरा पक्ष जो विरोध करता है और यहां तक स्थिति पहुंच जाती है कि जो जनतान्त्रिक अधिकार दिये गये हैं बहुमत से पास कर सके हैं, उसमें गड़बड़ी करने के लिए अशान्ति करता है तो आप वहां पर क्या करते हैं कि उस प्रस्ताव को जो कि बहुमत से पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा पारित किया गया है उसको रद्द कर सकते हैं इन अधिकारों के द्वारा, ये पावर्स उसके लिए आपने अपने हाथ में रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के सरकार को क्यों अधिकार हो। यदि कहीं शान्ति भंग हो सकती है तो १०४ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है, कहीं शान्ति भंग होती है तो हमको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।

इस प्रकार की बातों के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो कानून है उसके अन्दर खण्ड १४५ के अन्तर्गत अधिकार है। वह अधिकार होते हुए भी इस प्रकार की धारा रखना कि बहुमत से रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं तो सरकार को अधिकार है कि सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। आप अपने अधिकार इस प्रकार अपने हाथ में रखकर जनतन्त्र का जो मूलभूत अधिकार है वह हनन करने जा रहे हैं। हम जिस तरह की एक तरफ ताकत देना चाहते हैं दूसरी तरफ इस प्रकार के प्रोवीजन रख कर उन अधिकारों को छीनना चाहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से खींच लेते हैं। जो जनतन्त्रात्मक तरीके से काम होना चाहिये उसको अपने हाथ ले लेते हैं। आप इस प्रकार से झगड़ा आदि करने वालों के खिलाफ १३७ और १३९ के तहत कार्यवाही कर सकते हैं इस प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है। मैं नहीं समझता, ऐसा होते हुए भी आप इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रख रहे हैं इसका नतीजा यह होगा कि इसका दुरुपयोग होगा। मान लीजिए किसी जगह विरोधी पक्ष की पंचायत समिति है उसको भंग करना है, उसमें इस प्रकार के क्लॉज के रहने से रास्ता मिल जाता है और बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करवाया जा सकता है। इस प्रकार की सुविधा आप अपने पास में क्यों रखना चाहते हैं। आपको चाहिये इन मामलों के अन्दर पूरी आजादी रखेंगे इससे यह होगा कि जिला परिषद् और पंचायत समिति का जो विकेन्द्रीकरण की ताकत दी है उससे खींचातानी बढ़ेगी। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो क्लॉज रखा है वह विकेन्द्रीकरण को कमजोर करने वाला है अतः इसको न रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I treat clause 57 also as moved.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I did not speak on clause 58 and 59. I want to speak on them. So they should be teken later on.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Member has already spoken on 57.

श्री पी० के० चौधरी : 56 and 57 may be taken together.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि क्लॉज ५६ और ५७ में इस प्रकार का अधिकार क्यों रखा गया है ? आदर्श की बातें करना अलग है और जो व्यवहार में आता है वह अलग, उसमें अन्तर होता है। हमारा जो पंचायत एक्ट है, हमारा जो म्युनिसिपल एक्ट है उसमें दो धारायें हैं १६३, ७४, ७५, ७३ इन धाराओं में जो प्रावधान रखा है वह एक दूसरे से मिलता जुलता है। गवर्नमेन्ट किन किन मामलों में हस्तक्षेप करेगी, यहां सत्ता के विकेन्द्रीकरण में हस्तक्षेप है। या तो यह होना चाहिये इसका जो चेप्टर ४ है उसे कम्पलीट हटा देना चाहिये। सारी बात यह है कि इन हालतों में इन स्थितियों में सरकार हस्तक्षेप करेगी ऐसा कि इसमें है "The State Government shall, before taking action under sub-section (1) give to the Panchayat Samiti a reasonable opportunity for a explanation."

कई बार ऐसा होता है कि पंचायत समिति जिसे हम प्रगति की जमात मानते हैं मैं यह नहीं कहता कि यह मूर्खों की जमात होगी। कभी पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी जो है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया वहां ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टीकुलर कॉम्यूनिटी की किसी पर्टीकुलर सब्जेक्ट पर किसी जगह कुआं बनवाने के लिये या किसी प्रकार की किसी क्लास के लोगों को तकलीफ हो सकती है मुश्किलें हो सकती हैं उनको रोकने के लिये हम गवर्नमेन्ट के पास इस प्रकार के अधिकार रखते हैं। नहीं तो गरीब जनता को समाज के सामान्य वर्ग को इस प्रकार के झगड़ों के लिये हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ती। अगर हम दूसरी रमेडी रखते तो जनता को ज्यादा नुकसान होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मामलों में जहां सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये वहां वह करती है। दरअसल जो लोकतन्त्रीय सरकार होती है उसके अन्दर इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं होता। यह ऐसा मामला होता है राजस्थान की जो पंचायतें हैं उनके जितने सवालात हमारे यहां आते हैं, आप रोजमर्रा के प्रश्नोत्तर काल को ले लीजिये उसमें पंचायत सम्बन्धी प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं ज्यादातर कानून की अवहेलना करने सम्बन्धी होते हैं। इन खंड ५६ और ५७ में पॉवर्स दिये हैं They will give an opportunity पंचायत समितियों और जिला परिषदों को मौका दिया जायगा। इसके बाद अगर गवर्नमेन्ट को तसल्ली हो जाती है कि वास्तव में यह काम अनूलॉफुल है तो उस हालत में गवर्नमेन्ट इन्टरफीयरेंन्स करेगी। अगर आप यह चाहते हैं कि इस क्लॉज को हटा दिया जाय। ५६ और ५७ में स्टेट गवर्नमेन्ट को अधिकार न देकर जिला परिषद् को यह अधिकार देना चाहिये इस तरह से जो कानून हम सस्ता बनाना चाहते हैं, वह नहीं बनेगा जो इसका फायदा उठाना चाहेंगे, वे उठा सकते हैं। ऐसे इस तरह से होगा क्या कि छोटे छोटे मामलों के लिये हाईकोर्ट में जाना होगा उसके लिये ज्यादा खर्च होगा। इसलिये यह जो इस क्लॉज, चेप्टर फोर है इस ५६,५७ के रहने से जनता का कोई वर्ग फायदा उठा सकता है। सरकार इसमें इन्टरफीयरेंन्स करेगी। आपने देखा होगा पंचायत एक्ट जो है उसकी क्लॉज ७४, ७५ और म्युनिसिपल एक्ट की धारा १६४,६५ बहुत कम केसेज में इन्टर-

(श्री मूलचन्द डागा)

फीयरेन्स होता है उसमें क्लॉज हैं The collector concerned will give his report, उसमें रीजन्स देते हैं इन रीजन्स के कारण इन्टरफीयरेन्स किया गया है । गवर्नमेन्ट उन रीजन्स को देखती है जो रीजन्स कलेक्टर ने दिये हैं वे रीजन्स वास्तव में ठीक हैं या नहीं, उसको देखते हुए ऑर्डर निकालते हैं । आज समाज का स्तर और पंचायतों का स्तर देखते हुए इस क्लॉज की इस समय आवश्यकता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिये कि प्रगतिशीलता के नाम हर एक कदम आगे रखना और वह भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिन संस्थाओं के लिए हम यह नहीं चाहते कि इस प्रकार का काम हो जिन कामों के कारण जनता में रोष पैदा होजाये और उसे रोकने का साधन और उपाय न मिले........

क्योंकि गरीब जनता के पास यह साधन बड़ा सुगम है कि कलेक्टर के पास एप्रोच होकर कह सके और कलेक्टर सरकार को थोड़ा सा लिखकर समझा सकता है और रेमिडी तुरन्त हॉसिल की जा सकती है । अगर इस क्लॉज को हटा दिया गया तो एक ही रास्ता फिर रह जावेगा और वह यह रह जावेगा कि हाई कोर्ट में रिट का जो रास्ता है वह गरीब जनता के लिए बड़ा मंहगा साबित होगा । इसलिए इन क्लॉजों को पूरा पढ़ा जावे तो अधिकारों के हनन जैसी कोई बात इनसे नहीं होगी । पर वास्तव में जनता में किसी कारण से, जातिवाद के कारण से या साम्प्रदायिकता के आधार पर कुछ ऐसे काम हो जावें तो उनके खिलाफ रेमिडी आसानी से जनता को मिल सके, इस दृष्टि से यह क्लॉज आवश्यक है । तो इसलिए ये पावर सरकार को रहने चाहिए । अभी हमारा स्तर, मापदण्ड जो है वह यही है ।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५६ के देखने के बाद, जो स्पिरिट आज कल चल रही है, पंचायतों की पंचों की ट्रेनिंग और एटमोसफियर इस तरह का बनाया जा रहा है कि हम कोई पॉवर दे रहे हैं इधर सर्विसेज में ऑलरेडी इस तरह का वातावरण बनता हुआ चल रहा है कि हम सबोर्डिनेशन में जाना नहीं चाहते या इस तरह की मेन्टेलिटी बनती जा रही है कि हाई पॉवर को वे छोड़ना नहीं चाहते । यदि यह स्थिति है और इन परिस्थितियों में ५६ वाले पावर रक्खे रहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन के माने इस एक्ट में यों रक्खे ही रह जावेंगे और कोई प्रोग्रेस हम नहीं कर पावेंगे ।

अभी माननीय सदस्य ने जिस तरह की चीज बताई कि किसी सीक्रेट काम्युनिटी की कोई चीज, कोई प्रस्ताव पास हो जावे तो यह तो एक जनरेलाइजेशन की बात कह दी । पर जैसा श्री पी० के० चौधरी ने स्पेसीफिक चीज रक्खी कि जहां पार्टीबन्दी है और जहां इलेक्शन में बहुमत के आधार पर कोई चीज पास हुई तो इस क्लॉज का सहारा लेकर माइनोरिटी ग्रुप झगड़ा खड़ा कर सकता है और शान्ति भंग की स्थिति हो सकती है । तो हर चीज में शान्ति भंग करने की परिस्थिति बनाई जावेगी और प्लानिंग के एग्जीक्यूशन का काम रुक जावेगा ।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया कि सरपंच को पॉवर, इज्जत देना चाहते हैं तो फिर डाउट को साथ लेकर आप क्यों चलते हैं कि ऐसा काम वे करेंगे कि शान्ति भंग हो जावेगी या इस तरह का पाप मानकर क्यों चलते हैं कि गड़बड़ी हो जावेगी तो ऐसी सूरत में मैं यह

(श्री होतीलाल)

निवेदन कर रहा था कि यह गवर्नमेंट और कलेक्टर के पास पॉवर महज इसलिए रक्खा है कि जहां सरकार यह देखें कि यहां हमें इन्टरफियर करना है वहां इन्टरफियर कर देगी और आज जो सरकार की मेन्टेलिटी चल रही है उस पर से ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। रीसेन्टली एक किस्सा हुआ, वह मैं बताता हूं। बहुत से हम में से वकील होंगे वे जानते हैं कि इसके लिए आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. में सारे प्रोविजन दिए हुए हैं इन सारी चीजों को चैक करने के। फिर इसकी यहां क्या जरूरत हो सकती थी ? पर आज जो मेन्टेलिटी चल रही है उस परिस्थिति में इन क्लॉजों के रहते कैसे काम कर पावेगा कोई भी। १०७ और ११७ का केस रजिस्टर किया और निवेदन करना चाहता हूं कि जितने माननीय वकील सदस्य हैं वे दिल में सोचें कि उन्होंने १५१ में बन्द होते हुए देखा होगा पर ११४ की तहत चूंकि एक सरपंच से इमीनेन्ट डेन्जर है ब्रीच ऑफ पीस का और पुलिस की रिपोर्ट है कि वह ६ दिन से गायब है उसको मिलता नहीं वह। तो अब अगर ६ दिन तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो जब ६ दिन तक पीस डिस्टर्ब नहीं हुई तो सातवें दिन कैसे डिस्टर्ब हो जावेगी। उसे वारन्ट निकाल कर गिरफ्तार करते हैं और फिर वे स्पेसिफिक चीज देते हैं, सर्विसेज असन्तोष में हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत में ये क्लॉज ओमिट ही कर देने चाहिये। इस पॉवर को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी. आर. पी. सी. और सी. पी. सी. में पॉवर है। इन्हें सरकार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेंट एक माननीय सदस्य ने रखा मैं उसका भी विरोध करता हूं और जो यह क्लॉज है उसका भी विरोध करता हूं।

यह एक हमारे यहां कानून बनाने की परम्परा ट्रेडीशन चला आ रहा है कि हर एक कानून के अन्दर एक सेविंग क्लॉज रक्खा जावे और इस सेविंग क्लॉज को इस लिए रक्खा जावे कि कहीं किसी तरह से भी कोई डेन्जर पैदा हो तो वह सारे गवर्नमेंट डेन्जर को खत्म कर दे।

पहला प्रश्न हमको आज यह सोचना पड़ेगा कि आखिर यह डेन्जर पैदा क्यों होता है यानि जिस एलोमेंट को इलिमिनेट करना चाहते हैं वह डेन्जर क्यों पैदा होता है। ब्रीच ऑफ पीस तक करने के लिए पब्लिक या पंचायत समिति की पब्लिक आमादा हो जावे तो आखिर क्यों ? वे क्यों पीस तोड़ना चाहते हैं हमें कॉज देखना पड़ेगा एक्शन को नहीं। मेरे चाहे व्यूज को एनार्किस्ट कह दिया जावे पर मैं इस विचार का हूं कि जो कानून आप बनाते हैं या कोई भी इन्स्टिट्यूशन किसी तरह से कोई कानून एडोप्ट करता है उस कानून को और जो अगर उस कानून को किसी भी तरह से, अब मेरी जो नीड्स है या जो मेरा तजुर्बा है उनको जो अगर कानून मेरी नीड्स फुलफिल नहीं करता और एक्स-पीरियेन्स के मुताबिक कानून नहीं है तो यह जनतन्त्र में मेरा सबसे बड़ा हक है कि मैं इस कानून के अगेन्स्ट में रिवोल्ट करूं, उसकी खिलाफत करूं और जो इस तरह के कानून को बनावे उसको हटाकर मेरे एक्सपीरियेन्स के मुताबिक जो कानून बनावे उसको वहां बिठाऊं। मैं यह मानकर जनतन्त्र में चलता

(श्री श्रीभानसिंह)

हूं कि जो पोलिटिकल पार्टीज आती हैं वे जनता की मैक्सिमम नीड्स को कहां तक फुलफिल करती हैं। जनता की नीड्स के लिए कानून बनाया जाता है। अगर कानून जनता की नीड्स को पूरी नहीं करता तो जनता को अख्तियार है कि वह उस कानून के खिलाफ और उसके बनाने वाले के खिलाफ रिवोल्ट कर दें। मैं उसको ब्रीच ऑफ पीस नहीं मानता यह एक तरह का एजीटेशन है, रिवोल्ट है ऐसे कानून के खिलाफ, यह मैं मानता हूं क्योंकि वह कानून नीड्स को फुलफिल नहीं करता और यह रिवोल्ट करना जायज है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसको चाहे आप एनार्किज्म कहें, कुछ भी कहें। तो यहां पर मेरे को ऐसी कोई सुपर बॉडी नहीं दिखती जो मेरे इस राइट को डिनाई करे। पर इस राइट को डिनाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से।

हमें एनेलिसिस करना पड़ेगा कि वई स्टेट क्यों डिनोट करते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि जो भी मन्त्री इसके इन्चार्ज हों, हुआ करें। वे इम्पार्शल होंगे। उनके इन्डिपेन्डेन्ट व्यू होंगे। मैं यह भी मानकर चलता हूं क्योंकि यह एक नया कानून है तो उनकी यह राय हो सकती है कि किस तरह से जनतन्त्र की इन्स्टिट्यूशन जो क्रीएट करने जा रहे हैं वह पनपे। उनके एडीफिस को मजबूत बनावें। ये सब दृष्टिकोण होते हुए भी स्टेट की नीड को मैं इन्डिविजुअल नीड से या कॉम्यूनिटी की नीड से सेपरेट नहीं मानता। जैसे कोई कानून कॉम्यूनिटी के नीड्स के लिए बनाते हैं तो मेरा यह दावा है कि स्टेट गवर्नमेंट है वह कॉम्यूनिटी नीड्स को रिफ्लैक्ट करती है। कभी भी एक दूसरे की नीडस से डाइवर्स नहीं होंगे, यूनिवर्स होंगे। कॉम्यूनिटी की नीड्स से डाइवर्जेन्ट होंगे तो उसका हाल केरल जैसा होगा। तो स्टेट जब तक पब्लिक नीड्स को रिफ्लैक्ट करती रहती है तब तक तो क्लैश नहीं आ सकता।

६ म. प.

जब स्टेट और कॉम्युनिटी में क्लेश नहीं आ सकता तो मैं मानता हूं कि यह एक नॉनरूपरसोनीफाइड चीज है वह सब गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उनकी जो इनफार्मेशन देने वाली मशीनरी है वह किस तरह से इनफार्मेशन देगी, उसके बारे में ऐसा बताया है। इसके लिये पहले तो बी० डी० ओ० की रिपोर्ट है, उसके आगे कलेक्टर की रिपोर्ट, उसके आगे कमिश्नर की रिपोर्ट और फिर उसके आगे सेक्रेटरी की रिपोर्ट और उस पर माननीय मन्त्री महोदय अपना निर्णय लेंगे। मैं यह मानकर चलता हूं कि on the spot investigation के लिए न तो माननीय मन्त्री महोदय को ही समय है और न वह वहां जा सकते है। तो यह है उनकी इनफार्मेशन देने की मशीनरी जिस पर मिनिस्टर्स एक्ट करते हैं वह मशीनरी मैं आपको बताऊं पहले से ही प्रिजुडिस है और कलेक्टर को पॉवर्स दे देते हैं कि ऐसे सरकमस्टान्सेस हों तो वह इमीडियेट एक्शन ले ले। अगर इमिडियेट एक्शन कलेक्टर लेलेता है तो जो सबऑर्डिनेट एजेन्सी है वह कलेक्टर के खिलाफ राय नहीं दे सकती और जो ऊपर की एजेन्सी है कलेक्टर और कमिश्नर की नहीं बनती है तो हो सकता है कि माननीय मन्त्री खिलाफ राय दें। लेकिन वह किसी भी कमिश्नर की राय के खिलाफ राय नहीं दे सकते जो कमिश्नर राय

Page No.54

(श्री श्रीभानसिंह)

दे, दे उसके ऊपर सेक्रेटरी डिट्टो राय देकर मिनिस्टर के पास भेज देता है क्योंकि दूसरी एजेन्सी उनके पास है नहीं । अगर एक तरफ अपनी ऑफिशियल एजेन्सीको डिस्पोज करते हैं और पंचायत समिति के रिज्योलूशन को अपहैल्ड करते हैं तो ऑफिशियली मशीनर जो कि इन्फॉर्मेशन देने वाली है उसको चेन्ज करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमारा तजुर्बा है कि माननीय मन्त्री महोदय यह जानते हुए भी कि ऑफिसर ने करप्ट किया है लेकिन उसका अन्दर यह आता है कि कोई करप्ट नहीं हुआ । उसका एक कारण है कि किस तरह का रिप्लाई क्यों आता है क्योंकि वही एजेन्सी है जो कि रिप्लाई देती हैं जिसने कि वह करप्ट किया है। यह ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है और उसकी एडवाइज पर हम जिला परिषद् को सुपरसीड करेंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा। आप एक्सेस ऑफ लॉ का सिद्धान्त मानते हैं। मैं नहीं समझता कि जो राजस्थान के अन्दर लिट्रेसी है और जैसा लोकल सेल्फ मीनिस्टर स्वयं जानते है कि उनमें किसी प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज हो सकती हैं एक्सेस ऑफ लॉ की, इसको थोड़ा हमें लाइटली लेना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा एक्सेस ऑफ लॉ का काम किया तो उसको आपने रद्द कर दिया। जो बोडीज इस तरह के कारण कानून बनाती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन्कान्ट्रावेन्शन हों और एक तरफ अगर आप उनके फंक्शन्स की तरफ देखें तो मालूम होगा कि इनको पांच तरह के फंक्शन्स करने को दिये गये हैं। एक तो कन्स्ट्रक्शन्स के फंक्शन्स कुए, रोड्स वगैरह बनाना, सरा फंक्शन इर्रिगेशन का है, तीसरा इन्स्टिट्यूशन्स फार्म करना, चौथा फंक्शन फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने का और पांचवा फंक्शन मिसलेनियस है। इसके अन्दर कहीं यह प्रश्न नहीं है...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जिला परिषद् के लिए मैंने सुझाव दिया है।

श्री श्रीभानसिंह : कम से कम मैं तो आपकी कोई भी बात जिला परिषद् के बारे में मानने वाला नहीं हूं। क्योंकि आप उन सदस्यों में से हैं जो पहले कह रहे थे कि इनको पुलिस पॉवर्स देनी चाहिए। फिर बाद में आपने कहा कि सुपरसेशन के पॉवर्स देने चाहिएँ । आखिर मैं तो हमेशा इस मामले में आपको इग्नोर करके ही चलूंगा।

तो इस तरह के ५ फंक्शन्स इन जिला परिषदों के दिए हैं। इसमें से कहां पर लीगल ब्रीच होता है। एक रोड कहीं पर कन्सट्रक्ट हो गई तो क्या उससे ब्रीच ऑफ पीस हो जायेगी, क्या वह एक्सेस इन पॉवर होगा। एक कुआ किसी एक अमुक गांव में बन गया और दूसरे में नहीं बना तो उस अमुक गांव वालों ने एजीटेशन किया कि हमारी पहले मांग थी और पहले वहां बनना चाहिए था। उसको आप कह देंगे कि ब्रीच ऑफ पीस हो गया इसलिए कुआं बनाना ही स्थगित कर दिया जाय पंचायत समिति का, क्योंकि इन इन्स्टिट्यूशन्स को आपने लेजिस्लेटिव पॉवर्स, रेवेन्यू पॉवर्स और ज्युडिशियल पॉवर्स नहीं दी, सिर्फ आपने डेवेलपमेन्ट पॉवर्स ही तो दी हैं और इसके अन्दर आप पहले से ही मानकर चलें कि डेवेलपमेन्ट के अन्दर पक्षपात हो सकता है कि एक गांव के अन्दर किसी काम के लिए प्रिफरेंस दिया जा सकता है और

(श्री श्रीमानसिंह)

दूसरे को नहीं। यह मैं मान सकता हूँ लेकिन पारशियेलिटी के लिए यहां कोई नहीं है। तो जो आपने कन्डीशन्स रखी हैं वह हैं ४। Br ach of peace, danger to human life and safey. तो मैं नहीं कह सकता कि इससे क्या मतलब है? अगर डेंजर टू ह्यूमन लाइफ को इसके अन्दर इन्टरप्रेट किया जाय तो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा डेंजर भाखड़ा नांगल से था क्योंकि १० आदमी तो उसमें ड्यूटी पर ही खत्म हो गए, याने ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए याने पंचायत समिति के एक्ट से ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है और सेफ्टी के लिए तो आखिर वह ऐसा कौन-सा एक्ट है। मगर लाइफ के लिए जो मेडीशन्स सप्लाई करेंगे वह सप्लाई करने वाली एजेन्सी तो गवर्नमेन्ट है और किसी भी तरह का ऑर्डर्स प्लेस करने का अधिकार पंचायत समिति को नहीं दिया है। वह है गवर्नमेन्ट की एजेन्सी जो कि मेडीशन्स सप्लाई करेगी और अगर गवर्नमेन्ट किसी प्रकार से गलत मेडीशन्स पंचायत समिति को दे दे तो इसका मतलब यह है कि आप पंचायत समिति को सुपरसीड कर देंगे। जहां एक्शन गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स के खिलाफ लेना चाहिए वहां हम एक्शन लेते हैं पंचायत समिति के खिलाफ। तो यह माना जा सकता है कि इवेन्च्युएली ऐसे सरकमस्टान्सेज के अन्दर डिजोल्यूशन की पावर्स रखने वाले बिगनिंग में ही उनके रेजोल्यूशन को बंद कर दें और जिससे उनके जो कन्सट्रक्शन के स्टेप्स हैं उनको रद्द कर दें तो यह कहां तक जनतांत्रिक होगा पता नहीं है। आपके म्युनिसिपल बोर्ड हैं, तहसील पंचायत हैं और ऐसे ही दूसरे इन्स्टिट्यूशन्स हैं जो कि माननीय सदस्यों ने जो कुटेशन्स दिए कि तहसील पंचायतों के लिए भी यह रखें। मगर यहां तो आप पॉवर्स दे रहे हैं डेवेलपमेन्ट के लिए और डेवेलपमेन्ट के अन्दर यह मानकर चलते हैं कि कास्टीसिज्म रिफ्लेक्ट होगा। एक लोकल इन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपने दूसरे आपने दूसरे इन्स्टिट्यूशन रखे तो जरूर वहां पर प्रेशर होगा। यह तो आप खुद ही महसूस करते हैं। मेरे ऊपर बोझ पड़ेगा तो उससे मैं दबने वाला हूँ। तो जो आपने सुपरसेशन का बोझ रखा है यह पंचायत समिति के इनीशियेटिव को किल करेगा। हम उन लोगों को पॉवर्स दे रहे हैं जो अशिक्षित हैं। वह कानून की धाराओं को नहीं समझ सकते अगर एक्सेस में थोड़ा उसका प्रयोग करेंगे और वह काम जनहित में है तो उसको आप कैसे एक्सेस इन पॉवर कह सकते हैं। हां, यह एक्सेस जरूर है लेकिन यह जनहित में है। तो इस तरह से हमको एक नया एप्रोच, आउटलुक रखना पड़ेगा और उसको लेकर हम चलते हैं तो यह जो पॉवर्स हैं जो पहले से ब्रिटिश टाइम से आ रही हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा। ब्रिटिश टाइम में किसी लोकल सेल्फ इन्स्टिट्यूशन में कोई नेशनेलिस्ट आ गया तो सारे इन्स्टिट्यूशन्स को ब्रीच ऑफ पीस करके डिजोल्व कर देता। लेकिन आज का एप्रोच दूसरा है। आज एजीटेशन के लिए भी हमें थोड़ी गुंजाइश रखनी है। उनको ऐसी पॉवर्स भी देनी पड़ेंगी कि जो एम्बीशस रेजोल्यूशन हों और जिनको आपके कानून अलाउ नहीं करें उनको भी अन्डरटेक कर सकें। इस तरह से जो आपने फंक्शन्स दिए ऐसी पॉवर्स स्टेट गवर्नमेंट को रखना कॉन्ट्राडिक्टरी है और जस्टीफाई नहीं करता

(श्री श्रीमानसिंह)

कि डेवेलपमेन्ट के वर्क्स जो इन्स्टिट्यूशन्स को दिये हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेन्ट पॉवर्स रखे तो यह इवेन्च्युएली नहीं आयेगी। इसलिए यह सुपरफ्लुअस है और क्लॉज ५६ को यहां से हटा देना चाहिए।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व): श्रीमान्, मैं अधिक समय नहीं लेकर केवल दो मिनट ही बात करना चाहता हूं क्लॉज ५६ पर। मैं क्लॉज ५६ के विरोध में हूं। इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता कि सरकार कुछ उचित हालतों के अन्दर विशेष अधिकार का उपयोग नहीं करे। इस दृष्टि से नहीं, बल्कि इस दृष्टि से कि इस धारा से जो अधिक सरकार खुद लेती है या कलेक्टर को दिये गये हैं, वह अधिकार पहले से सरकार के पास में है। मैं दो दृष्टियों से इसको रखना चाहता हूं कानून बनाने की एक स्वस्थ परम्परा होती है उस दृष्टि से और दूसरी एक शासनिक नीति की दृष्टि से, इस धारा का मैं विश्लेषण करना चाहता हूं, और संक्षेप में करूंगा।

कानून बनाने की दृष्टि का, श्रीमान्, जहां तक सवाल है इसमें तीन चीजें हैं, क्लॉज ५६ के अन्दर किसी भी पंचायत समिति के प्रस्तावों को अप्रभावशाली बनाने या रद्द करने का अधिकार राज्य सरकार को या कलेक्टर को तीन हालतों में है। पहली हालत तो यह है कि जब वह प्रस्ताव उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, या किसी कानून के खिलाफ हो तो वह भी वही बात होती है कि अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। दूसरा यह जनस्वास्थ्य, हैल्थ वगैरह के रीजन्स दिये हैं उनके प्रतिकूल पड़ता हो, और तीसरी बात यह है कि कहीं पर शान्ति भंग होने का अन्देशा हो। इन तीन आइटम्स से सरकार ने अधिकार लिये हैं।

मैं समझता हूं कि बड़े प्राचीन जमाने से, जो बड़े सोच समझ कर कानून बनाये गये हैं, और देश ने उन कानूनों का परम्परा से इम्तिहान किया है, जाब्ता फौजदारी के अन्दर कानून मौजूद हैं कि हैल्थ सेफ्टी की वजह से कोई भी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न्यूसेन्स के लिये १३७ धारा के अन्दर एक्शन ले सकता है। कोई भी व्यक्ति एतराज कर सकता है। अलावा न्यूसेन्स के टोर्ट्स के अन्दर मौजूद हैं, सिविल लॉ के अन्दर मौजूद है इसलिये दीवानी अदालतें भी हस्तक्षेप कर सकती हैं, चाहे पंचायतें हो चाहे राज्य सरकार हो। राज्य सरकार कोई काम करे और न्यूसेन्स होता हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको रोक सकता है। ऐसे अधिकार एक परम्परा से इम्तिहान किये हुए कानून के अन्दर है।

दूसरी चीज शांति भंग होने के बारे में इतने जुडीशियल प्रिसीडेन्स, इतने फैसले हाई कोर्टस के हैं कि इस पूरी सदी में छानबीन कर रख दिया है कि धारा १०७ और १४४ की धारा जाब्ता फौजदारी के अन्दर सारी चीजें निकाल कर परम्परा से रखी हैं। अब आप जो कानून बनाते हैं वह परम्परा से अलग हो कर एक अधिकार देते हैं राज्य सरकार और कलेक्टर को देते हैं वह एक अजीब ढंग की है कि सदियों का हमारा अनुभव है वह कुछ नहीं रहता है। कोई न्यूसेन्स करता है तो कलेक्टर एक्शन लेता है, राज्य सरकार इस प्रकार के एक्शन लेती है कि

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

जो सदियों से निकाले हुए बारीकी के कानून है उसमें इन्टरफियर करना चाहते हैं। एक सिद्धान्त है जो कि मेरे लायक दोस्त ने कहा था, वह इतने जोसे नहीं कह पाये, कि सेफ्टी भंग होने के पीछे नियम यह है कि जायज बात कौन करता है, और नाजायज बात कौन करता है। शान्ति भंग का आदेश पैदा होता है तो नाजायज बात कौन करता है उसको रोका जाता है। जायज बात करने वाले को नहीं रोका जाता है। ऐसा १०७ के अन्दर है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट को शक्ति है।

दूसरी यह बात है कि अवैधानिक तौर से, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई रेजोल्यूशन पास किया है उसके लिये हमारे देश के हर आम मुन्सिफ वगैरह को अधिकार है। ऐसे अजीब अधिकार हम सरकार को क्या दे रहे हैं? सरकार के बनाये हुए अधिकारियों के पास में वे अधिकार हैं। वे उन अधिकारों का उपयोग कर कर रहे हैं। परम्परा से निर्धारित किये हुए नियमों के अनुसार है तो क्या उस परम्परा को टालने का आपका मकसद है? परम्परा से टालने का मकसद अगर है तो कानून बनाने की दृष्टि से जो परम्परा अभी तक मौजूद है उसको टालते हैं तो कोई अच्छा कानून उसको नहीं कहते हैं, वह एक स्वास्थ परम्परा नहीं है।

दूसरे प्रशासनिक दृष्टि से अर्ज करूं कि आज हम हर तरह की ताकत राज्य सरकार को देते हैं। राज्य सरकार के पास इतने काम हैं कि जो उसके पास अभी तक काम हैं उनका भी पूरी तरह से इन्तजाम नहीं कर पाती है। जो उनके पास भीड़ है, जो काम पहले से दिया हुआ है, उसमें पूरा कन्ट्रोल सरकार का रहता है तो जो छोटी अदालतें डिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, एक मजिस्ट्रेट कर देती है, एक एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर देता है, जिन कामों को मुन्सिफ कर देता है, फिर सारी चीजों की भीड़ अपनी मेज पर क्यों लेते हैं। राज्य सरकार के पास जो काम है वह उनसे पूरा नहीं होता है। हमारी प्रशासनिक नीति यह होनी चाहिए कि जिस काम को छोटे अधिकारी कर सकते हैं तो बड़े अधिकारी क्यों करें? और हुकमत पर रेड टेप का जो इल्जाम लगता है वह मिट सकता है। इस दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से बिल्कुल गलत नीति अपना रहे हैं। मैं इन दो दृष्टियों से बात कर रहा हूं।

श्री पी० के० चौधरी (श्री बद्रीप्रसाद के उत्तर देने हेतु खड़े होने पर): It is only the Minister-in-charge who can reply or a member of the Select Committee...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: (स्वायत्त शासन मन्त्री) Another Minister can reply, I can reply.

श्री श्रीभानसिंह: It is very important amendment and it is an interruption in the debate.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५६ और ५७ के ऊपर माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति की है, और इसको जिस प्रकार से समझा है वह जरूरत से ज्यादा है। मैं समझता हूं कि यह क्लॉज या यह प्रोविजन जो कि इसमें है ५६ व ५७ के ऊपर वह आवश्यक ही नहीं बहुत ज्यादा आव–

(श्री दामोदरलाल व्यास)

श्यक है, और इसलिये आवश्यक है, वह मैं एक्स्प्लेन करूंगा।

माननीय सदस्यों ने अपनी दलीलें पेश की हैं और यह कहा कि १०७ के अन्दर प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं स्टार्ट कर दी जाती हैं, अगर ब्रीच ऑफ पीस होता है तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि जो लीगली कॉन्स्टिट्यूट बोडीज है होती हैं वे कोई रिजोल्यूशन पास करती है तो जब तक वह रिजोल्यूशन इन फोर्स है किसी मजिस्ट्रेट को पॉवर नहीं है कि उसको अनलॉफुल डिक्लेअर कर दे। यह बहुत सीधी सी बात है लेकिन कानूनी हेरफेर करके दूसरा इन्टरप्रिटेशन दें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रिजोल्यूशन इन फोर्स है और लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बोडी का रिजोल्यूशन है।

श्री महेन्द्रसिंह : On a point of information, Sir. मैं जानना चाहूँगा....

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not finished as yet.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आपकी केबिनेट डिसीजन कर लेती है कि महेन्द्रसिंह को कत्ल कर दें तो क्या मजिस्ट्रेट उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता हैं। कोई आपका केबिनेट डिसीजन होता है..........

श्री दामोदरलाल व्यास : You are going perhaps too far you see यह समझने की बात है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक लीगली कॉन्स्टीट्यूटेड बोडी का रिजोल्यूशन है और यह रिजोल्यूशन जब तक इन फोर्स है उस वक्त उसको एक्जीक्यूट करने का लीगली उनको अधिकार है, और जब लीगली अधिकार है रिजोल्यूशन को एक्जीक्यूट करने का तो कोई मजिस्ट्रेट नहीं कह सकता है कि उसके एक्जीक्यूशन को रोक दिया जाय। १०७ का मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि अनलॉफुल एक्ट किया जा रहा है तो १०७ से बाइन्ड हाउस हो सकता है, वर्ना नहीं हो सकता है। १०७ की दलील दी कि उसके अन्दर मजिस्ट्रेट इमिजियेटली इन्टरफियर करदे और बाइन्ड डाउन कर कर देंगे। बाइन्ड डाउन किसको करें? सारी पंचायत समिति की एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी को। एक्जीक्यूशन जो है उसके लिए वह बहुत ही लीगली एन्टाइटल्ड है। अगर रिजोल्यूशन है लीगली कॉन्स्टीच्यूटेड बोडीके द्वारा पास किया हुआ है, यह बिल्कुल गलत दलील है कि कानून १४७ के अन्दर बाइन्ड डाउन कर दिया जयगा, अनलॉफुली डिक्लेअर कर देंगे।

दूसरी बात कही कि पब्लिक न्यूसेन्स माना जायगा। माननीय सदस्य एक बहुत बड़े वकील हैं और बहुत सफल वकील हैं, उन्हें मैं बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूँ, मगर मैं समझता हूं कि इस कारण से मैं उनके विचार को ठीक नहीं समझता हूं कि मजिस्ट्रेट किसी पब्लिक न्यूसेन्स को और जो लीगली एन्टाइटल्ड है it may be a nuisance but according to law वह बिल्कुल लीगल है, मगर आप उसको पब्लिक न्यूसेन्स डिक्लेअर करें तो I submit this will not be the correct use.

इसलिये यहां ऐसा मौका आ सकता है जब कोई रोयट हो जाय, या ब्रीच-ऑफ पीस हो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जाय तब भी आप कहते हैं कि पॉवर स्टेट गवर्नमेन्ट के पास नहीं रहनी चाहियें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं रखी जानी चाहिये जिसकी जिम्मेदारी है जिले भर के लिये। उसके बजाय आप पॉवर्स देना चाहते हैं जिला परिषद् को। जिला परिषद् एक ऐसी बोडी है जो ऐवरी टाइम इन सेशन' नहीं होगी, उसको बुलाने के लिये १०, १५ दिन का नोटिस होगा और ब्रीच ऑफ पीस इमिडियेटली हो रही है तब भी आप कहते हैं कि जिला परिषद् को पॉवर दो। पहले ब्रीच ऑफ पीस हो जावे और फिर परिषद् मिले तो इससे क्या फायदा होगा इसलिये जिला परिषद् को पॉवर देना बिल्कुल बेकार होगा।

इसी तरह से कोई मिसयूज ऑफ पावर करता है, एब्यूज ऑफ पावर या और कोई इसी प्रकार की चीज हो तो उसके लिये सारे अधिकार गवर्नमेन्ट को होने चाहिये, पंचायत समिति के रिजोल्युशन को कैंसिल कर सके। इसके साथ साथ पंचायत समिति को सुनने का मौका देंगे और फिर गवर्नमेन्ट अपना फैसला देगी। और जहां ब्रीच आफ पीस हो रही हो वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर होना चाहियें। आप पंचायत एक्ट को देख लीजिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देख लीजिये, दूसरी स्टेट्स के एक्ट्स को देख लीजिये, सस्पेन्शन और डिज़ोल्युशन के पॉवर्स कलेक्टर को दिये गये हैं। हर जगह हैं। कहीं इन्सपेक्टर के नाम से है कहीं कुछ नाम से हैं लेकिन हर जगह है। इसलिये यह कहना कि इस हाथ से पॉवर दे रहे हैं और उस हाथ से ले रहे हैं, उचित नहीं है। इस प्रकार के पॉवर्स पंचायत एक्ट में हैं तो कब गवर्नमेन्ट ने उनके रिजोल्युशन को कैंसिल किया। ब्रीच आफ पॉवर का खतरा इमिजियेटली हो तो कलेक्टर को केवल सस्पेन्शन के पॉवर्स हैं। To suspend the execution ये पॉवर्स उनको दिये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने और खास कर बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेन्ट के काम में ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है। मैं कहता हूं कि इसमें ब्रीच ऑफ पीस बहुत कुछ हो सकती है। एक आदमी के पास जमीन है उस पर यदि अनऑथेराइज्ड कंस्ट्रक्शन करेगा तो He has got severy right to defend the land and for that he can use every force. फोर्स यूज़ करेंगे तो ब्रीच ऑफ पीस होगी। बहुत से ऐसे केसेज हो सकते हैं जिनमें ब्रीच ऑफ पीस का मौका आ सकता है। इनमें कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से पॉवर नहीं देंगे तो केऑस हो जायगा। मैं यह नहीं कहता कि पंचायत समिति हमेशा गलतियां ही करेंगी। लेकिन यदि गलती कर जाय तो कोई मिसचीफ न हो इसके लिये स्टेट गवर्नमेन्ट को और जो आदमी लॉ एन्ड ऑर्डर के लिये रेस्पोन्सिबल है, उसको पॉवर होनी चाहिये। इसलिये फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ मेरे जवाब के बाद वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री परसराम (आसीन) : I may be permitted to withdraw my amendment,

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५६ पर जो संशोधन श्री परसराम ने पेश

Page No.60

(श्री उपाध्यक्ष)

किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री परसराम : I withdraw it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजिज ५६ और ५७ स्वीकार की जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉजिज ५६ और ५७ स्वीकार किए गए।

Clauses 58-59. They are deemed as moved.

श्री परसराम (आसीन): उपाध्यक्ष महोदय, In the place of the Collector, the word 'the District Development Officer' be substituted.

In part (a) line two, the words 'or Zila Parishad' be omitted.

In part (c) line one the word 'or Zila Parishad' be omitted.

In sub-clause (2), line one, the words 'or Zila Parishad' be omitted and in line two, the words 'the Collector' be substituted by the word 'the District Development Officer.'

उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ५६ में मेरा अमेन्डमेंट नामंजूर हुआ है और मुझे उम्मीद नहीं कि किसी भी हालत में यह अमेन्डमेंट भी मंजूर होगा। लेकिन मैं, सेक्शन ५८ पर जो मेरा अमेन्डमेंट है, उस पर कुछ कहूं इससे पहले मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना पसन्द करूंगा कि सेक्शन ५८ में कलेक्टर को पंचायत समिति या जिला परिषद् के दफ्तर में या जहां कहीं उनका काम हो रहा है उसका इन्सपेक्शन करने का, प्रेमिसेज में एन्टर होने का और डॉक्यूमेंटस को देखने की तमाम पॉवर्स दी गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे बिल को देखते हैं तो सेक्शन ३५ तक जहां कहीं शब्द 'कलेक्टर' इस बिल में है वह रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से है। इसके बाद सेक्शन ३५ में डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट ऑफिसर की हैसियत से एक्स ऑफिशियो मेम्बर जिला परिषद् का बनाते हैं क्योंकि यह तमाम विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक योजना का प्रोग्राम को और उसकी गतिविधि को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इस सूरत में उसको एक्स ऑफिशियो मेम्बर रखा है, वह ठीक है। लेकिन इसके आगे सेक्शन ४४ में उनको अधिकार दिया जाता है कि जिला परिषद् और उसकी सब-कमेटीज में किसी भी वक्त जाकर बैठ सकते हैं और डेलिबरेशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां वह डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर रहता है और उसको आगे सेक्शन ४६ में भी पॉवर हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेन्ट ऑफिसर के सिलसिले में सरकार ने मुनासिब समझा है कि उससे कोऑर्डिनेशन या समन्वय ज्यादा बढ़ सकेगा। वह पंचायत समितियों और लोकल ऑफिसर के बीच और पंचायत समिति और जिला परिषद् के बीच समन्वय रख सकेगा।

(श्री परसराम)

इसके आगे इसी व्यक्ति को सेक्शन ५६ (३) में पंचायत समिति के रिजोल्यूशन को कैंसिल और सस्पेन्ड करने का अधिकार दिया है और यही व्यक्ति सेक्शन ५८ में रेकॉर्ड को इन्सपेक्ट कर सकता है या प्रेमिसेज में घुसने का अधिकार लेना चाहता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मेहता कमेटी की रिपोर्ट है वह इस बात की द्योतक है कि डेवेलपमेन्ट का काम ब्यूरोक्रेसी की मार्फत कराया जा रहा था वह फेल हो गया और एक ऐसा समय आया जब स्टेगनेन्ट हो गया, तब बलवन्तराय मेहता कमेटी के नाम से स्टडी टीम का निर्माण किया गया। ब्यूरोक्रेसी की मार्फत काम करने से लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी, जन सहयोग ले नहीं सके, इसलिए पंचवर्षीय टार्गेट एचीव नहीं हो सके और उनमें कमी रही।

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक ये महाशय डिस्ट्रिक्ट डेवेलेपमेन्ट ऑफिसर की हैसियत से थे और फिर क्लॉज ५६ के बाद कलेक्टर की हैसियत से आते हैं, इसे मैं दोहरा समझता हूं। जब कलेक्टर की हैसियत से आते हैं तो मैं यह कहूंगा कि ३ तरह से ये जिले में बैठते हैं, एक तो कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू की हैसियत से, दूसरा लॉ एंड आर्डर के लिए डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की हैसियत से और इस बिल के अनुसार अख्त्यार दिये हैं या मेम्बर बनाया है एक्स ऑफिशियो वह डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट ऑफिसर की हैसियत से है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस सत्ता का हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन करने जा रहे हैं और जिसके लिए हाउस सेंक्शन दे रहा है वह सत्ता यदि विकास के मामले में है तो मैं समझता हूं जिस तरह की पॉवर सेक्शन ४६ के नीचे डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट ऑफिसर की हैसियत से दी थी, वह काफी थी। लेकिन इससे भी वह सेटिसफाइड नहीं हुआ और कलेक्टर को अगले सेक्शन ५६ में और पावर दिये हैं। सेक्शन ५६ में कलेक्टर को पॉवर्स दिये हैं। यदि डेवेलपमेंट ऑफिसर की हैसियत से उनको पावर ४६ में दिये हैं तो फिर ५६ में कलेक्टर को पॉवर्स देना दोहरी नीति है। मैं मानता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी करों के मामले में जब सदन में जवाब दे रहे थे, तो उनकी ऐसी मान्यता थी कि सदन के कुछ माननीय सदस्यों की इस विकेन्द्रीकरण में आस्था नहीं है, इसलिए कभी कर के मामले को लेकर, कभी गांव वालों को अनपढ़ समझ कर इस डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन में शंका रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि राजस्थान की सरकार, जहां तक डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का प्रश्न है, वह जन प्रतिनिधियों में विश्वास नहीं रखती है। (करतल ध्वनि) उन पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो मैं कह सकता हूं कि कलेक्टर को जिस तरह, उसे एक प्रतिनिधि समझिये, एक एजेन्ट समझिये, जिस हालत में उसको धीरे धीरे बैठाया है, रिक्रूटिंग ऑफिसर से शुरू होकर कलेक्टर की हैसियत से जो अख्तियारात दिये हैं, उसका अन्दाजा लगायें। उपाध्यक्ष महोदय, वह जिला परिषद् का मेम्बर है, एक्स ऑफिशियो मेम्बर है, इसके साथ ही वह जिला परिषद के ऑफिस में एंटर हो सकता है, उसके रिकॉर्ड को देख सकता है। क्या पोजीशन रहने वाली है उनकी ? जो वहां मेम्बर की हैसियत से बैठने वाले लोग हैं, वहां पार्लियामेंट के मेम्बर और एम० एल० ए० बैठने वाले हैं।

(श्री परसराम)

आप सिविल लिस्ट देखिए तो कलेक्टर पार्लियामेंट के मेम्बर से बहुत नीचे आता है। हमारे यहां २६ डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनेंगी, उनमें से १० में पार्लियामेंट के मेम्बर बैठेंगे। उनके दफ्तर में वह घुसना चाहता है और घुस कर वहां के रिकॉर्ड को देखना चाहता है। मैं समझता हूं यह उनकी इनडिगनिटी होगी। जो सदस्य वहां बैठेंगे, उनके लिए यह एक लज्जाजनक बात होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि जो डिसेन्ट्रलाइ-जेशन की स्कीम है, उसको गांवों में लागू करने की जिम्मेदारी सरपंच या इस हाउस में बैठने वाले सदस्यों की है, चाहे इस हाउस के सदस्यों को आप उनमें किसी हैसियत से रखें लेकिन जिम्मेदारी उन पर आने वाली है, अगर उनका कोऑपरेशन नहीं हुआ तो जो डिसेन्ट्रलाइजेशन की स्कीम है, वह फेल हो सकती है, जिसे पहले ब्यूरोक्रेसी फेल कर चुकी है। आज उसी ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास किया जा रहा है, हमारी सरकार भरोसा करती है कलेक्टर पर। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों से राजस्थान में मेले लग रहे हैं, बहुत से केम्प्स ऑर्गेनाइज़ हुए हैं, जहां डिसेन्ट्रलाइ-जेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं देखता हूं कि ६० परसेन्ट, जो ट्रेनिंग लेने आये हैं, वे विश्वास नहीं करते हैं और स्कीम का मखौल उड़ाते हैं। उसी स्कीम के अन्दर कलेक्टर, ब्यूरो-क्रेसी के रिप्रेजेन्टेटिव की हैसियत से जिला स्तर पर हैं और राजस्थान सरकार उसको अख्तियारात देने जा रही है वह स्कीम के विपरीत है, यह एक प्रकार से इसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय विरोधाभास है। महोदय, मेरा अमेंडमेंट था कि सेक्शन ५८ में जहां कहीं वह कलेक्टर है, इसको सब्स्टी-ट्यूट किया जाय डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट ऑफि-सर से, एक चार्ज, दूसरा संशोधन यह था कि जहां कहीं वर्ड जिला परिषद है, उसको ओमिट किया जाय। जिला परिषद को ओमिट करने के लिए मेरा निवेदन है कि जिला परिषद् का मेम्बर होते हुए भी जिला परिषद् के काम में इन्टरफियिरेन्स करेगा, एक तरफ जिला परिषद् को पावर्स नहीं दी है, यह एक एल्ड-रली और सम्माननीय व्यक्तियों की संस्था बनाई है, मखौल उड़ाने के लिए कहा जाय, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसका क्या काम होगा, क्या प्रिमिसेज होगी। मैं निवेदन करूं कि केम्प्स में जो ट्रेनिंग दी जा रही है डिसेन्ट्रलाइजेशन की, उसका वातावरण और जो एक हवा राजस्थान में बनी है, उससे मालुम होता है कि एक द्वन्द छिड़ा है हमारे राजस्थान के जन प्रतिनिधियों और ब्यूरोक्रेसी के बीच में, उसमें ब्यूरोक्रेसी के प्रतिनिधि उस पर हावी हो रहे हैं और जन प्रतिनिधियों को नीचा देखना पड़ा है। क्लॉज ५६ में पॉवर्स दे दी गई हैं कलेक्टर को, वह रेवेन्यू का हैड है और रेवेन्यू का विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है, माल का विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है। पटवारी किसी विकास समिति, पंचायत समिति में जाने वाला नहीं। इस लैंड रेवेन्यू के हैड को दोहरी पॉवर देना, दोहरे स्वरूप में रखना, मैं समझता हूं ठीक नहीं है, इसे रेवेन्यू मिनिस्टर खुद महसूस करते होंगे। इसमें जो पॉवर्स दी गई हैं वह इसलिए दी गई है कि उनका वाच जिस तरह होना चाहिए, उस तरह रहे। आप वाच कराना चाहते हैं, क्योंकि क्लॉज ५६ में जो पावर्स दी गई हैं, उसमें वाच शब्द रखा है। मैं समझता हूं कि आप संकोच कर रहे हैं पावर देने में आप घबरा रहे हैं, इससे, यह जो आप विकेन्द्रीकरण की पूरी स्कीम लागू कर

Page No.63

(श्री परसराम)

रहे हैं, शायद यह कामयाब हो या नहीं हो। आप एक तरफ देश में प्राथमिकता करने जा रहे हैं डिसेन्ट्रलाइजेशन के बारे में, दूसरी तरफ जन प्रतिनिधियों पर अविश्वास करते हैं। यह विरोधाभास है। अतः, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो संशोधन है कि 'कलेक्टर' की जगह 'डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर' रखें जैसा कि आगे एपीअर होगा क्लाज ३५ और ४४ के अन्दर। उसके बाद ४६ में, उसको दोहरे स्वरूप में नहीं लाया जाना चाहिए और जिला परिषद् जिसका कि वह मेम्बर है, के किसी रिकार्ड को देखने का, या उसकी प्रीमिसेज में एन्टर होने का अख्तियार नहीं दिया जाना चाहिए। यह मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५८ में मेरे दो संशोधन हैं। सब-क्लॉज १ में है :

Substitute the words Development Commissioner or his Deputy or Assistant Development Commissioner (Panchayat), for the word 'Collector.'

सब-क्लॉज २ में है :

Substitute the words 'Development Commissioner or his nominees for tho word 'Collector'.

बात यह है कि कलेक्टर को जहां हमने इतना अधिकार दे दिया, वहां हम इस अधिकार में और वृद्धि करने जा रहे हैं। सवाल यह था कि कलेक्टर जहां रिजोल्यूशन को भी समाप्त कर सकेगा और उसका एक सदस्य भी है, और वहां एक ऑफिशियल की तरह बैठ सकेगा, पंचायत समिति के अन्दर, जिला परिषद् के अन्दर और ऑफिस के अंदर वह डे टू डे रुटिन वर्क में दखलन्दाजी कर सकेगा और जिन कामों में दखलन्दाजी का अधिकार देना चाहते हैं, वह है किसी भी अचल सम्पत्ति, किसी भी कार्य, जो किसी भी पंचायत समिति या जिला परिषद् के नियंत्रण में चल रहा है, मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा काम सिस्टेमेटिकली चल रहा है डेवलपमेंट का काम, लेकिन एक व्यक्ति ने जाकर कलेक्टर को कह दिया, कलेक्टर इस बात पर नाराज है उस जिला प्रमुख से कि जिला प्रमुख ने कलेक्टर की इच्छानुसार काम नहीं किया, तो जबरदस्ती रोड़ा अटकाने के लिए और हैरेस करने के लिए, इस प्रकार सुप्रीम ऑथोरिटी को शो करने के लिए वह डेवलपमेंट के काम में बीच में जाकर कहेगा, यह काम गड़बड़ी का है, इस प्रकार इसे करना चाहिये। बात यह है कि किसी काम की आलोचना करना साधारण बात है, किसी निर्माण के काम, जो निर्माण काम हो रहा है, निश्चित तौर पर उसमें अच्छे से अच्छे कुशल कारीगर को बैठा दें, तो गलती निकल सकती है। तो वहां जाकर, कलेक्टर जिला प्रमुख को शक्ति दिखलाने के लिए, उसे अपनी सुप्रीम ऑथोरिटी दिखाने के लिए, बीच में जाकर दखलन्दाजी कर सकेगा। इसका कारण क्या होगा, सिर्फ आपस का मनमुटाव। वह किसी स्कूल, औषधालय, वेक्सीनेशन स्टेशन पर, कुक्कुट पालन क्षेत्र में, जो पंचायत समिति या जिला परिषद् के नियन्त्रण में चल रहे हैं, उनका इन्सपेक्शन कर सकता है। आप देखिए. कोई स्कूल चल रहा है, उसमें वह इन्सपेक्शन करेगा, उसमें

(डॉ० बहादुरसिंह)

क्या इन्सपेक्शन करेगा। जो मैंने संशोधन रखा है, वह यह है कि डेवलपमेंट कमिश्नर जिसके अन्तर्गत आपने पंचायत दे रखी है, वह व्यक्ति वहां भी इसलिए स्वीकार किया है कि डेवलपमेंट कमिश्नर और पंचायत अधिकारी हैं, इन पंचायतों का काम देखने के लिए, उसमें कहीं जाकर इन्क्वायरी कर सकता है, उसके पेपर वगैरह मांग सकता है लेकिन अगर आप कलेक्टर को पावर्स देते हैं तो मैं यह उचित नहीं समझता। कलेक्टर वहां रह कर कभी कभी निश्चित रूप से पार्टी पोलिटिक्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि जहां पंचायत समिति, जिला परिषद् होगी, जिलापरिषद् एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़ा काम करने जा रही है, वह एक बहुत बड़ी बोडी है, तो यदि जिला अधिकारी के दिल में यह बात जंच जाय कि जिला परिषद् को भंग करना है, इसको कन्डेम कराना है तो वह रोड़े अटका सकता है। वह रोड़े इस तरह से अटकायेगा कि फलां फलां मेम्बर ने शिकायत की है कि काम ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है, गड़बड़ की जा रही है, आखिर वहां राजनैतिक लोग बैठेंगे, विधान सभा के सदस्य भी बैठेंगे और किसी विधान सभा के सदस्य ने कलेक्टर की अधिक आलोचना कर दी और उसके पक्ष में कोई काम होने वाला है तो कलेक्टर रोड़े अटकायेगा, या कलेक्टर कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए कुछ काम कराना चाहता है और जिला परिषद् ने उसको पसंद नहीं किया तो कलेक्टर जरूर गड़बड़ी करेगा। तो इस प्रकार के निरीक्षण के अधिकार कलेक्टर को देना उचित नहीं। निरीक्षण इस बात का करेगा कि गड़बड़ी हुई है तो डेवलपमेंट कमिश्नर कलेक्टर को डेप्यूट कर सकता है। पर दैनिक कार्यों के लिए कलेक्टर को इस प्रकार के अधिकार देना उचित नहीं होगा, कोई सिरफिरा कलेक्टर आया और उसने देखा कि आखिर मैं भी कलेक्टर हूं, मुझे कुछ करके इनको बताना चाहिये तो वह इसमें रोड़े अटकायेगा।

तो जब हम विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, वहाँ एक व्यक्ति को इतने पॉवर्स दे रहे हैं कि अति कर रहे हैं। मेरी राय तो यह थी कि कलेक्टर को, कोई इस प्रकार का पद देते कि as a Secretary बैठता। पर आपने इसको प्रमुख, महाप्रमुख करके बैठा दिया और इस पर भी उसकी कहीं अपील नहीं। यही नहीं कि कलेक्टर ने कोई ऑर्डर कर दिया तो पंचायत समिति कहां जाकर अपील करे। तो सार्वभौम सत्ता कलेक्टर को कर दिया यह ठीक नहीं है। मैं तो यह चाहता था कि दोनों को हटाना चाहिए। पर एक इसके लिए मैंने यह संशोधन दिया है कि कमिश्नर को इस प्रकार के अधिकार देने चाहिए।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५६ में मेरा एक अमेंडमेंट है :

The word 'Collector' be substituted by the words 'The District Development Officer, in line 2.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि धारा ५६ है, इसके अन्दर जो पॉवर्स हम देने जा रहे हैं, वह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के हैं और उस ही को देने चाहियें। ५६ के

Page No.65

(श्री तेजाराम गहलोत)

अन्दर यह है कि एक तो पंचायत समिति का काम चल रहा है, एक्सटेन्शन ऑफिसर भी कोऑर्डिनेशन करें और स्टेट के प्लान का एक्सटेन्शन ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, पंचायत समिति जो लोन दे रही है, उस पैसे की रिकवरी कर रही है कि नहीं, ये कलेक्टर के फंक्शन्स नहीं हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर के हैं, कलेक्टर को यहां रेस्पोन्सिबल ठहराते हैं, वह ठीक नहीं है, इसलिए मेरा संशोधन है कि 'कलेक्टर' शब्द को हटाकर 'डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर' कर दिया जाय।

इसके साथ ही साथ श्री परसरामजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। कलेक्टर को जो पॉवर दिया है वह डिसेंट्रेलाइजेशन के सिद्धान्त के विपरीत है। जिला परिषद् का ऐसा सदस्य कलेक्टर को बनाया है कि उसको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया है, ४६ में जिला परिषद् के सदस्य को अधिकार नहीं है कि वह रिकार्ड देख सके, एज ए होल जिला परिषद् को अधिकार दिया है कि वह रेकार्ड देख सकती है। पर ५६ में नोन वोटिंग ऑफिसर कलेक्टर है, जिसको वोटिंग का अधिकार नहीं ऐसा सदस्य है, उसको हम वोटिंग ऑफिसर से भी ज्यादा अधिकार दे रहे हैं जो डिसेंट्रेलाइजेशन के सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत होगा, यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं करके एक व्यक्ति विशेष में सत्ता थोप रहे हैं। इसलिए कलेक्टर की बजाय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कर देना चाहिये, क्योंकि विकास के कार्यों के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जिम्मेदार होगा, वह उसकी ड्यूटी भी है। कलेक्टर केवल रेवेन्यू के सिलसिले में हैड ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट माना जा सकता है। तो परसराम जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं भी समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि ५८ में 'कलेक्टर' के बजाय 'डिस्ट्रिक्ट डेवलमेन्ट ऑफिसर' कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज ५६ का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों क्लॉजेज को डिलीट कर दिया जाय। इन दोनों क्लॉजेज में कलेक्टर को पॉवर्स दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सभी को मालूम है कलेक्टर विभिन्न नामों से इस बिल में भी परिचित है जैसे कि बाहर कई नामों से परिचित है। इसी तरह कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहीं एग्जीक्युटिव ऑफिसर, कहीं डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट ऑफिसर है। कलेक्टर जैसे कि भगवान् श्रीकृष्ण के १०८ नाम होते हैं वैसे ही कलेक्टर के डिस्ट्रिक्ट में १०८ नाम हैं। जिला विकास अधिकारी, जिलाधीश, जिलाधिपति, जिला नरेश, ये कलेक्टर के नाम हैं.......

श्री मूलचन्द डागा : जिला नरेश ?

श्री पी० के० चौधरी : जी हां जिला नरेश। कलेक्टर्स की कॉन्फेन्स हुई थी तो सुपीरियर ऑफिसर ने कहा था कि कलेक्टर जिला नरेश हैं। तो यह डेमी–गोड है, मैं नाम नहीं बताना चाहता कि किसने कहा था पर A Superior Officer who was addressing the Collectors had actually told that they are Zila Naresh. जिले के माहाराजा हैं, उनके ऊपर कोई सुपीरियर ऑथोरिटी नहीं है।...

श्री उपाध्यक्ष : हम मान लेते हैं कि १०८ नाम लेते हैं। आगे चलियेगा।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : यह डेमी गोड हैं, जिलाधीश हैं, इनको अलग अलग सेक्शन्स में अलग अलग पॉवर्स दिये हैं, इनका विरोध करता हूं। क्लॉज़ ५८ में पावर्स दिये हैं उसका विरोध करता हूं, इनको देने की जरूरत नहीं, ५६ में पॉवर्स दिये जाते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट ऑफिसर की हैसियत से वही सेक्शन ४६ में पूरे अधिकार दिये हुए हैं। ५६ ए. बी. सी. के प्रोविजन दिये हैं वही ४६ ए. बी. सी. में, उसमें डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट ऑफिसर की तरह काम कर सकता है। सब क्लॉज़ डी में जो पावर दिये हैं वह It is repugnant and obnoxus

कलेक्टर को पॉवर दिये है कि कलेक्टर पंचायत समितियों के काम की वाच करे और रिपोर्ट करे। "To run to the Government about the Zila Parishad to keep watch over the Zila Parishad".

जो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट ऑफिसर की तरह से पंचायत समिति में सदस्य है वह गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा ऑफिसर की तरह। It is a spying duty. मैं नहीं समझ सकता कि इसका क्या मतलब हो सकता है। यह स्पाइंग ड्यूटी इनको दी है या सी. आई. डी. की ड्यूटी इनको दी है।

माननीय उपाध्यक्ष, जिला परिषद् के वार्किंग के लिए मैं क्लॉज़ ६४ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। पंचायत समिति ६४ के माफिक अपनी रिपोर्ट जिला परिषद् को भेजेगी और स्टेट गवर्नमेंट को उसकी एक कापी भेजेगी।

सेक्शन डी. में लिखा है :

"The Collector shall have power to watch and report to the State Government as to whether priorities fixed in the plans are being adhered to and the general pattern of work is in conformity wih the policies laid down by the State Government or by the Central Government."

याने कलेक्टर जिला परिषद् का सदस्य भी होगा, वह उसकी एक्टिविटीज़ को वाच भी करेगा और उनकी रिपोर्ट भी भेजेगा। मैं समझता हूं कि यह जो प्रोविज़न रखा गया है बिल्कुल ही रेलेवेन्ट नहीं है।

दूसरी बात यह है कि उनको इन्सपेक्शन का पॉवर दिया है। फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि कलेक्टर जिला परिषद् में एक मेम्बर की हैसियत से मेम्बर है over the head of the Zila Parished. मगर आपने उनको ऑथोरिटी दी है कि वह सारे पंचायत समिति और जिला परिषद् के काम को व उसकी प्रोपर्टी आदि को चैक करेगा और इन्सपेक्शन करेगा। मैं समझता हूं कि यह जो हमने सारी चीजें की हैं वे डिसेन्ट्रेलाइजेशन के सिद्धान्तों के विपरीत है और गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान नहीं है कि वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव है। जहाँ पर इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं वहाँ पर जाकर ज़िला परिषद् के चेयरमैन को कले-

Page No.67

(श्री पी० के० चौधरी)

क्टर यह देखे कि जिला परिषद् ठीक तरह से काम करती है या नहीं यह तो उचित नहीं होगा क्योंकि वह खुद भी तो उसका एक सदस्य है मगर गवर्नमेंट ने यह रखा है। क्लॉज ७२ में किसी को पॉवर डेलिगेट करने के अधिकार रखे हैं। अन्डर सेक्शन ७२ गवर्नमेंट कलेक्टर को कह सकती है कि यह काम तुम करो। आपने सारे पॉवर्स कलेक्टर को दिये हैं और मैं यह कहूंगा कि आपने कलेक्टर को इतना सर पर चढ़ाया है, जितना नहीं चढ़ाना चाहिए। कलेक्टर की उत्पत्ति या है, उसका ओरिजन है रेवन्यू कलेक्ट करने वाला। जो पटवारी का ओरिजन है वह उसका है। आज पटवारी भी गाँव में कलेक्टर ही है। And there are two formidable personalities in the Distt.

गाँव लेवल पर आज पटवारी कलेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी कलेक्टर है। मैं समझता हूं कि इस तरह का अगर डीसेन्ट्रलाइजेशन होता है तो इसको डीसेंट्रलाइजेशन नहीं कहा जा सकता। पंचायतों में ग्रामों में पटवारी मनमानी करता है। देखा जाए तो कलेक्टर की उत्पत्ति है....

From collecting the revenue and that was his function.

वह ऐसी हैं जिसको हम मुनीम कह सकते हैं। गुमाश्ता कहते हैं। आज हम उसको इतने पॉवर्स देते हैं और दिये हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। आज हम उनको हिन्दी में जिलाधीश कहते हैं और उसको हमने जिलाधीश बनाया है और फिर हम उसको इतने पॉवर्स देते जा रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा है और डेलीग्रेटली देते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपका ध्यान क्लॉज ७२ की तरफ दिलाना चाहता हूं........

श्री उपाध्यक्ष : कलेक्टर का वह आदि पुरुष हो गया।

श्री पी० के० चौधरी : Section 72-Delegation of powers and power to transfer institutions and works.-The State Government may by notification delegate all or any of its powers under this Act except those conferred upon it by this section and by Sections 57, 68, 69 and 73 to any person or authority, subordinate to them and may, in like manner withdraw any power so delegated. The exercise of any powers delegated under this sub-section shall be subject to such restrictions, limitations and conditions and to such control and revision by such authority as may be specified in the notification... यानि यह जो इन्स्पेक्शन के पॉवर हैं गवर्नमेंट अपने पास रखे and through their own agency no body will question them. लेकिन जब सेक्शन ७२ के अन्डर कलेक्टर को हुक्म देती है सरकार, तो वह उन पंचायतों पर सरजोरी करेगा। उनकी वह रिपोर्ट भेजेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने सेक्शन ६४ में रखा है कि पंचायत समिति जिला परिषद् को अपनी रिपोर्ट भेजेगी और जिला परिषद् अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट साल के आखिर में भेजेगी। लेकिन पंचायत समिति जो रिपोर्ट जिला परिषद् को भेजेगी उसकी एक कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजेगी। जब वह अपनी

(श्री पी० के० चौधरी)

रिपोर्ट की एक प्रति गवर्नमेंट को भेजेगी तो फिर यह सहसा नामधारी कलेक्टर है उनको आप सेक्शन ५६ (३) में पॉवर्स क्यों दिये हैं। यहां पर भी सेक्शन ५६, सब-क्लॉज (३) में कलेक्टर महोदय आते हैं- If in the opinion of the Collector, immediate action is necessary suspend...

श्री उपाध्यक्ष : A passing reference will do Mr. Chaudhary.

श्री पी० के० चौधरी : मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि कलेक्टर भगवान् को कृष्ण की तरह से कहीं एग्जिक्यूटिव मशीनरी में लीव की हैसियत से, कहीं इन्सपेक्टर की हैसियत से कहीं जाकर उनको जिलाधीश की हैसियत से पॉवर दिये जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम लेजिस्लेचर बना रहे हैं We condense it. जो हमारी प्रेक्टिस है उसको मोडिफाई What is there. यह (अश्रव्य) नहीं है। हम एक शक्ति को अलग अलग करके लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। हम एक जगह एकत्रित हुई शक्ति को अलग अलग करके लोगों को गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमको इस तरह से शक्ति को अलग अलग करें ताकि लोगों को यह नजर नहीं आवे कि हमने इतनी शक्ति उन्हें दे दी है। आप उनको अलग अलग जगह पॉवर न देकर एक जगह ही पॉवर्स दे सकते थे। मगर आपने तो उनको जगह जगह पर क्लॉजेज में बैठा दिया है under some comapholis he becomes a formidable personality... अगर उनके पॉवर्स का केटेलोग बनाया जावे तो आप देखेंगे कि Nobody can challenge him. He is the monarch. जैसे गांव में पटवारी है in his empire, we are going in his dominion. आप एक चीज का डीसेन्ट्रेलाइजेशन करने जा रहे हैं। मगर उनके रास्ते में कुरकुटे चलाते हैं। This should not be. तो मैं इस बात के खिलाफ हूं और यह कहना चाहता हूँ कि एक तो डिसेन्ट्रेलाइजेशन कमीशन recommended lessening the control of the Government over the local body. आज हम यह बिल लाये हैं कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हैं, डेमोक्रेसी, जनतन्त्र का डिसेन्ट्रेलाइजेशन करते हैं लेकिन जब हम इस बिल को पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि एक ही व्यक्ति को आपने अलग अलग क्लॉजेज में अलग अलग नाम से पॉवर्स दे दिये हैं। इस चीज को हम डीसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं कह सकते। हम इस चीज को डीसेन्ट्रेलाइजेशन मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल लीड लेने के बजाय यह अच्छा हो कि वहाँ के लोगों को एजूकेट किया जाय हमें यह चाहिये कि सभी लोग वहां पर शिक्षित हों। आपने सारे पॉवर्स कलेक्टर को दिये हैं उसके लिए मेरी प्रोटेस्ट है। I make a protest. कलेक्टरों को सारे पॉवर्स आपने दिये हैं उसके बारे में मैंने श्लोक बनाया है, वह इस प्रकार है।

श्री उपाध्यक्ष : ठोक ठाक कर लिया।

श्री पी० के० चौधरी : परमेश्वर के हाथ में शंख चक्र, गदा और पद्म आदि हैं। कलेक्टर के हाथ में शंख नहीं, गदा नहीं फिर

(श्री पी० के० चौधरी)

भी क्लेक्टर की गांव में स्थिति क्या होगी ? हे भगवान ! आपके हजार नैन हैं। आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका जन्म सफल होगा। इसी प्रकार जिस पर क्लेक्टर की नजर पड़ जावेगी उसका जन्म सफल हो जावेगा। बाकि इस बिल के जरिये सारे पॉवर्स क्लेक्टर को दिये गये हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस धारा में ५८ व ५६ क्लॉज में पावर्स दिये हैं इसको डिलीट कर दिया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो धाराएं इसमें रखी हैं

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhari, you have made a lot of progress now.

श्री मुरलीधर व्यास : ये दोनों धाराएँ इसमें रखी गई हैं उनको रखने में थोड़ी गलती इस प्रकार हो गई है जिसके समझने थोड़ा भ्रम होता है। हमने यहां तक देख है कि इसमें पावर शब्द नहीं है बल्कि ड्यूटी भी है। क्लेक्टर के कर्त्तव्य क्या हैं, उसके साथ ही साथ उसके अधिकार भी हैं। इसमें इस प्रकार लिख दिया है। लिखा तो आखिर उन लोगों के जरिये हैं जिन लोगों के दिमाग पुरानी परम्परा के अनुसार जो लाल फीता-शाही के बने हुए हैं, जिस तरह के कानून आज तक बने और जिस तरह का तरीका रहा उसके अनुसार किसी प्रकार से डाइरेक्शन ऊपर से दिया गया है। इसमें ऐसा मालूम होता है कि क्लेक्टर को बड़ी भारी पॉवर्स दे दी गई।

मैं यह महसूस करता हूं कि इसके अन्दर जो कुछ जैसे ५८ का क्लॉज है, कहा गया कि इसको डिलीट किया जाय, ५८ क्लॉज-ए है :

"(a) to ensure that technical assistance is made available to extension officers by connected department of the State Government,"

अगर टेक्निकल सहायता समितियों को ठीक ढंग से दी जाती है इस चीज को देखना और नहीं दी जाती है तो उसके लिए काम करना, यह तो एक कर्त्तव्य होना चाहिये और अगर वह नहीं कर सकता है तो अफसरों की शृंखला जोड़ी हुई है और इसके साथ न रखें तो वह एक विचित्र सी चीज हो जाती है। इसी प्रकार से इसके अन्दर 'सी' है : "(c) to see that Panchayats and Panchayat Samitis are provided with necessary assistance in the early recovery of their dues whether as tax or on account of loans." इसमें भी देखना है कि इस प्रकार से होता है या नहीं। ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं इस प्रकार से। इस तरह कर्त्तव्य इसके साथ जुडे हुए हैं और इसके साथ साथ इसमें लिखा गया है ५८ में ऊपर Power of entry and inspection. ऊपर इस प्रकार से लिखा है और उसके बाद ५८ में भी उसके कुछ कर्त्तव्यों की ओर भी ख्याल किया गया है। तो मैं समझता हूं कि लिखने में कुछ तरीके ऐसे डाल दिये गये हैं जो अप्रजातान्त्रिक हैं और आज के तरीके से देखने में भी ठीक नहीं दिखते हैं। आप एक ओर सत्ता का तो विकेन्द्रीकरण करते हैं और जनता के नुमाइन्दों को देना चाहते हैं लेकिन इस प्रकार से लिखा देते हैं जिसको देखकर ही कानों पर एक भन्नाहट सी मालूम होती है कि क्या बात है और मैं मानता हूं कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

५८ वें में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पंचायत समिति या जिला परिषद् जाकर निरीक्षण कर सकती है, देख सकती है, एक ओर तो जिला परिषद् और पंचायत को सुप्रीम माना है और दूसरी ओर नहीं। जनतान्त्रिक इकाइयों में बैठने वाले अधिकारी हैं, वे हर कमेटियों में बैठेंगे, वहां जाकर वे इन्स्पेक्शन कर सकते हैं तो ऐसा इस प्रकार से लिखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो लोकतान्त्रिक तरीके से अधिकार दिये गये हैं उन पर एक कुठाराघात है। मैं खुद ऐसा महसूस करता हूं कि वे ही आदमी हर कमेटी में रहें और उसके साथ साथ तो उनको इस प्रकार से अधिकार न देकर तीसरे को दे दिये जावें, कमिश्नर को दे दिये जांय, जो कि वे वह उसमें बैठने वाला नहीं रहता है और जो संशोधन रखा है वह उपयुक्त होगा। कमिश्नर खुद तो उसमें बैठता नहीं है, इसलिए प्रिजुडिस नहीं हो सकता, समझ जाओ कि कलेक्टर के बात समझ में नहीं आई और डेमोक्रेटिक तरीके से पास हो गया और पॉवर दे दी तो स्वाभाविक है कि दिमाग संतुलित न रहे, एक आदमी कमेटी में बैठा है, राय दे देता है पक्ष या विपक्ष में, यह संभव हो सकता है कि साधारण मनुष्य का दिमाग सन्तुलित नहीं रह सकता है। मनुष्य मनुष्य ही है, उसको इस तरह के अधिकार न देकर यदि कमिश्नर को दे दिये जावें तो कोई बुरा नहीं होता है। क्लॉज ६८ में, जैसा फुलेरा से आये माननीय सदस्य ने बताया....

श्री उपाध्यक्ष : Is there any amendment to this effect ?

श्री मुरलीधर व्यास : है साहब अमेन्डमेन्ट कमिश्नर का।

तो जैसा ६४ में अधिकार रखा है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् सालाना रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी, हर महीने प्रस्तावों की नकल दी जायेगी जनतान्त्रिक तरीके से ही अधिकार रखें। वैसे सरकार के पास तो हर चीज आवेगी परन्तु स्टेट गवर्नमेन्ट को विश्वास नहीं है। भय है कि जनतान्त्रिक तरीके से कहीं दलबन्दी हो जाय, बातें वहां की हमारे पास न आवें तो सरकार ने ऐसा तरीका रखा है। इससे ऐसा महसूस होता है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् के प्रति सरकार को अविश्वास है। शायद सूचना न दे। यदि नहीं भेजे तो आप तो मंगवा सकते हैं। आपके पास महीने के महीने पहुंच सकती है। क्लॉज ६४ में पहुँचने की सारी चीजें मौजूद हैं परन्तु फिर भी सरकार ऐसा महसूस करती है कि शायद हमारे पास न आये और मैं समझता हूं कि वह भेजने का काम भी जिला अधिकारी, सेक्रेटरी की हैसियत से आवेगा, सरकारी नौकर है, उसकी ड्यूटी है और यह उसका काम है। जिला परिषद् के य. भेज सकता है। सारा अधिकार है। यह जो क्लॉज रखा है और यह जो व्यवस्था की है इससे महसूस होता है कि जिला परिषद् और पंचायत समिति में सरकार को पूर्ण विश्वास नहीं है, जनतान्त्रिक प्रणाली द्वारा शासन कर रही हैं लेकिन उनमें आपका विश्वास नहीं है, इसीलिए हमारी जो प्रशासनिक प्रणाली है उसको भी ये अधिकार देना चाहते हैं। जिला परिषद् जनतान्त्रिक शासन प्रणाली है। सरकार समझती है, ठीक बात है, इसमें कुछ अपना कर्तव्य समझता है कि इस प्रकार का मैं मानता हूं कि जहां तक कर्त्तव्य का सम्बन्ध है

(श्री मुरलीधर व्यास)

वह पालन होता है या नहीं, होना चाहिये और जो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में कलेक्टर का सही दृष्टिकोण माना गया है तो वहां यह माना गया है कि प्रशासनिक तरीका लोकतान्त्रिक होगा, उसको वह करने का अधिकारी होगा और इसको स्वीकार किया है सिद्धान्त रूप में। वह इस काम को करता है या नहीं ? ड्यूटीज़ जिस तरह से बराबर काम में ली जानी चाहियें वह ली गई हैं बराबर या नहीं, उसकी रिपोर्ट तो होनी चाहिये। जहां तक कर्त्तव्य का सवाल है वह निर्धारित है, इसलिए इन्स्पेक्शन को करने का अधिकार इसमें नहीं रहना चाहिये। मैं चाहता हूं कि ड्यूटीज इस तरह से रख दी जायं जिससे दिखने में भी ठीक रहेगा और यह अधिकार कमिश्नर को ही दे देना चाहिये। कमिश्नर को इस प्रकार के अधिकार रहेंगे तो वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा। मैं यह बात मानता हूं कि जो कर्त्तव्य दिये गये हैं उनको हटाने से, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने हटा देने के लिए कहा है, इसका मतलब यह होगा कि जो अधिकार दिये हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। प्लानिंग के अनुसार काम होता है या नहीं यह वह देखेगा और सरकार को इत्तिला देगा। यह उसका कर्तव्य है कि प्लानिंग के अनुसार काम हो रहा है उसकी इत्तिला दे। सरकारी अधिकारी जिनको जो ड्यूटी दी गई है वे उनको पूरी तरह से निभाते हैं या नहीं, योजना के अनुसार काम करते हैं या नहीं, जो टेक्निकल सहायता मिलनी चाहिये वह मिलती है या नहीं। इन चीजों को हटा देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए इन्स्पेक्शन का जो अधिकार रखा है वह कलेक्टर को न देकर कमिश्नर को दे दिया जाये। यह ज्यादा प्रजातान्त्रिक हो जायगा और आप लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि जैसा कि हमारे फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि उसको तो १०८ नाम हो गये। कोई बड़ा भारी अधिकारी हो गया। उसको सारे पॉवर दे दिये गये। अब उनको अधिकार देते समय कुछ ड्यूटीज में शुमार किये गये हैं। इससे अधिकारों को ड्यूटीज में बदल देंगे तो १०८ में से कुछ कम नाम हो जावेंगे। १०७ भी हो जावेंगे जैसे जिलाधीश वगैरह कुछ भी कम होंगे तो ज्यादा अच्छा है। इस दृष्टिकोण से कमिश्नर का संशोधन रख दिया जावे। खुद देख लें इस क्लॉज ५८ पर सिम्पल रखा गया है The Power of entry and inspection. नीचे लिख दिया है The Collector may enter on and inspect. ये एन्टर और इन्सपेक्ट शब्द ऐसे हैं जो ड्यूटीज में बदले जाने चाहिए। नहीं तो दिखने में भी ये अधिकार और ये शब्दावली ऐसी दिखेगी कि जैसे कोई सत्ता का विकेन्द्रीकरण तो करना दूर रहा, हम तो उसी लाल फीताशाही को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५८ और ५६ का मैं विरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान में मेहता कमेटी की सिफारिशों के विरोध में जाकर कदम उठाये हैं। कमेटी ने यह रिकमंड किया था कि जिला परिषद् और पंचायत समिति के अध्यक्ष बी. डी. ओ. और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर रहें। पर इसके विपरीति आपने यह कदम उठाया है कि जनता के चुने हुये आदमी प्रधान हों। यह हमने वास्तव में एक साहसिक कदम उठाया

Page No.72

(श्री भीमसेन)

है । इसमें शक नहीं । पर इस क्लॉज ५८ के मुताबिक कलेक्टर को सुपीरियर अफसर मान कर आप इन्सपेक्टर करने का अधिकार दे रहे हैं जबकि ४६ में वे ही अधिकार आपने दे रखे हैं और वे काफी पर्याप्त हैं । तो वैसे कर्टसी के नाते कोई भी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर आए और रिकॉर्ड देखा करे और अपने सुझाव दे तो यह बात दूसरी है । कर्टसी के तौर पर कोई भी पब्लिक का आदमी भी आ सकता है, देखभाल कर सकता है । पर एक स्ट्रिक्ट पॉवर आप किसी को दें और वह अपने को सुपीरियर मान कर आवें तो मैं निवेदन करूंगा ये पॉवर आप न न दें । पब्लिक को सुप्रीम बॉडी रहने दें । जो साहसिक कदम आपने उठाया है उसको पीछे न हटने दें । वैसे मानी हुई बात है कि सेक्रेटरी रहेगा वह सरकार का आदमी रहेगा । फिर मेरी समझ में नहीं आया कि इसका मकसद क्या है ? जब सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस का आदमी होगा तो कलेक्टर फिर उसको देखे । इस संबंध में....

श्री उपाध्यक्ष : This has been rightly dealt with. This will be repetition. Many of the members have dealt with this issue.

श्री भीमसेन : तो इन शब्दों के साथ में यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो यह प्रावधान रखा गया है उसे डिलीट कर दिया जावे । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister incharge will please reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैंने सारी बहस तो नहीं सुनी । इसलिए पूरा जवाब तो नहीं दे रहा, पर कलेक्टर के इन्सपेक्शन के पॉवर के बारे में जो चर्चा हुई है उसके लिए निवेदन करना है कि और भी दूसरी जगह जहां कहीं डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स होती हैं वहां सभी जगह इन्सपेक्टरेट की व्यवस्था है । इंग्लैंड जैसी डेमोक्रेटिक सेट अप की संस्थाओं में है । काउन्टीज में, बरोज में वगैरह में जाकर आप देख सकते हैं । कुछ गवर्नमेंट के अपोइन्टेड ऑफिसर्स होते हैं । क्लॉज ६० में हमने यही अधिकार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को दिये हैं । ऐसा कहा गया है । पर वहां तो एक तरह की ड्यूटीज सोंपी है पंचायत समिति के हैल्प करने के लिये ताकि जो हैल्प उसे चाहिये वह मिले । क्लॉज ५८ में देखेंगे तो यह है: "(a) to ensure that technical assistance is made available to the extension officers by the connected departments of the State Government." इसी तरह : "(c) to see that Panchayats and Panchayat samitis are provided with necessary assistance in the early recovery of their dues, whether as tax or on account of loans." उसी प्रकार डी में भी कहा है : "(d) to watch and report to the State Government as to whether priorities fixed in the Plans are being adhered to."

मतलब यह कि जो प्लान में अगर यह तै पाया है कि प्राइमरी स्कूल खुलनी चाहिये और इतनी खुलनी चाहिये या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना होना चाहिये, एग्रीकल्चरल पोटेन्शियलिटी इतनी होनी चाहिए वह सब हुई या नहीं यह देखते हैं ।

Page No.73

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आज तो इवेलूएशन कमेटी होती है। भारत सरकार के आदमी आते हैं और वे प्लानिंग कमीशन और अलग अलग मिनिस्टरों तक को रिपोर्ट करते है कि सब जगह जो पैसा दिया गया है उसका प्रोपर यूटीलाइजेशन हो रहा है या नहीं या जो टारगेट तै किये हैं फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। तो अब इन सब बातों के लिये गवर्नमेंट कोई अलग से इन्सपेक्टरेट कायम करती, इसके बजाय इसमें ये अधिकार कलेक्टर को रख दिये हैं तो इसमें क्या ऐतराज की बात हो गई।

दूसरे क्लॉज ५८ में इन्सपेक्शन का राइट दिया है। इसकी व्यवस्था तो वैसे भी है। आज कहीं कोई जाकर कहे कि फलां जगह लोगों को इस प्रकार की शिकायत है और आप चल कर इन्सपेक्शन करिये। ऑन दी स्पोट चलकर हालत मालूम करिये तो वैसे भी वह कर सकता है। तो फिर इसमें ऐतराज क्या है? आज तो पंचायतों में इन्सपेक्शन का काम इन्सपेक्टर्स करते हैं। दूसरी जगह लोकल बॉडीज के इन्सपेक्टर लोकल बोडीज का इन्सपेक्शन करते हैं। तो कलेक्टर जैसा रेस्पोन्सिबल ऑफिसर इस ड्यूटी को स्वयं अन्जाम दे तो इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं होनी चाहिए।

अब जिला परिषद् के लिए जो कलेक्टर को रखा गया है वहां अगर उसे नही रखा और वहां से हटा दिया जावे तो ऐतराज की बात नहीं है क्योंकि जिला परिषद् एक तरह इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिव बोडी की तरह नहीं है और फिर कलेक्टर उसका एक सदस्य भी है तो एक सदस्य भी है तो एक सदस्य होता हुए उस संस्था का वह इन्सपेक्शन करे यह ठीक नहीं मानी जा सकती तो इसको डिलीट किया जा सकता है।

इसके बाद में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। तो कलेक्टर के नाम से ही यही समझें, मुझे बताया गया है कि यह कोई बहुत असाधारण व्यक्ति कलेक्टर बना गया है तो ऐसी कोई कल्पना नहीं है। दूसरे से कहते कि तुम इन्सपेक्शन करो, इसके बजाय हमने कलेक्टर की ड्यूटी लगा दी। कोई न कोई तो इन्सपेक्शन करने वाला रखना ही होता। फिर ऑडिट पार्टी वाले भी आवेंगे इन्सपेक्शन करने तो और इस तरह से कलेक्टर से कम स्टेटस के बहुत से लोग होंगे। तो फिर कलेक्टर से ही ऐतराज क्यों?

श्री पी० के० चौधरी : Under section 72, you can send anybody, we have no objection.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : But this is the right for inspection. इन्सपेक्शन का राइट रक्खा है। अब ७२ के अन्दर जो व्यवस्था है वह जनरल है। किसी स्पेसिफिक परपज के लिये इन्सपेक्शन करने के पॉवर डेलीगेट नहीं कर रहे हैं उसमें। फिर कलेक्टर एज एन ऑफिसर रेस्पोन्सिबल जिसे सारे डिस्ट्रिक्ट की सारी सूचनाएं हैं सारी प्लान को समझता है, उसके टारगेट्स को जो समझता है, जो स्कीम है अब वे पूरी वर्क कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करने वाला तो होना चाहिये, नहीं। जहां लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने जारहे हैं और एक टारगेट निश्चित किये हैं तो उनको देखना

Page No.74

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तो होगा ही, कि कितना क्या काम हो रहा है। फिर कलेक्टर जाकर यही तो देखेगा। कोई एक्शन तो नहीं ले लेगा। या इस क्लॉज से हम यह तो कोई अधिकार उसको नहीं दे रहे हैं कि वह वहां जाकर किसी को बर्खास्त कर देंगे। आखिर इसमें क्या ऐतराज हो सकता है कि वह वहां जाकर रेकार्ड और दूसरी चीजों को एग्जामिन करे। इसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्लॉज ६४ मौजूद है फिर क्या बात है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे अमेन्डमेन्ट्स हैं उनके सम्बन्ध में श्री दामोदरलाल जी बता देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : क्लॉज ६४ ही इस काम के लिए मौजूद है तो फिर क्या बात है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Section 64 is regarding administration reports. रिपोर्ट आ जायेगी। मौके पर जाकर देख सकेगा। We want inspection.

अगर सेक्रेटरी रुपया वहां पर ट्रान्सफर करता है तो स्ट्रिक्टली वहां जाकर देखने वाला तो होना चाहिए। तो clause 64 is only about administration reports.

श्री मूलचन्द डागा : इसमें फिर सुपीरियोरिटी की भावना आ जायेगी कि जन प्रतिनिधि के काम को कलेक्टर देखे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : केवल भावनाओं से थोड़े ही हो हो जाता है। इसमें राइट्स दिए हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): With you rpermission, Sir, I will move the amendment that in clause 58. the words "or Zila Parishad" may be omitted wherever occuring. रहा सवाल दूसरे अमेन्डमेन्ट्स का। फलौदी से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है और कलेक्टर के बजाय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट ऑफिसर कर दिया जाये। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर जो प्रोवीजन्स हैं एक तरफ कलेक्टर के पॉवर्स और एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट ऑफिसर के पॉवर्स हैं तो as district Development Officer, he is to report to the Zila Parishad. अपने क्लॉज ४६ में देखा कि जहां उसको पॉवर्स दी हुई है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट ऑफिसर जिनको एक्सरसाइज करेगा He will report to the Zila Parishad and he will not report to the Government. But as head of the district administration and representative of the Government has been given certain powers of inspection and certain duties have been imposed on him, यह जो क्लॉज ५६ है इसके लिए एतराज की बात नहीं है। इसके अन्दर तो कलेक्टर की ड्यूटीज दी हुई हैं। वह कोई उसके पास पावर्स तो हैं नहीं। वह उसके पास में

Page No.75

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऐसी ड्यूटीज़ हैं कि जो पंचायत समिति और जिला परिषद् के बैटरमेन्ट के लिए होंगी और उनका काम अच्छी तरह से हो सकेगा और उनको किसी प्रकार की डिफिकल्टी न आये और जो ड्यूज पंचायत समिति के हों उनको रियेलाइज़ करायें। आज "(a) to ensure that technical assistance is made available to Extension Officers by the connected departments of the State Government."

यह तो उसकी ड्यूटीज़ हैं कि वह टेक्नीकल असिस्टेन्स अवेलेबल करेगा एक्सटेन्शन ऑफिसर्स के लिए। दूसरी बात यह है :

"(b) to see that adequate precautions are taken and sufficient provisions are made for the recovery and repayment of loans advanced by the State Government to Panchayat Samitis."

उसके ऊपर यह ड्यूटीज़ रखी गई हैं: "(c) to see that Panchayats and Panchayat Samitis are provided with necessary assistance in the early recovery of their dues whether as tax or on account of loans" जितनी भी पंचायत समिति की रिकवरीज़ करनी होगी वह तो कलेक्टर को एप्रोच करना पड़ेगा और उनकी ड्यूटीज़ रखी हैं यह मदद करेगा कि पंचायत समिति के जहां कहीं भी एरियर्स हैं उनकी वसूली का इन्तजाम करे। इसमें उसको कोई पॉवर्स थोड़े ही हैं...

श्री मुरलीधर व्यास : ड्यूटीज़ और पॉवर्स तो एक ही हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो फिर पॉवर्स को आप रिमूव कर दीजिए As a matter of fact these are all duties on the Collector. इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। वह तो एडीशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा और सब की सब ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि जिससे पंचायत समिति को मदद मिलेगी। अब रहा सवाल इन्सपेक्शन के लिए। इसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक्सप्लेन कर दिया है। आप हर जगह देखेंगे कि जहां जहां भी पंचायत समिति डिफरेन्ट स्टेट्स में हैं और उनके लॉ हैं इन्सपेक्शन के लिए हर जगह प्रोवाइड किया गया है। लेकिन इसके पॉवर्स नहीं दिए हैं he has not been invested with any powers. He can only inspect development work, he can inspect the records of Panchayat Samities उनको इन्सपेक्शन करने के पॉवर्स जरूरी हैं पर उनको यह पॉवर्स नहीं हैं कि वह इन्टरफियर करे। जो कुछ रिपोर्ट करनी होगी he will either report to the Zila Parishad or to the State Government, but so far as Panchayat Samiti is concerned, he will by himself be not entitled to take any action after inspection. इसलिए खाली इन्सपेक्शन से क्यों डरते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि कलेक्टर के पास इनफॉरमेशन जाए कि किसी पंचायत समिति के फन्ड्स में घोटाला है he should be given every right to go and inspect the papers to find out if there is any embezzlement or falsification of accounts or misappropriation of funds. यह तो होही जाना चाहिये। उसके पास खबर जाये कि फलां जगह कन्सट्रक्शन हो रहा है और उसमें मस्टररोल गलत बने हुए हैं He should have every right to go and

Page No.76

(श्री दामोदरलाल व्यास)

check it. He will do only inspection. For action, he will have to write to the Government. He himself will not take any action. इसलिए इसके अन्दर एतराज होने की बात नहीं है। इसलिए हम नहीं चाहते कि जहां हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर की पॉवर्स सेक्शन ४६ में डिफाइन कर चुके हैं उसको यहां पर रिपीट करें—that will not be proper. यह यहां पॉवर्स इसलिए दी गई हैं कि स्टेट गवर्नमेन्ट को जब कभी रिपोर्ट करनी हो तो कर सके। इसी तरह से डेवलपमेंट कमिश्नर के पॉवर्स भी अलग हैं। हमको डेवलपमेन्ट के मामले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के हाइएस्ट ऑफिसर को पॉवर्स देनी जरूरी हैं। इसलिए जो अमेन्डमेंट दिया है वह एक्सेप्टेबल नहीं है।

दूसरा अमेन्डमेंट भी वैसा ही है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट ऑफिसर कलेक्टर की जगह सब्स्टीट्यूट कर दिया जाये। इसलिए तीनों अमेन्डमेंट्स माननीय सदस्य वापिस ले लेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषदें होने के कारण...

श्री उपाध्यक्ष : I proceed to put the amendments to vote.

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो क्लॉज ५८ पर जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री तेजाराम गहलोत : I may be permitted to withdraw my amendment

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तेजाराम गहलोत ने क्लॉज ५८ पर प्रस्तुत किया है, उसके वापिस लेने की इजाजत दी जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री तेजाराम गहलोत : I withdraw my amendment.

श्री परसराम : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री परसराम ने क्लॉज ५८ पर प्रस्तुत किया उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री परसराम : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलालजी ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५८, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ५८, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५६ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ५६ स्वीकार किया गया।

क्लॉज ६०

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६० पर मेरा अमेन्डमेन्ट है Replace the word "may" by the word "shall" and delete the words "or any of the" and also replace the words "such date as may be specified in the notification" by the words and figures "30th September, 1959"

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६० में एबोलीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है। उसमें सब-क्लॉज़ १ में कहा है: "(1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan District Boards Act, 1934, (Rajasthan Act 2 of 1954) or in any other corresponding law in force in any part of the State, the State Government may, by notification in the official gazette, abolish all or any of the District Boards in the State with effect from such date as may be notified" मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उपाध्यक्ष महोदय, उसका मकसद सिर्फ यही है "State Government shall abolish all the District Boards in the State with effect from 30th September." याने यहां पर जो डिस्क्रिशन रखा गया है Government shall abolish all of any or the District. Boards by notification from any date यह डिस्क्रिशन उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि एक्जीक्यूटिव्ज के हाथ में रहे। जब हमने पंचायत समितियों में भी फर्क नहीं रखा है। यदि पंचायत समिति सब जगह एक साथ बनेंगी तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में यह क्यों रखा कि गवर्नमेन्ट की मर्जी है उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को तो कल ही खत्म कर दे और किसी को तीन साल तक भी खत्म नहीं करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं यह डिस्क्रिशन रखा जायेगा तो कल ही जयपुर का या सवाई माधोपुर का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वह कानून

(श्री पी० के० चौधरी)

के पास होने के बाद में एक हफ्ते के अन्दर अन्दर खत्म हो जायेगा। लेकिन अजमेर का, सीकर का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पता नहीं कब खत्म होगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उनको कब खत्म किया जायेगा। यह क्लॉज में ऐसा प्रावधान है —Government shall abolish all or any of the District Boards by notification from any date they like. यह डिस्क्रिशन उनके ऊपर रखा गया और यह क्लॉज रखा गया कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एबोलिशन में गवर्नमेन्ट को डिस्क्रिशन रहता है कौन से को खत्म करने का और कौन से को खत्म नहीं करने का तो कोई कल ही खत्म हो जायेगा और कोई १६६१ तक चलता रहेगा। तो यह डिस्क्रिशन रखना ठीक नहीं होगा। हमारे यहां राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कोई सैकड़ों की तादाद में तो हैं नहीं केवल ८-१० मुश्किल से होंगे उनको खत्म करने की एक ही तारीख क्यों नहीं रख देते Why are you not able to do it all at a time? उपाध्यक्ष महोदय, आप इतनी बड़ी भारी गवर्नमेन्ट चलाते हैं वैसी हालत में मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एक साथ भंग क्यों नहीं करते। आप उसके लिये चाहे १६६० तक का समय ले लीजिये लेकिन लीजिये सबको एक साथ। There should be no discrimination between District Board and District Board. आप अजमेर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को १६६१ तक भी भंग नहीं करेंगे। और जयपुर और सवाई माधोपुर के जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनको आप तुरन्त ही भंग कर देंगे। यह चीज है गलत। आप यदि इस प्रकार का केटेगोरिकल स्टेटमेंट दें कि हम सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो हैं उनको एक साथ और एक ही तारीख को भंग कर देंगे तो मैं कुछ मान सकता हूँ। आखिर राजस्थान में हैं कितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स उनकी केवल संख्या तो आठ दस ही है उनको एक ही तारीख में टेक ओवर क्यों न किये जायं। आप सीन्सीयरिटी ऑफ दी एक्जीक्यूटिव इस पॉवर्स को डिसक्रिशनरी पॉवर्स का मिसयूज नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं मेरा यह अमेन्डमेन्ट है उसे स्वीकार करना चाहिये। ताकि लोग यह समझ सकें कि पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को सबको एक साथ खत्म कर दिया जायेगा। पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी के लिये यह जरूरी है कि ऐसा कोई एप्रीहेन्शन लोगों के दिमाग में हो चाहे वह गलत भी हो तो for proper functioning of democracy, for maintaining the confidence in the executive गवर्नमेन्ट के लिये यह जरूरी हो जाता है कि हर तरह से इस प्रकार के एप्रीहेन्शन को दूर करना चाहिये। और वह एप्रीहेन्शन दूर करने का एक तरीका है और वह यह कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एबोलिशन की एक ही तारीख होनी चाहिये। या तो माननीय मंत्री महोदय सदन में यह स्टेटमेन्ट दे दें कि वे सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को एक ही साथ और एक ही दिन खत्म करेंगे तो हम मान सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि जयपुर का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो आप १२ सितम्बर को खत्म कर डालेंगे और सीकर और अजमेर का आप १६६१ तक करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि to restore the confidence of the public माननीय मंत्री महोदय को चाहिये कि या तो इसके बारे में केटेगोरिकल स्टेटमेंट दें या मेरे अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन

(श्री मुरलीधर व्यास)

करना चाहता हूँ। मैं यह समझ रहा था कि पंचायत समितियों के निर्माण के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स समाप्त हो जायेंगे। लेकिन इसमें जो टर्म्स रखे गये हैं उनके अनुसार सरकार अपनी इच्छानुसार जिस किसी बोर्ड को तो वह एक दम खत्म कर सकती है और किसी को वह चाहे तो १६६१ तक चालू रख सकती है। इस प्रकार के जो कानून बनाये जाते हैं उसमें इस प्रकार के थोड़े से भी पक्षपात की गुंजाइश रहती है तो उसका मतलब यह हुआ कि कानून बनाने वाले भी उस पक्षपात में शामिल हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि जब हम सद्भावना के साथ कानून बना रहे हैं तो वैसी हालत में हम यदि इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को एक साथ खत्म कर दिया जायेगा तो यह बहुत उचित रहेगा। उसके साथ साथ आप डिस्क्रीशनरी पॉवर्स अपने हाथ में रखते हैं तो इससे होगा क्या कि कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को तो आप जल्दी खत्म कर देंगे और कुछ को जिससे आप अपनी पार्टी का लाभ समझते हैं उसको आप १६६१ तक कायम रख सकते हों। इसके लिये चाहे आप लम्बा समय ही निर्धारित कर दें लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को समाप्त करने की एक ही तारीख निश्चित करें। चाहे अक्टूबर के बाद में, दो महीने बाद में, चार महीने बाद में कोई भी समय आप रखें लेकिन एक समय अवश्य निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। कानून में इस प्रकार की खामी रह जाती है उसका दुरुपयोग हो सकता है। इस दुरुपयोग से सरकार को बचना है तो इस प्रकार की खामी नहीं रखनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, इस बात को ध्यान में रखें कि इसका दुरुपयोग न होने पावे। इसलिए फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो राय दी है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। यदि हम इसमें एक तरह की बात नहीं रखते हैं तो यह एक प्रकार से सिद्धान्त का हनन होगा यह डिसक्रीमिनेशन है इस पर पूरा गौर होना चाहिए। यह मामूली बात नहीं। यहां पर हम ऐसे कानून बनावें जिस पर कोई आंख उठाकर या उंगली उठाकर न कह सके कि यह कानून ठीक नहीं है। ऐसी हालत में इस प्रकार का डिसक्रीमिनेशन नहीं होना चाहिए और न इस प्रकार के अधिकार भी सरकार को अपने हाथ में रखने चाहिए कि वह चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जल्दी खत्म कर सकते हैं चाहे जिसको बाद में दो वर्ष बाद में। अगर हम ऐसा करते है तो इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा यही मेरा निवेदन है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक अमेंडमेंट है। पहले मैं उसको प्रस्तुत कर देता हूं। अमेंडमेंट नं० २६७ वह इस प्रकार है:

Add the following sub-clause 3A,

"(3A) Any taxes that were being levied and collected by an abolished District Board immediately before the date of its abolition, shall, if such taxes are permissible under section 27 of this Act continue to be levied and collected after the constitution of a Panchayat Samiti for any area of the said District Board, by such Panchayat

Page No.80

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Samiti unless it decides otherwise by resolution." जहां तक इस अमेंडमेंट का सम्बन्ध है यह एक साधारण है। आज अपने यहां जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनके ऊपर ओबलिगेटरी ड्यूटीज हैं कि वह अपने एरिया के अन्दर लैन्ड रेवेन्यू इम्पोज कर सकते हैं। यहां पर राजस्थान में ११ डिस्ट्रिक्ट और १ सब-डिवीजन ऐसा है जिसमें आलरेडी सेस लगी हुई है। इसलिए इसमें यह प्रोवीजन करना जरूरी है कि ओबलिगेटरी टैक्स जो उस एरिया के अन्दर लागू है वह बदस्तूर वसूल होता रहे, इसलिए यह प्रोवीजन रखना आवश्यक है। अगर पंचायत समिति अदर वाइज डिसाइड करती है They can discontinue by their resolution. ओटोमेटीकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रिप्लेस हो जाने से वह बन्द नहीं हो जायगा। यह पंचायत समिति को डिस्क्रीशन है कि वह अपने यहां रेजोल्यूशन द्वारा उसे डिसकन्टिन्यू करवा सकती है।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसमें एक अमेंडमेंट रखा है। वे अभी यहां हैं नहीं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब गवर्नमेंट का सवाल आता है तो उनके दिमाग में बहुत बड़ा एप्रीहेन्शन हो जाता है कि इस प्रकार के पॉवर्स सरकार के पास होंगे तो उनका मिसयूज हो जायगा। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जब हम कोई कानून बनाते हैं तो हमें हर कन्टिजेन्सी से एनवीसेज करना होगा हम इस बारे में हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स यह बना नहीं सकते कि हम इस तारीख को तमाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को एबोलिश कर देंगे। यह निश्चित कर देने से एक प्रकार से गलती हो जायेगी। कानून बनाते वक्त कई पॉवर्स देने पड़ते हैं ऐसी हालत में जब किसी प्रकार की कन्टिन्जेन्सी आजाय तो उस हालत में हमें तो डिपार्चर करना पड़ेगा। यह कह देना कि सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को एक साथ खत्म कर देंगे यह गलत होगा। कानून में इस प्रकार के प्रोवीजन नहीं होते। कानून के अन्दर एग्जीक्यूटिव को पॉवर्स देने पड़ते हैं और उन पॉवर्स को वह जुडिशियली काम में लें। किसी भी कानून में ऐसा होता नहीं। किसी भी क्लॉज में इस प्रकार की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकती। हो सकता है हम १५ तारीख तक ही सुपरसीड कर दें और भी जल्दी कर सकते हैं। माननीय सदस्य को ज्यादा फिकर जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है, उसको रखने की है। वही माननीय सदस्य जो दूसरी तरफ बैठे हुये हैं उन्हें बीकानेर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एबोलिश कराने की हो सकती है। दोनों भावना और इरादे अलग अलग हैं, दोनों मिल कर यह चाहते हैं कि इस प्रकार के पॉवर्स रख दिये जायं। बाकी यह है कि भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट अपने पॉवर्स जुडीशियली एक्सरसाइज करेगी, आरबीट्रेरिली पॉवर्स को एक्साइज नहीं करेगी। इसलिए यह जो अमेन्डमेंट पेश किया है यह लॉ के अन्दर प्रोवाइड नहीं हो सकता है, और मुझे वह मंजूर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि जो संशोधन क्लॉज ६० पर श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६० पर जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६० को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६० संशोधित रूप से स्वीकार की गई।

क्लॉज ६१

श्री दामोदरलाल व्यास : My amendment is, substitute "sub-committee." for "committee." This is only a printing mistake.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ६१ पर श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६१ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६१, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

Now from clause 62 to 71 there are no amendments and I therefore put them together.

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६२ से ७१ तक को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६२ से ७१ स्वीकार किये गये।

श्री परसराम : Are you not moving amendment No. 201 ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is in a separate section, 70-A.

After clause 70, insert the following new clause:-

"70A. Infringement of rules and bye-laws- In making any rules under section 69 or any bye-laws under section 70, the State Government or the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, may direct that a breach of any of them shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees ....etc. etc. यह उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी अमेंडमेंट्स हैं। रूल्स या बाईलाज जो बनायेंगे उनका इफेक्टिव एनफोर्समेंट नहीं हो सकेगा इसलिए यह पेनल क्लॉज बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि म्युनिसिपल पॉवर देना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ७०ए जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया जाय

श्री दामोदरलाल व्यास : After clause 71, insert the following new clause-

"71A, Recovery of unutilised subsidies and grants. Whenever in exercise of any power conferred on it by this Act, a Panchayat Samiti shall have sanctioned to any institution or individual a subsidy or grant of money for any specified purpose and the whole or any portion of such subsidy or grant shall be found not to have been utilised for that purpose in accordance wlth the conditions subject to which the subsidy or grant was sanctioned, the same or the un-utilsed portion thereof shall be recoverable by the panchayat Samiti as an arrears of land revenue."

यह, उपाध्यक्ष महोदय मेरे खयाल से, अमेंडमेंट खुद ही साफ सेल्फ एक्स्प्लेनेटरी है यह यह तो वैसे ही हो जाना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : लैंण्ड रेवेन्यू किस से रिकवर करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत समिति में सबसिडी अनयुटिलाइज्ड हो उसको वसूल करने के लिए they will be realised as arrears of land revenve लेण्ड रेवेन्यू को वसूल करने का जो प्रोसीजर है वह लेण्ड रेवेन में प्रेस्क्राइब्ड है।

श्री श्रीभानसिंह : But from whom ? From Gram Panchayats or from individuals ?

श्री दामोदरलाल व्यास : From individuals or institutions, both.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७१-ए को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७१-ए को स्वीकार किया गया। (नया जोड़ा गया) क्लॉज ७२।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, I move the amendment that after sub-clause (1) insert the following new sub-clause:- "(1A) The State Government may likewise assign to any of the officers mentioned in sections 22 and 45 and to the other staff of Panchayat Samitis and Zila Parishads such other functions, not covered by any provision of this Act, as the State Government may consider necessary and proper."

यह फन्क्शन्स, आई थिंक, दिये जाना मुनासिब है जिनको समझे एसाइन कर सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : I oppose this amendment Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, yes, you must oppose. Have you ever supported anything ?

श्री पी० के० चौधरी : I have supported many of your measures. But this is a retrograde measure.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. we will proceed.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ७२ में गवर्नमेंट को डेलीगेशन ऑफ पावर्स के अधिकार दिये गये हैं।

"72. Delegation of powers and power to transfer institutions and works- (1) The State Government may by notification delegate all or any of its powers under this Act except those conferred upon it by this section and by sections. 57, 68, 69, and 73 to any person or authority subordinate to them...'

उसके बाद में माननीय मन्त्री महोदय ने इन्क्लूड किया है इसका नतीजा होता है कि "The State Government may likewise assign to any of the officers mentioned in section 22 and 45 and to the other staff of Panchayat samitis and Zila Parishads such other functions not covered by any provision of this Act, as the State Government may consider necessary and proper.'

उपाध्यक्ष महोदय, हमने पंचायत समिति, जिला परिषद्, बनाई है। उसके लिए हमने एक मशीनरी तैयार की है, और उसको स्टेट्यूटरी पॉवर्स भी दिये है। अब इस अमेंडमेंट के जरिये से गवर्नमेंट इज ओवरराइडिंग दी पंचायत समिति, ओवर-राइडिंग दी जिला परिषद्। उनका जो स्टाफ है, other staff of the Panchayat Samiti and Zila Parishad,एक तो सेक्शन केवल २२ और ४५ है। २२ में तो विकास अधिकारी और सेक्शन ४५ वें के मातहत जो जिला परिषद् का सेक्रेटरी है। उसका अन्डर सेक्शन ७२ गवर्नमेंट के पॉवर्स डेलीगेट कर सकते हैं इस सेक्शन मातहत। अब उसके लिए यह जो नया एमेंडमेंट लगाया गया है, इस अमेंडमेंट के जरिये बी० एल० डब्लू० और पंचायत समिति के खुद का अपाईन्टेड जो स्टाफ है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से, जो खुद को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मानते (मा० राजस्व मन्त्री के बातचीत करने पर) माननीय मन्त्री महोदय सुनेंगे हम जो कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : वह सुन रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : What did I say ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I was hearing

श्री पी० के० चौधरी : What did you hear ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I was hearing you alright.

श्री पी० के० चौधरी : Hon'ble Minister was not listening.

श्री उपाध्यक्ष : Please Proceed with the relevant speech.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister should listen properly.

श्री दामोदरलाल व्यास : I was listening,

श्री उपाध्यक्ष : Please of proceed on

श्री पी० के० चौधरी : उनको अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि पंचायत समिति का जो स्टाफ है, जिला परिषद् का जो स्टाफ है उसको ओवर-राइडिंग दी जिला परिषद्, ओवरराइडिंग दी पंचायत समिति उसको आप पॉवर्स देंगे, उसको ऑथोरिटी देंगे। जो इस एक्ट के मातहत कहीं भी नहीं आये हैं। एक्ट अन्दर कही भी नहीं आये हैं, ऐसे पॉवर्स देंगे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद् का उनके स्टाफ पर क्या कन्ट्रोल होगा। आपने एक तो एग्जीक्यूटिव पर अच्छा कन्ट्रोल रखा है। उसके बाद दूसरा अमेंडमेंट लाये हैं उसके बाद में आप विलेज लेवल के अधिकारियों को कहेंगे कि फलां काम करो। पंचायत समिति कहेगी कि वितरण करो और गवर्नमेन्ट का ऑर्डर जायगा कि तुम टिड्डी मारने का काम करो या खड्डे खोदने, कम्पोस्ट के लिये जाओ; तो मैं कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। आप पोपुलर सपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसके लिये आप ढ़ोल पीटते हैं, लेकिन जिस स्टॉफ पर पंचायत समिति कंट्रोल करती है उसको आप सीधा काम क्यों देना चाहते हो। सेक्शन ७२ के अण्डर में विकास अधिकारी को पॉवर डेलीगेट कर सकते हो, सेक्शन ४५ में सेक्रेटरी ऑफ दी जिला परिषद् को डेलिगेट कर सकते हो। जब विकास अधिकारी और सेक्रेटरी कंट्रोल में रहते हैं और पंचायत समिति का स्टाफ विकास अधिकारी के अंडर में रहता है और जिला परिषद् का स्टाफ जिला परिषद् सेक्रेटरी के कन्ट्रोल में रहता तो है आप डाइरेक्टली उनको क्यों पॉवर्स देना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि एफिशियेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चले या आप चाहते हे कि एडमिनिस्ट्रेशन का तमाशा करना चाहते हैं। क्या आप इस बात के लिये तैयार है कि विधान सभा से पटवारी को ओवर दि हैड ऑफ कलेक्टर पॉवर दिला दिये जाय? अगर बगैर कलेक्टर के पटवारी को कोई पॉवर्स डेलिगेट करेंगे तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पंचायत समिति का स्टाफ विकास अधिकारी के अंडर में और जिला परिषद् का स्टाफ से सेक्रेटेयरी, जिला परिषद के अन्दर में रहेगा और दूसरी तरफ चाहे उनके अंडर में भी है फिर भी आप अधिकार डेलिगेट करेंगे। फिर तो ऐसा होगा कि ट्रेफिक को कन्ट्रोल करने वाला पुलिस का सिपाही हाथ ऊंचा कर देता है तो चाहे गवर्नर की गाड़ी हो या मिनिस्टर की गाडी हो, हाथ ऊंचा करते ही रुक जाती है और ट्रेफिक कंट्रोलर के इशारे को वायलेट करे तो मजिस्ट्रेट क्या करता है? वह पहली दफा में १० रु० का फाइन करता है? इसमें आनाकानी करते हैं तो २५ रु० का फाइन करते हैं और उस पर भी आनाकानी करते हैं तो ५० रु० कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि Traffic Constable is Government. Without any enquiry, the penalty is imposed. मैंने बम्बई में और दिल्ली में सब जगह देखा कि। Traffic Constable सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मैं बताना चाहता हूं। कि जो इन्कारी करता है उसके प्रति फाइन का अकाउन्ट बढता जाता है तो जैसे ट्रेफिक कंट्रोलर गवर्नर और मन्त्रीजी की कार को रोक देता है तो जो बी० एल० डब्ल्यू. और क्लर्क्स वगैरा है उनको ओवर दि हैड ऑफ सेक्रेटरी एण्ड विकास अधिकारी, डयूल कन्ट्रोल गवर्नमेंट क्रियेट

(श्री पी० के० चौधरी)
करेगी तो उससे पंचायत समिति का स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगा क्योंकि कोई पंचायत अधिकारी काम करने को तैयार नहीं होगा। गड़बड़ी को रोकने के लिये आप पॉवर देते हैं, कन्ट्रोल करने के लिए आप पॉवर देते हैं तो मेरी समझ नहीं आता कि विकास अधिकारी का कंट्रोल पंचायत समिति पर, जिला परिषद् के सेक्रेटरीका वहां के स्टाफ पर कंट्रोल है तो ओवर दि हैड ऑफ दीज ऑफिसर्स आप उनको पॉवर क्यों डेलिगेट करना चाहते हैं। आपको पॉवर डेलिगेट करनी है तो मौजूद है इसमें सेक्शन ४५, उसके अंडर में सेक्रेटरी को पॉवर डेलिगेट करिये। आपको कोई काम कराना है तो सेक्रेटरी या विकास अधिकारी हैं वे अपने स्टाफ के जरिये जो काम कराना चाहते हैं वह काम विकास अधिकारी को दीजिए ताकि वे मेन्टेन कर सकें डिकोरम को। या तो इस बात पर आइए कि प्राइवेट मेम्बर्स डे को हम प्रस्ताव लायेंगे विधान सभा में ओवर दि हैड ऑफ कलेक्टर पटवारी को पॉवर्स देंगे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप ड्यूल कंट्रोल के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो इस पोजिशन को पंचायत समिति के लिए क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हैं? अगर आप पंचायत समितियों का विकास करना चाहते हैं तो उनके सामने तरह तरह के हरडल्स नहीं डालने चाहिये...

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आपके दिमाग में आने की बात है।

श्री पी० के० चौधरी : दिमाग में आपके नहीं आता है वर्ना आप इसको विड्रॉ कर लेते It is against the accepted Principle o efficient administration. इससे एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता। आपको पॉवर देनी है जो पंचायत समितीज को दीजिए They will execute them through their own staff. आप क्यों इनके नौकरों को कंट्रोल करना चाहते हैं? इसलिए मैं जोरदार शब्दों में मंत्री जी के अमेन्डमेंट का विरोध करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यदि अमेन्डमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता तो माननीय सदस्य को शायद जोरदार विरोध करने का मौका नहीं मिलता। उसका मतलब यह नहीं है कि हर एक अधिकारी या जिला परिषद् के सेक्रेटरी को कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी दी जाय।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा विरोध नौकरों को अधिकार देने के लिए है। विकास अधिकारी या जिला परिषद् के सेक्रेटरी को अधिकार देने के बारे में नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आज हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन करने जा रहे हैं। जहां कंपलीट ब्लॉक्स हैं उनमें और जहां शेडो ब्लॉक्स हैं उनमें भी डीसेन्ट्रेलाइजेशन हो रहा है। सेडो ब्लॉक्स में अलग विकास अधिकारी मुकर्रर करने में फाइनेन्शियल लाइबिलिटी बहुत अधिक हो जायेगी। आज बहुत सी जगह तहसीलदार कम बी० डी० ओ० हैं और बहुत सी जगह एस० डी० ओ० कम बी० डी० ओ० है। अब हम उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। लेकिन शेडो ब्लॉक्स में मुश्किल होगा। इसलिए यह कभी इन्टेन्शन नहीं था कि उनको गवर्नमेंट ड्यूटी दी जायगी। मैंने पहले भी कहा था, कुछ माननीय सदस्य जहाँ गवर्नमेन्ट का नाम और उसको पॉवर देने की बात देखते हैं तो वे जानते हैं या

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उनका खुदा जानता है कि उनमें क्या क्या एप्रिहेन्शन्स हो जाते हैं। अब हम कह दें Then the position will be that even in shadow blocks we will have to keep an independant Vikas Adhikari and all the staff and that cannot be useful और अब जब तक पूरा कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोग्राम एक्सटेन्ड नहीं किया जाता तब तक के लिए यह काम में आयेगा। यह नहीं रखते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कम विकास अधिकारी रखे हैं वे तभी काम कर सकेंगे वर्ना यह कह सकते हैं कि you cannot ask them to discharge other duties. यह ठीक है कि इलेक्शन वर्क के लिए कोई भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट काम करता है और सेन्सस के लिए भी उसकी ड्यूटी है कि वह काम करे....

श्री पी० के० चौधरी : That you can do under People's Representation Act.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि उसके लिए अधिकार है, पूरा सुनते तो कहने की जरूरत नहीं होती। तो शेडो ब्लॉक्स के लिए प्रोविजन नहीं रखेंगे तो वही मिसाल होगी कि आमद से खर्चा ज्यादा होगा और तनख्वाह का खर्चा भी ज्यादा हो जायगा। इसलिए यह एप्रिहेन्शन करना कि पंचायत समिति ओवर हैड जाकर फंक्शन दे रहे हैं That is not correct. सी० डी० ब्लॉक्स तक नहीं जायेंगे। गवर्नमेन्ट एडिशनल फंक्शन एलॉट करेगी तो देख कर करेगी। उनके पास फुल टाईम वर्क नहीं है और उनसे कोई काम लिया जा रहा है तो इसमें ऐतराज की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ७२ में श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७२, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

क्लॉज ७२, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

क्लॉज ७३।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७३ स्वीकार किया गया।

क्लॉज ७३-ए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास ।

डॉ० बहादुरसिंह : औरों के भी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरों के अमेन्डमेन्ट मूव हो जाय ।

डॉ० बहादुरसिंह: मेरा भी है छोटा सा

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Paras Ram.

श्रीपरसराम (आसीन): उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज ७३ ए, पार्ट बी में मेरा अमेन्डमेन्ट है, उसे मैं मूव करता हूं After item (viii), a new item be added, as under:—

"(ix) Patwaris".

उपाध्यक्ष महोदय, विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप सेवाओं का विकेन्द्रीकरण किया गया है, इस क्लॉज के अन्तर्गत कुछ सेवाओं कुछ सर्विस के सर्वेन्ट्स पंचायत समिति के अन्तर्गत दिये हैं। उसमें विलेज लेवल वर्कर हैं, ग्राम सेवक हैं...

श्री श्रीभानसिंह : आइटम कौनसा एड करना चाहते हैं ?

श्री परसराम : जी ?

श्री श्रीभानसिंह : Which item you want to be deleted in this Clause.

श्री परसराम : पटवारी ।

श्री श्रीभानसिंह : नम्बर ।

श्री परसराम : ६ ।

श्री श्रीभानसिंह : I thing it is no, 7. I don't know which no. 8th.

श्री परसराम : वह ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, यह सेविन्थ नम्बर होना चाहिए वह है आठवां, प्रिन्ट में ऐसा है, इसलिए ६ दिया है। यह प्रिन्ट की गल्ती है, उसमें खास बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, विकेन्द्रीकरण की जहां तक सरकार की जो भावना है, उसमें हम डाउट नहीं कर सकते। मैं मानता कि इस बिल के पास होने के बाद हम महसूस करेंगे और सदन महसूस करेगा कि राजस्थान सरकार ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है और उसके लिए बधाई की पात्र है। जहां तक विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है, इसमें सोशल सर्विस का जरूर विकेन्द्रीकरण किया है। लेकिन प्रशासन का विकेन्द्रीकरण नहीं है। प्रशासन का प्रतिनिधि हर जिले में कलेक्टर होता है और उसकी जो प्रशासनिक स्थिति है वह यथावत् कायम है, उसकी स्थिति कायम रहे, उसमें भी मुझे एतराज नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति के अन्तर्गत स्कूल मास्टर को रखा गया है, ग्राम सेवक को रखा गया है और स्टॉकमैन को रखा गया है, उसी विलेज के स्तर पर एक दूसरा गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं, जो पटवारी है, वह पंचायत समिति के अन्तर्गत नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आज गांव में रात दिन लैंड रिकार्ड के मामलों को लेकर, गिरदावरी के मामलों को लेकर, गोचर के मामलों को लेकर, कल्चरेबल जमीन को लेकर जो टंटे

(श्री परसराम)

खड़े होते हैं, उसमें खास पटवारी का हाथ रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता-पूर्वक राजस्व मंत्री से अर्ज करूंगा कि राजस्थान में जितना इस क्लास ने, जिसको पटवारी कहते हैं, किसानों के हकों पर कुठाराघात किया है, इसकी वजह से हजारों किसानों को अपने जायज हकों से वंचित रहना पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, उस क्लास के व्यक्ति को पंचायत समिति के अन्तर्गत देना चाहिए क्योंकि एक तरफ जहां तक गिरदावरी का सवाल है, गवर्नमेंट का स्पेसिफिक ऑर्डर है कि पंचायत के सरपंच पटवारी के साथ गिरदावरी करवायेंगे। इस प्रकार उसको सरपंच के साथ जोड़ते हैं लेकिन उसको प्रशासनिक रूप में पंचायत समिति से अलग रखा है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, यह डिसेन्ट्रलाइजेशन की पूरी स्कीम के साथ मेल खाने वाली बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह बैठने वाले, जो उसी स्तर के दूसरे सर्वेन्ट्स हैं वे दूसरे अधिकारों में दूसरी तरह के काम करते हैं, परन्तु जहां तक प्रशासन का सवाल है, राजस्व मंत्री सदन के बाहर पधार गये हैं, इन्होंने पटवारी से लेकर रेवेन्यू सेक्रेटरी तक को डिसेन्ट्रलाइजेशन से बाहर रखा है बहुत होशियारी के साथ और मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति पाइलट करता तो पटवारी का सवाल है, गिरदावरी और लैंड रिकॉर्ड का सवाल है, यह क्लॉज ७४-ए, पार्ट सी में इन सर्विस के साथ में और इन केटेगरी के साथ में, सबोर्डिनेट सर्विस की तरह पंचायत समिति के अन्तर्गत होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन है कि...

श्री श्रीभानसिंह : आपका संशोधन यह होगा कि दूसरे मंत्री पाइलट करते तो ये पंचायत समिति के नीचे होते।

श्री परसराम : यह नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : This is an aspersion on the Hon'ble Revenue Minister's good sense that because his a Revenue Minister he does not want to put Patwaries to be under Panchayats.

श्री परसराम : I don't mean that. पाइलट करने वाले मंत्री महोदय राजस्व मंत्री हैं और राजस्व कर्मचारी आपके नीचे के अधिकारी हैं, इसलिए निवेदन किया। मेरा संशोधन यह है कि सबोर्डिनेट सर्विस में वेक्सीनेटर के साथ पटवारी को भी पंचायत समिति के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी. मेरा इसमें संशोधन है : Add the following new item at the end : '(ix) village Ayurvedic Dispensary Vaidyas' बात यह है कि प्रत्येक पंचायत के क्षेत्र के अन्दर स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए जैसे स्वास्थ्य मंत्रीजी को सारे राजस्थान की चिन्ता है स्वास्थ्य के बारे में, यह आवश्यक हो कि उस पंचायत क्षेत्र में वहां की पंचायत आयुर्वेदिक

(डॉ० बहादुरसिंह)

डिस्पेन्सरी रन करे और उसके जो वैद्य हों, उन पर नियंत्रण पंचायत समिति का हो समिति उनकी देख रेख कर सके। इस दृष्टिकोण से जो सबोडनेट सर्विसेज है उसमें विलेज लेवल की बात है, उसमें सी क्लास की डिस्पेन्सरी आयेगी, मैं समझता हूं कि उसमें वैद्य हों, वे पंचायत समितियों के अन्तर्गत हों, उनको सबोर्डिनेट सर्विस में लेना चाहिए। बात यह है कि उस क्षेत्र के, उस जिले के वैद्य होंगे, वे उस जिले में रह सकेंगे, उससे सुविधा हो जायगी, इसके साथ ही साथ जहां तक तनख्वाह की बात है, फाईनेन्स डिपार्टमेंट उनको अधिक वेतन न देना चाहे, तो वेतन स्तर की दृष्टि से और दूसरे उस जिले में सेवा अच्छी तरह कर सकें, पंचायत समिति के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें आनी चाहिए। इसलिए मैंने संशोधन रखा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहां मौजूद हैं, वे एग्री हो जायेंगे कि पंचायत लेवल की डिस्पेन्सरी हो और उसके अन्दर में जो वैद्य हों वे सबोर्डिनेट सर्विस में आ जायं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I have an amendment to the amendment of Dr. Bahadur Singh that along with the aidyas of village Ayurvedic Dispensary, Hakims of the Unani Davakhana should be added.

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस क्लॉज पर संशोधन है कि आइटम नं ८ के बाद दो आइटम जोड़ दिये जायं, एक 'पटवारीज' और दूसरे 'फूड इन्सपेक्टर्स'। पटवारी की और फूड इन्सपेक्टर्स की पंचायत की सबोर्डिनेट सर्विस में इन्कलूड करना चाहिये.......

श्री उपाध्यक्ष: पटवारीज के सम्बन्ध में अमेन्डमेंट आ चुका।

(८.१० म. प.)

श्री तेजाराम गहलोत: मैं पटवारीज और फूड इन्सपेक्टर्स को इसमें एड कराना चाहता हूं। पटवारी को इसलिए एड कराना चाहता हूं कि यह रेवेन्यू के मामलों में गांवों के स्तर पर सरकारी एजेन्सी है। लैंड रिकार्ड रखने के लिये गिरदावरी दर्ज करने लिए के वहां पटवारी हैं जबकि

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

इसमें यह उद्देश्य रखते हैं कि गांव की खाद्य स्थिति सुधारी जाय, पैदावार बढ़ाई जाय। ऐसी सूरत में पंचायत समिति को यह जानना चाहिए कि हमारे इलाके में इस वर्ष कितनी पैदावार हुई, कौन सी पैदावार हुई है, कौन सी पैदावार बढ़ानी है या कौन सी पैदावार नहीं बढ़ानी है। इन सब बातों का पता लैंड रिकॉर्ड से चल सकता है और पंचायत समिति को वक्त वक्त पर पटवारी से काम पड़ता रहेगा। जब तक पटवारी पंचायत समिति के अन्दर में नहीं रहेगा उस वक्त तक तहसीलदार की तरफ इन आंकड़ों को मांगने के लिए देखना पड़ेगा।

नतीजा यह होगा कि पंचायतें अपनी प्रोग्रेस को वाच नहीं कर सकेंगी। अलावा इसके आज भी कई काम ऐसे हैं जैसे गिरदावरी, कोटेशन का काम पंचायतों को नहीं दे रहे हैं, तो कुछ काम पंचायतों के लिए हैं, इसके लिए पटवारी डिस्ट्रिक्ट के जुरिस्डिक्शन में रहेगा तो पटवारी, ग्राम लेवल का नौकर

(श्री तेजाराम गहलोत)

है वह पंचायत के अन्दर में आ जायेंगे तो जितने ऑफीसर हैं वे पंचायतों के कोऑर्डिनेटिंग ऑफीसर हो जायेंगे। जब वेक्सिनेटर को पंचायत के अन्दर में रखा गया है तो फूड इन्सपेक्टर को भी पंचायत समिति के अन्दर में रखना चाहिए।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय परसरामजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। राजस्व मंत्रीजी साहब इसका जवाब दे सकते हैं कि पटवारी की ड्यूटीज इस बिल में कहीं पर भी पंचायत समति के सुपुर्द नहीं की गई है। इसलिए पटवारी को पंचायत समिति का सर्वेन्ट रखना उचित नहीं होगा, तो इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि पटवारी का पंचायत समितियों के अधिकार में रखना बहुत आवश्यक है। सरपंच, उप-सरपंच का कन्ट्रोल इन पर होना जरूरी है। पंचायतों को कई पॉवर्स दिये हैं, सुपरवाइजिंग पॉवर्स ग्राम पंचायतों के सुपुर्द किये हैं। इसके साथ साथ टेक्सेशन के क्लॉज २७ में यह रखा है कि लैंड रेवेन्यू पर टैक्स इम्पोज कर सकती हैं तो ऐसी सूरत में सारा रेकॉर्ड तो पटवारी के पास रहेगा और पटवारियों को इनके अन्दर में, इनके अधिकार में नहीं रखेंगे तो वे कैसे टैक्स लेवी कर सकेंगे। यह टेक्नीकल डिफिकल्टी भी टैक्स लेवी करते समय रहेगी यदि पटवारियों को पंचायत समिति के अन्दर में नहीं दिया गया। इसके साथ ही साथ पटवारियों और पुलिस से जितने किसान परेशान हैं उतने दूसरों से किसी से नहीं हैं। लाखों रुपया सरकार गांवों में खर्च कर रही है पर पटवारी की गलती से सरकार की तरफ से गांवों में खर्च किया हुआ रुपया नहीं के बराबर हो जाता है। पटवारी चाहता है तो दो पार्टियों को आपस में लड़ा देता है, इस तरह की परेशानियों से किसान परेशान हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इन जनता के प्रतिनिधियों के नीचे इन पटवारियों को रखेंगे तो विलेज लेवल पर विलेजेज में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वे दूर हो जायेंगी। पटवारियों व पुलिस वालों के कारण आज गांव का किसान परेशान है, उसपरेशानी को मिटाने का एक ही उपाय है कि पटवारी विलेज पंचायत की सर्विस में रखे जाय –और मैं निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय। माननीय राजस्व मंत्री कह सकते हैं कि विकास के कार्यों के लिए पंचायत समितियों को बनाया है। पर मैं निवेदन करूंगा कि जब तक पटवारी पंचायतों के अन्दर में नहीं होंगे तब तक विकास के कामों में किसान साहसपूर्वक आपको सहयोग नहीं दे सकेंगे। यह आपके सोचने की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे भी इस क्लॉज में ३ अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से सीरियल नं० २०२ पर जो है, वह इस प्रकार है :

Substitute '73 C' for '73B'.

That is only a printing mistake Sir.

दूसरा अमेंडमेंट सीरियल नं० २३८ पर है और वह अमेंडमेंट इस तरह से है :

(1) In sub-clause (I)—

(a) for "subordinate" substitute "and Zila Parishad"

Page No.91

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(b) add at the end the words "and recruitment to the service shall be made districtwise."

(2) In sub-clause (8), omit "by conducting examinations according to the prescribed Syllabi or otherwise".

तीसरा सीरियल नं० २४४ पर है :

In sub-clause (9) (i) for part (b), substitute the following:—

(b) in the case of other transfers, by the selection Commission constituted under sub-section (6)"

इसमें से ओरिजिनल क्लॉज बी है उसमें से महज "प्रोमोशन्श" को निकाला है।

नं० २ for the last line, substitute the following:—

"The Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be under whose administrative control they are proposed to be transferred.

इस क्लॉज की लास्ट लाइन है :

'if necessary, any other Panchayat Samiti or Zila Parishad.'

इन अमेंडमेंट्स के बाद माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट्स पेश किये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। खास तौर से पटवारी को इसमें शामिल करने के लिए और मैं जो जवाब देता वह भी उन्होंने पहले ही समझ लिया कि पटवारी की सर्विस को पंचायत समिति में ट्रान्सफर करना चाहते हैं पर इस बिल में कहीं पर भी एक भी शब्द नहीं है कि पटवारी ये ड्यूटीज परफोर्म करेगा। वहां इसमें यह इतना सा रख देना कतई उचित नहीं होगा, इसके कोई माने नहीं होंगे। पटवारी से शिकायत, नाराजगी हो सकती है पर इसका यह इलाज नहीं कि जिस डिपार्टमेंट से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, जिस डिपार्टमेंट का जुरिस्डिक्शन नहीं, उसमें उसे ट्रान्सफर कर दिया जाय। यह इसका कोई इलाज नहीं। यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते थे तो उन्हें इस कानून में अमेंडमेंट्स पेश करने चाहिये थे। इसलिये यह उपयुक्त नहीं है कि उसका वहाँ ट्रान्सफर कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य ने वैद्यों के बारे में कहा है कि ग्रामों के वैद्य हैं उनका यहां पंचायत समितियों में ट्रान्सफर कर दिया जाय। जो दलील पटवारी के लिए दी है वही इसके लिए लागू होती है।

एक माननीय सदस्य ने फूड इन्स्पेक्टर के लिए सुझाव पेश किया है कि पंचायतों के अन्डर में रहना चाहिये। इसका भी वैद्यों की तरह पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक है...

डॉ० बहादुरसिंह : पटवारियों के साथ वैद्यों का कैसे आता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Only the power of inspection has been given. इसको पढ़ लीजिये, मैं अर्ज करता हूँ कि वही दलील इस पर लागू होती है। पंचायत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समितियों के फंक्शन्स को देख लीजिये कि मेडिकल एण्ड हैल्थ में कितना डीसेंट्रेलाइजेशन होता।

मैं नहीं समझ पाता कि फूड इन्सपेक्टर को क्यों इसके नीचे रखनाचाहते हैं? स्टेट लेवल पर फूड इन्स्पेक्टर का काम है, जहां तक हैल्थ के फूड इन्सपेक्टर का सवाल है, इनके पॉवर्स अलग हैं, इनको पंचायत समिति में ट्रान्सफर करने का सवाल नहीं आता। प्रोक्योरमेंट और पर्चेजेज के लिए फूड इन्सपेक्टर हैं उनको तो इनके नीचे रखने का सवाल ही ही पैदा नहीं होता क्योंकि....

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know whether this maintenance of health services including epedemic...

श्री दामोदरलाल व्यास : Vaccinators are there.

श्री पी० के० चौधरी : what does it mean ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हूं तो हैल्थ सर्विस का मतलब वेक्सीनेटर ही आता है।

श्री पी० के० चौधरी : वैद्य तो ले सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : These are two different services in Rajasthan and I think the Hon'ble Member fully knows them. इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने अपने अमेन्डमेन्ट पेश किए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन वापिस लेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री तेजाराम (गहलोत) : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं। वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तेजाराम ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तेजाराम (गहलोत) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री परसराम : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री परसराम ने रखा है, वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No.93

श्री परसराम : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है, स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७३-ए संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७३-ए, संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

क्लॉज ७३–बी । श्री दामोदरलाल व्यास ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मेरे इसमें दो अमेन्डमेंट हैं । एक तो सीरियल नम्बर २३६ पर है–

Add the following proviso to sub-clause (1) :

"Provided that if any such person deemed to be appointed to the service under clause (a) of sub-section (5) of Section 25 is not entitled to the benefit of a pension under the Rajasthan Service Rules, but has, since before the date of the constitution of the Panchayat Samiti under which he holds his appointment, being a regular subscriber to a contributory provident fund in lieu of the benefit of pension, he shall not be entitled to a pension and continue to subscribe to that contributory fund in accordance with the rules applicable thereto and the contribution of a PanchayatSamiti or Zila Parishad on that account shall be determined by rules".

यह मेरे खयाल से काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है । जो लोग ऐसी सर्विसेज में हैं और पेन्शन के हकदार नहीं है और प्रोविडेन्ट फन्ड कोन्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए रूल्स बना दिये जावेंगे ।

दूसरा अमेन्डमेंट सीरियल नम्बर २४५ पर है । सब-क्लॉज (२) में है :

In subclause (2), substitute "contributory" for "non-contributory".

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने क्लॉज ७३-बी में रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७३-बी संशोधित रूप से स्वीकार की जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७३-बी, संशोधित रूप से, स्वीकार की गई ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

The words "Collector of the District" be substituted by the words "District Level Officer of the concerned Department."

इसमें पहले आपने लिखा है कि एक सदस्य होगा जो परमानेन्ट होगा और (बी) में आपने रखा है प्रमुख और कलेक्टर ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट एज मेम्बर्स। मैंने इस एमेन्डमेंट के द्वारा इस क्लॉज में जहां कलेक्टर प्रधान के बाद में है उसकी जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर ऑफ दी कनसर्न्ड डिपार्टमेंट को रखा जावे आपने इसमें कमेटी के दो फन्क्शन्स रखे हैं, एक ते टेम्परी अपोइन्टमेंट और दूसरा एडवाइज पंचायत समिति और जिला परिषद् on all disciplinary matters affecting their officers and employees. इसमें आवेंगे। मैं यह समझता हूं कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट के हैड होते हैं वे लोग अपने सबोर्डिनेट के बारे में एक्सपर्ट होते हैं। कलेक्टर को उसकी पूरी जानकारी नहीं हो सकती है । अगर कोई वेटरनरी का कम्पाउन्डर है और कमेटी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती है या उसको किसी तरह से पनिशमेंट देना चाहती है या उसको ट्रान्सफर करना चाहती है तो इसके लिए कलेक्टर की जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर ऑफ दी कनसर्न्ड डिपार्टमेंट रखा जावे । इससे फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कलेक्टर के १०८ नाम बताये हैं, उनमें से एक कम हो जावेगा और १०७ ही रह जावेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है उसमें यह ध्यान नहीं रखा गया है कि कलेक्टर के क्या फंक्शन्स होंगे। हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाना चाहते है तो हमें ऐसा मान कर चलना चाहिये, ऐसा एस्योर करना चाहिये कि वह ऐसे लोगों की होगी जो काफी सीनियर हों और सिनयोरिटी का भी ध्यान रखना होता है। इसमें हमने पर्मानेंट जिला परिषद् के प्रमुख और कलेक्टर को इसमें रखा है। मेरे ख्याल से इसको रिटेन करना चाहिये ? मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हू ।

श्री शिवनाथसिंह : I may be permitted to withdraw my amendment

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शिवनाथसिंह ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शिवनाथसिंह : I withdraw.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७३-सी स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७३-सी स्वीकार की गई।

क्लॉज ७३-डी । श्री दामोदरलाल व्यास

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : इस पर मेरे दो संशोधन सीरियल नं० २०३ और २४६ पर हैं। सीरियल नं० २०३ पर जो एमेन्डमेंट है वह इस प्रकार है:

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(1) In sub-clause (3) omit the proviso and add, after 'Panchayat Samiti', the words 'or by the Zila Parishad according as such member holds his appointment under the Panchayat Samiti or the Zila Parishad.'

(2) In sub-clause (4) omit 'or a Zila Parishad.'

(3) For sub-clause (2) substitute the following :—

"(2) subject to such rules—

(a) all or any of the prescribed punishments may be inflicted on persons holding posts in class IV services :

(i) by the Vikas Adhikari of a Panchayat Samiti, if such persons are servants of that Panchayat Samiti, and

(ii) by the Secretary of a Zila Parishad, if they are servants of that Zila Parishad ; and

(b) the punishment of censure may be inflicted on persons holding appointments to posts encadered in his service constituted under section 73-A—

(i) by the Vikas Adhikari of a Panchayat Samiti if such persons hold their appointments under that Panchayat Samiti, and

(ii) by the Secretary of a Zila Parishad, if they hold their appointments under that Zila Parishad.'

(4) For sub-clause (5) substitute the following :—

(5) from an order passed under sub-section (2) as appeal shall lie—

(i) to the Panchayat Samiti, if such order has been passed by its Vikas Adhikari, and

(ii) to the Zila Parishad, if it has been passed by its Secretary,

and shall be heard by the Standing Committee of the Panchayat Samiti constituted for the subject of administration or, as the case may be, by a sub-committee of the Zila Parishad.'

श्री पी० के० चौधरी : Where is this amendment Sir ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You see amendment No. 203.

श्री पी० के० चौधरी : I must take it. you were giving pararogation...

श्री दामोदरलाल व्यास : Well you may think whatever you like.

इसके बाद मेरा एमेन्डमेंट है सिरियल नं० २४६ पर

That amendment is just like this Sir. For sub-clause (6) substitute the following :

Page No.96

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(a) from an order passed under sub-section (3) to the District Establishment Committee formed under section 73 C, and

(b) from an order passed under sub-section (4), to the State Government, and shall be disposed of in the prescribed manner" मेरा ख्याल है कि पनिशमेंट का प्रोविजन है। कौन सजा दे सकते हैं। I think this is properly worded. मैं समझता हूँ कि इसको स्वीकार किया जाए

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७३ डी में जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७३ डी संशोधित रूप में स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७३ डी संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

क्लॉज ७४। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : सभापति महोदय, इसमें किसी डिस्पयूट को निपटाने के लिये प्रावधान रखा गया है कि वह स्टेट गवर्नमेंट को रेफर किया जाए। इसमें मेरा संशोधन यह है कि जो तीसरी लाइन है उसमें in the third line after the words "and a Municipal Board," add the words "or between a Panchayat Samiti and a Zila Parishad"

(2) After the words "between two Panchayat Samitis" the words "in different districts be added. क्योंकि अभी तक जो प्रावधान है उसमें जिला परिषद् और पंचायत समितियों में डिस्प्यूट हो उसका तसफिया कहां हो उसका प्रावधान नहीं है। दो डिस्ट्रिक्ट में हो तो इसके लिये प्रावधान नहीं है। इन दोनों को एड किया है। और तीसरा यह है कि New sub-clause (3) be added as follows. All disputes arising between the Panchayat Samitis in the same district shall be referred to the Zila Parishad" सम डिस्प्यूट हो तो उनको जिला परिषद् को रेफर हो। इसलिये यह मेरा तीसरा संशोधन है। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जो इस बिल को पाइलोट कर रहे हैं। इसको स्वीकार करेंगे। इसमें कोई डिस्प्यूटेड पोइन्ट नहीं है। पंचायत समिति और जिला परिषद् के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रेफर करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ७४ के सब-क्लॉज (१) को पढ़कर बताऊं तो मालूम होगा कि यह जो एप्रिहेन्शन माननीय सदस्य का है वह पैदा ही नहीं होता है। 'If any dispute arises between two Panchayat Samitis or between a Panchayat Samiti and a Municipal Board or between two Zila

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Parishads or a Zila Parishad and a Municipal Board, it shall be referred to the State Government इसमें कहीं नहीं है कि एक पंचायत समिति और दूसरी पंचायत समिति में डिस्प्यूट हुआ तो गवर्नमेन्ट को रेफर किया जावेगा। If there is any dispute between the Zila Parishad and a Municipality, whatever there is a dispute that shall be referred to the State Government, and therefore there is no apprehension that there is no provision which applies......

इसकी आवश्यकता नहीं है जो माननीय सदस्य अमेन्डमेन्ट पेश कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा। जिला परिषद् को उसके लिए अधिकार दे दें यह उचित नहीं है। म्युनिसिपैलिटी को पहले ही एक्सक्ल्यूड कर दिया गया। पंचायत समिति के डिस्प्यूट के लिए जिला परिषद् को अधिकार दिये जांय यह वाजिब नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह : एक जिला परिषद् और पंचायत समिति में डिस्प्यूट हो तो क्या होगा? कहां इस बिल में प्रोविजन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी आवश्यकता क्या है।

श्री शिवनाथसिंह : एक जिले की जिला परिषद् हो सकती है और दूसरे जिले की पंचायत समिति हो सकती है उनमें आपस में डिस्प्यूट हो तो?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इन्स्टान्स दीजिये कि इस प्रकार का डिस्प्यूट हो जायगा I can say that a dispute between a Panchayat Samiti and a Zila Parishad is different because Zila Parishad has no jurisdiction whatever, no concern with the Panchayat Samiti constituted in another district.

श्री शिवनाथसिंह: I may be permitted to withdraw my amendment

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शिवनाथसिंह ने रखा है उनको वापिस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शिवनाथसिंह : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७४ जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

क्लॉज ७४ स्वीकार किया गया।

क्लॉज ७५।

इस पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७५ को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

क्लॉज ७५ को स्वीकार किया गया।

क्लॉज ७६

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें अमेन्डमेंट नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी: क्लॉज ७६ में।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७६ जैसा है वैसा स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ७६ स्वीकार किया गया।

क्लॉज ७७

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, क्लॉज ७७ में अमेन्डमेंट मूव करने से पहले मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेज करता हूं और वह यह है कि An amendment to a Bill shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question. An amendment shall be within the scope of the Bill. Clause 77 is an amendment moved by the Select Committee and I refer you to page 19 of the report of the Select Committee.

सिलेक्ट कमेटी ने उसमें कहा है :

"The Committee are of the opinion that for the first constitution of Panchayat Samiti and Zila Parishad the State Government should have the special power to alter and modify the Act when passed and to make other temporary provision so that the consititution thereof may not be delayed on account of some procedur obstacles.' इस रिकमन्डेशन पर इस बिल में अमेन्डमेंट किया गया और क्लॉज ७७ को उसमें एडमिट किया था। अब मैं रूल ७२ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

The following conditions shall govern the admissibility of amendments to claues or schedules of a Bill—

(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates.

Secondly it should not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question. स्कोप ऑफ दी बिल में यह बिल आ सकता है जिसका इम्पोजिशन का सवाल हो . Any amendment which says that it will apply, will not be an amendment to this Bill.

सेकिन्ड इश्यू है : It must not be inconsistent with the Previous decision of the House. हाऊस में डसीजन कब हुआ था कि इस जिले में जो प्रोविजन रखा गया है उसको एन्फोर्स न किया जाय ? हाऊस की यह मन्शा थी-The Bill must be passed but the cannot make provisions,......

सिलेक्ट कमेटी में इसलिए गया था कि इसमें मोडिफिकेशन कर सकते हैं । They cannot make a provision where a previous one becomes non applicable. मैं इसके लिए आपका रूलिंग चाहूँगा। यह कॉन्स्टिट्युशनल इश्यु है। whether the Select Committee was rightly empowered to move an amendement which nullifies this entire bill, and after that I will like to move my amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व मन्त्री) सभापति महोदय, कॉन्स्टिट्यूशनल पोइन्ट इसमें कोई है नहीं सीधी बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत समिति का है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी जाय subject to such modifications as may be specified in the......

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अजमेर पूर्व) The question is that the Bill proposes a scheme for the constitution of the Panchayat Samitis and the Zila Parishad. But whether the main Bill which was approved by the House did not contain such....

श्री पी० के० चौधरी : This is a constitutional issue Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : Nothing इसमें कोई नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : Select Committee has got every power, you say......

श्री दामोदरलाल व्यास : The Bill was submitted and presented to the House and the House referred it to the select Committee. Therefore, you can say that the Select Committee had right to amend it and they have amended it.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Scope is applicable to the select Committee also.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is perfectly within the scope. Just understand why this amendment has been made.

सवाल यह है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् का २ अक्टूबर को करने जा रहे हैं । इस बिल के पास होने के बाद इसके रूल्स बना कर कोऑप्शन पंचायत समितियों का पहले करना होगा । तोर्सिफ इसमें पॉवर्स यह दी जायेगी यहां हम किसी प्रकार का आश्वासन देते हैं, यहां जितना प्रोसीजर हम एडोप्ट करना चाहते हैं करेंगे । इस शोर्ट टाइम के अन्दर कहीं से डिपार्चर करना पड़े इसलिये हमें अबेयेन्स में रखना पड़ेगा in order to constitute the first Panchayat Samiti. Therefore, only these powers are wanted. I will try my best to complete as many formalities as possible for the constitution of the Panchayat Samitis. But for example for cooption purposes we have provided two consecutive meetings and if we fail in one meeting then it will not possible for us to constitute the Panchayat Samiti on the scheduled dates, and therefore the Government should be given these powers and we will not have to call a second meeting. Otherwise I never mean that all these provisions of the Bill shall not be observed. This House can, therefore, delegate these powers under this Act.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Will the Hon'ble Minister assure us that after the powers have been exercised on the first constitution of the Panchayat Samitis and as soon as regular Panchayats come into being, you will not do it ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : It is not clear from the language of the section.

श्री सभापति : रूल ७२ है वह सिलेक्ट कमिटी के लिये लागू नहीं होता है, इसलिये जो आपत्ति रखी है उसको अस्वीकार करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Now your point of order has been ruled out and now you can speak on the merits of the clause.

श्री पी० के० चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें अमेन्डमेंट है–

Delete part (a) and add the following words at the end of part (b) "not inconsistent with the provision of this Act." इस क्लॉज में सभापति महोदय, यह प्रोविजन किया गया है –

"For the purpose of constituting first Panchayat Samitis and Zila Parishads under this Act, the State Government may by order published in the official Gazette–(a) direct that this Act shall have effect subject to such adaptations, alterations and modifications as may be specified in the order, and मेरा अमेन्डमेन्ट है पार्ट ए जो है उसको डिलीट कर दिया जाय। और पार्ट बी में एड कर दिया जाय : not inconsistent with the provisions of this Act.

८.४३ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए जैसा कि अपने रूल्स ७८ में सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिये प्रोविजन है, जो भी रूल्स में प्रोविजन है, They will be laid before the House before 15 days, and until they are laid before the House...... गजट में पब्लिश करने के पहले जितने भी सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन है उनको हाउस के सामने रखा जाय और उस पर हाउस की आपीनियन लेकर बाद में इसको एप्लाई किया जाय, इस दृष्टि से यह क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है।

दूसरी बात जो है वह यह कि हम जो पंचायत समितियां बनाने जा रहे हैं, जैसा कि इस बिल में प्रोवाइड किया गया, १६६१ तक कन्टीन्यू करेंगी। सन् ६१ तक कमेटीज कन्टीन्यू करेंगी without caring for the provisions of the Act...... गवर्नमेन्ट को इस प्रकार के आर्बीट्रेरी पॉवर्स दे दिये जाते हैं मन चाहे जिस कमेटी का फोर्मेशन कर सकते हैं, कमेटी का चुनाव कर सकते हैं और मन चाहे तरीके से एरिया डिफाइन कर सकते हैं। हमने जो बिल की पहली धारायें पास की हैं उन सबका महत्व, इस ७७वीं धारा के पास करने के बाद सब पर पानी फिर जाता है। आपने यह देखा है कि इसमें सारे पॉवर्स कन्ट्रोल किये गये हैं, इस बिल पर गरमागरम बहस होकर के, जबकि माननीय मंत्री महोदय को बहुत सारे अमेन्डमेन्ट मन्जूर करने पड़े सदन की सेन्स को देखते हुए, काफी अमेन्डमेन्ट्स उन्होंने अपनी तरफ से भी मूव किये हैं, इतनी परेशानी करने के बाद, समय बरबाद करने के बाद, रात रात बैठकर यहां हमने बिल की धाराओं पर विचार किया ..

श्री उपाध्यक्ष : सदन के समय का बड़ा सदुपयोग हुआ है।

Page No.101

श्री पी० के० चौधरी : सदुपयोग हुआ है यह तो मैं भी मानता हूं कि इस धारा ६६ (१) के अन्तर्गत जो पॉवर्स हैं उनका इम्प्लीमेन्टेशन होता है तो मैं समझूंगा यह समय बरबाद ही माना जायगा जो पॉवर्स हम दे रहे हैं माननीय मंत्री महोदय चाहे जो कुछ करते हैं। ये बड़े वाइड पॉवर्स हैं। The State Government may make such other temporary provisions as may be so specified, वे टेम्प्रेरी प्रोविजन्स कर सकते हैं मोस्टली इन कोंसीसटेन्ट But that must have been consistent with the provisions of this Act. उपाध्यक्ष महोदय, धारा ७५ देखिये। Power to remove difficulties—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government as occasion may require, may by order do anything which appears to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty.

यानि धारा ७५ के अन्तर्गत ये सारे के सारे पॉवर्स इनको दिये गये हैं। जो भी दिक्कत हो by executive orders they can remove it पंचायत समिति का बिल पेश किया है उसके अन्दर यह रखा गया है उसमें इन्डीविजुअल एरिया डिक्लेअर करेंगे, जहां य प्रोविजन दे देते हैं आपके ब्लॉक में एक नया कानून लागू होता है सवाई माधोपुर में दूसरा कानून लागू होता है और मालपुरा में तीसरा ही कानून लागू होगा। इससे डिस्क्रीमिनेशन बढ़ेगा। इसलिये डिस्क्रीशनरी पॉवर्स एक्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं देने चाहिये। My amendment along with Clause 75 will serve the sufficient implementation of this Act. इसलिये चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और इस अमेन्डमेन्ट को मन्जूर करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : on a point of order, Sir.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले पोइन्ट आफ ऑर्डर उठाया था उस पर रूलिंग हो चुकी है जिसको चेलेन्ज नहीं किया जा सकता। सलेक्ट कमेटी के लिये यह रूल एप्लाई नहीं किया जा रहा है कि ऐसा अमेन्डमेन्ट बिल में अन्कॉरपोरेट हो सकता है जो सारे बिल के इफेक्ट को नेगेटिव कर सके। अब तक जो हाउस ने क्लॉजेज पास की है उन सारे क्लॉजेज की जो मन्शा है उसमें इस प्रकार का प्रोविजन लाया जा सकता है क्या कि जो बिल की मन्शा को नेगेटिव कर दे। इसके मुताल्लिक माननीय मंत्री महोदय ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वह बड़ा कन्फ्यूज्ड है। इसलिये मेरा निवेदन है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कभी मतलब यह नहीं होता कि बिल के जो प्रोवीजन हैं उनको इनइफेक्टिव कर दिया जाय। रूल्स के अनुसार गवर्नमेन्ट बाई-लॉज बना सकती है और उसके अनुसार काम कर सकती है। इस क्लॉज को हम पास कर देते हैं तो उसके अनुसार सारे एक्ट को रद्द किया जा सकता है, यह डेलीगेटेड रूल्स की तहत में नहीं आता है। ओवरराइडिंग क्लॉज है। इस बिल की मन्शा को नेगेटिव करता है इसलिये इस अमेन्डमेन्ट को इस स्टेज पर स्वीकार न किया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : रूल १६८ में दे दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : What is the number of Rule ?

श्री पी० के० चौधरी : Rule 168 gives the scope...

श्री उपाध्यक्ष : I want to ascertain the number of the Rule ?

श्री पी०के० चौधरी : It is 168.

श्री दामोदरलाल व्यास : I will refer you to Section 301 of Municipalties Act. There also similar powers exist in that Act.

श्री श्रीभानसिंह : One wrong action cannot make another wrong correct.

श्री दामोदरलाल व्यास : Your point of order has already been ruled out.

श्री श्रीभानसिंह : My objection has not been ruled out. According to Rule 72, no amendment can be moved which is against the scope of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : But a ruling has been given so far as Rule 72 is concerned. The observation has been made that it is not applicable.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir. The observation was made in this way that it does not apply to subordinate legislation, delegated legislation. Then I pointed out Rule 168

श्री श्रीभानसिंह : He said that this is subordinate legislation. It is a substantive provision of the Bill which the Select Committee has sent.

श्री पी० के० चौधरी : The Chair's ruling was about delegation of powers.

श्री उपाध्यक्ष : The point of order is not well taken and we will proceed with the Bill.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपना अमेंडमेंट पेश किया है, ज्यादा अच्छा तो यह होता कि Omit this clause because...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : मैं बोलना चाहूँगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब दे रहा हूं। I have already started.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Panwar, Point of order was decided and then the Hon'ble Minister commenced replying the amendments.

श्री श्रीभानसिंह : माननीय मंत्री महोदय पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : This clause has to be opened, it seems.

श्री श्रीभानसिंह : बोलना है साहब इस पर तो अभी।

श्री उपाध्यक्ष : Well, I will allow. I don't want any unpleasantness on this.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The fact is we thought that...

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have allowed you to continue debate.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I am very grateful, Sir. श्रीमान्. इस क्लॉज के सम्बन्ध में जो भी वैधानिक आपत्तियां उठाई गई हैं उससे तो सम्बन्ध नहीं। पर मैं इसकी नीति के बारे में थोड़ा कहूँगा। आप पंचायतों का पूरा सिलसिला बना रहे हैं और इसको विकेन्द्रीकरण का एक तरीका मानते हैं। उस सारे तरीके का जुज उनके संगठन में है कि वह किस तरह से बनता है। वह उसका प्राण है। अगर आप उनको नोमिनेट करते हैं तो वे जनतान्त्रिक संस्थाएं नहीं रहती हैं और अगर आप चुने हुए, जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति वहां भेजते हैं तो वे जनतान्त्रिक संस्थाएं बनती हैं। तो उनका संगठन किस आधार पर बनता है यह तो है उनका प्राण। उस सिद्धान्त को ७७ वीं धारा में कहते हैं कि उनको गठन में अगर देरी की आशा है, और कुछ तकलीफें आती हैं तो कानून को बालाए ताक रखकर बना डालिये किसी भी तरह से, फिर चाहे उनका गठन जनतान्त्रिक रहे या नहीं रहे। तो यह एक मखौल है। आप की नीति की यह एक मखौल आप कर रहे हैं। इसको फिर चाहे आप महसूस करें या न करें। उसके प्राणों का ही आप हरण कर रहे हैं। दलीलें स्पष्ट हैं और अपनी जगह पर हैं। हटती नहीं हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होता है, शायद हम उसे नहीं महसूस करते हैं, एक संस्था अस्तित्व में आती है, उसके साथ कुछ शक्तियां आती हैं, उनका उपयोग करते हैं, जिस तरह का गठन होता है उसी प्रकार का आदर्श होता है और उसी तरह की शक्तियों का उपयोग करते हैं। एक बार अस्तित्व में वे संस्थाएं और शक्तियां आ जाती हैं और अगर वे जनतान्त्रिक नहीं हैं और फिर उन शक्तियों का उपयोग करते हैं तो गलत सिद्धान्त को हम परपीच्युएट करेंगे। एक जनतान्त्रिक तरीके से गठित की गई संस्था अपनी जनतान्त्रिक शक्ति को बल देती है, जनतान्त्रिक टेन्डेन्सी पैदा करती है। पर अप्रजातान्त्रिक तरीकों से अगर कोई संस्था शक्ति में आती है और उसे अगर शक्तियां मिलती हैं तो उनका उपयोग एसा होता है कि जो भविष्य में जनतान्त्रिक भावनाओं को पनपने से रोकती हैं।

अब मैं समझता हूं कि आप इस तरह से संस्थाएं बनाते हैं, अच्छे कानून के अन्तर्गत जनतान्त्रिक तरीकों से गठन करने के नियम को बलाए ताक रखकर, कानून को ओझल करके बनाते हैं और एक दो महीना भी काम करने के लिए बनाते हैं तो भावी जनतान्त्रिक प्रणाली पर उसका उल्टा असर पड़ने वाला है। यह निश्चित है इसे आप चाहे पहचानें या नहीं पहचानें।

पर आपने दो अक्टूबर की कसम खा रक्खी है। पर उससे भी हम सहानुभूति रख सकते हैं अगर आप कहें कि आप २ अक्टूबर की कसम निभाने मात्र के लिये इस शक्ति का उपयोग करेंगे और जैसे ही यह २ अक्टूबर निकली इस कानून के नियम के मुताबिक बनाने की सम्भावना हो गई तो जल्दी से जल्दी सम्भावना पैदा करके इस शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे। उनकी जगह दूसरी कमेटियां आवेंगी। अगर इस स्थिति को आप मान लेते हैं तो गाँधीजी के नाम पर मैं अपना विरोध वापिस ले सकता हूं।

Page No.104

(जवाब देने के लिए श्री नाथूराम मिर्धा के खड़े होने पर)

श्री पी० के० चौधरी : यह जनाब हर एक मन्त्री की जगह ले लेते हैं।

(हंसी)

Point of order, Sir. in the Lok Sabha also the Speaker of the Lok Sabha has given decision that the Minister who is not concerned with the department should not intervene in the question.

श्री उपाध्यक्ष : The position is not yet before me.

श्री पी के० चौधरी : He is neither in charge of the Bill. nor he was in the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, the position is not before me yet. Mr. Sribhan Singh, speak.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब के खड़े होने से परिस्थिति तो वह आ गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक गवर्नमेंट की इस मंशा को मानकर चल रहा था कि राजस्थान में एक डिसेन्ट्रेलाइजेशन वह ला रही है और वह आवेगा। मगर इस धाम से मेरे को डाउट हो गया और अगर मैं यह कहूँ कि जहां राजस्थान सरकार इण्डियन यूनियन में इस क्रेडिट को लेने में फर्स्ट रहेगी कि उन्होंने इस बिल को इम्प्लीमेंट किया वहां यह भी कहूँगा कि You will also be the first to take the discredit that the provisions of the Bill were not conducive to decentralisation क्योंकि आप एक तरफ क्रेडिट लेना चाहते हैं इस तरह का कानून सर्वप्रथम लाने का, वहाँ दूसरी तरफ इस तरह के प्रोविजन रखते हैं कि इसको चेन्ज कर दें। आखिर जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा कि एक डिसेन्ट्रेलाइजेशन को हमें दो तीन आस्पेक्ट में देखना होगा और वह जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि कम्पोजीशन का पावर, फंक्शन का पावर जनता के हाथ में और उनको हर तरह का डिसीजन मेकिंग पावर है और उनके किस तरह के पर्सनल आते हैं उन सब आस्पेक्ट्स को देखते हैं तो हमें सन्तोष होता है पर २ अक्टूबर को इम्प्लीमेंट करना है उसको लेकर आप उनके सारे फंक्शन को चेन्ज कर दें। कोई कोऑप्शन इलेक्शन न करावें, जैसी एडहॉक कमेटीज आज हैं उनको वैसा ही आप रख सकते हैं। तो आखिर में जहां तक मैं समझता हूं कि जो अगर इस लेजिस्लेशन का मकसद यह है कि विजडम कन्सेन्ट्रेटड है मेन कैबिनेट में रद्द कर सकते हैं. तो एग्जीक्यूटिव को इतना पॉवर देने की उसे एप्रोप्रियेट करने की कोई ऐसी इन्स्टान्स नहीं हो सकती कि एक लेजिस्लेशन का पॉवर एक तरफ आप देते हैं और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव को आप इतना पॉवर दे देते हैं कि वह लेजिस्लेचर पॉवर से भी सुपर पॉवर बना सकते हैं। फिर यह पॉवर डेलीगेट कर दें कि हमने दस पन्द्रह रोज की बैठक में आकर पास कर दिया। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डर से रद्द कर दिया। तो न यह लेजिस्लेटिव विजडम के लिए अच्छा है न कैबिनेट जो प्रणाली, जो परम्परा डालना चाहती है उसके लिये अच्छी बात है। आप इस तरह से हैस्ट

(श्री श्रीमानसिंह)

करना चाहते हैं सेकन्ड अक्टोबर के लिए...
I would request the Hon'ble. Revenue Minister to be a bit silent in his consultations.

I am sorry Sir, I cannot speak in such a House.

श्री नाथूराम मिर्धा : You may not speak then.

श्री श्रीभानसिंह : I have stopped.

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't understand why he is so sensitive.

श्री श्रीभानसिंह : I will make you understand, because your voice was so loud that I was disturbed-

श्री उपाध्यक्ष : Order, order. Yes. you will continue.

श्री श्रीभानसिंह : Since the evening, both the Ministers have been speaking. If they have no respect for the debate here, they should say so.

श्री उपाध्यक्ष : You will continue your debate Mr. Sribhan Singh.

श्री श्रीभानसिंह : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिस बिल को हमने पास करने में १०-१५ रोज लिए, आज उस बिल के अन्दर ऐसा क्लॉज़ रखें जिसके मुताबिक सारे बिल की जितनी इन्टेन्शन हैं जिस प्रिन्सिपल्ज को हाउस ने इन्कॉर्पोरेट किया आप उस प्रिन्सिपल को सेट असाइड करने की पॉवर्स गवर्नमेंट को हो जायें तो मैं नहीं समझता कि यह किस वजह से चाहते हैं। माननीय सदस्यों ने जैसा कहा अगर इस क्लॉज़ के बारे में कि इसको बाद में लिया जाये। २ अक्टूबर को बाई एनी मीन्स हमको लागू करना है और २ अक्टूबर का इसलिए लागू करना है कि क्योंकि उसके बाद में ७७ क्लॉज़ का हम उपयोग नहीं करेंगे तो यह समझने लायक बात हो सकती थी। लेकिन २ अक्टूबर के बाद में कोई भी इन्स्टीट्यूशन और वह इन्स्टीट्यूशन कि जो डीसेन्ट्रेलाजेशन की घातक इन्स्टीट्यूशन है, जिसको वेस्टेड इन्टरेस्ट कहा जाये, उसी डीसेन्ट्रेलाइजेशन में इन्स्टीट्यूशन को आप कन्टीन्यू करेंगे। २ अक्टूबर के बाद में आप कन्टीन्यू करेंगे। इन पॉवर्स को हम अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज में लाना चाहते हैं अगर पॉवर्स बहुत जरूरी हैं और आप समझते हैं कि हमें डीसेन्ट्रेलाइजेशन का और पंचायत समिति का और प्राईम मिनिस्टर का केरीकेचर रखना है तो २ अक्टूबर के बाद में तो इन पॉवर्स को यूटीलाइज मत करिये। इसका तो हाउस को एश्योरेन्स दीजिए कि इस बिल की जो इन्टेन्शन है और जिसके ऊपर डिस्कशन किया है उसको २ अक्टूबर के बाद में फ्लाउट नहीं करेंगे। २ अक्टूबर नहीं है it is for all time to come यह ऐसी पॉवर्स दे रहे हैं जिसके समर्थन में नहीं बोल सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज ७७ है मैं इसका विरोध करता हूं और ऐसा महसूस करता हूं कि यह जो धारा इसमें रखी गई है इस धारा के साथ में इस प्रकार की व्यवस्था रहती कि परिस्थितियों के अन्दर ऐसी परिस्थिति पैदा

(श्री मुरलीधर व्यास)

हो जाये तो इस समय तो सरकार परिवर्तन रखना भी चाहे तो रखे तो मैं समझ लेता कि चलो ठीक बात है। ऐसा भी देखा गया है कि पंचायतों के चुनाव तीन साल तक होते हैं। तो आपको यह अधिकार होगा कि पंचायतों के अन्दर कोई मॉडरेशन करना है या सुधार करना है तो सारे कानून को ताक में रख कर जिसको सबने मिलकर मेहनत से बनाया, और जिसके पीछे जनतांत्रिक आधार है, और जिसका मूल आधार ही हम जनतन्त्र समझते हैं और जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण इसका एक प्रत्यक्ष रूप से नाम भी है चाहे इसको माने या नहीं मानें, इस चीज को बिलकुल ताक में रख कर कि हम इस प्रकार के अधिकार को लेते हैं कि हमने इतने दिनों से इतना दिमाग लगाकर सदन के सामने अपना विचार रखा है अपने मनमाने तरीके से कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार अपने पास में रखते हैं और वह भी थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि ३ साल के लिए। इसके बाद में २ अक्टूबर जो शायद महात्मा गांधी का जन्म दिन है और यहां पण्डित जवाहर-लालजी आकर विकेन्द्रीकरण का उद्घाटन करेंगे और उस उद्घाटन के अंदर न जाने क्या खर्च होगा, कितना खर्च होगा वह महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर सब कुछ हो जायेगा...

श्री उपाध्यक्ष: We are not concerned with the expenditure and what is to come ?

श्री मुरलीधर व्यास: मैं इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि इस प्रकार का अधिकार आप इस तरीके से रखते हैं तो यह ठीक नहीं है। यह जनतांत्रिक परम्परा के विपरीत है और इस २ अक्टूबर को पण्डितजी के नाम पर न जाने क्या क्या कर लेंगे। इसमें आगे जाकर कई प्रकार के ऐसे मौके आ सकते हैं ३ साल में कि किसी पंचायत समिति का निर्माण हो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करना है। अगर समझ जाइये कि आपके पक्ष में लोग पूरा नहीं पहुंचते और कुछ परिवर्तन आप उसमें करना चाहते हैं तो आप एक गांव को इधर उधर कर सकते हैं, नाना प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। मैं मान भी लूं कि ठीक बात है आप इसके अन्दर बिलकुल ईमानदारी के साथ में अपने कर्त्तव्यों को निभायेंगे। परन्तु मैं इसको मानता इस लिए नहीं हूं कि मेरा दिमाग स्पष्ट है कि जैसी आपकी परम्परा रही है, अपने मनमाने तरीकों से जब भी अधिकारों से फायदा उठाने का मौका मिला है, आप अपने न्याय को ताक में रख दिया और कानून से फायदा उठाने का मौका मिला तो आपने उठाया है। मैंने कई उदाहरण भीलवाड़ा के बारेमें..!

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, let us come to the question itself.

श्री मुरलीधर व्यास : यह उसी पर आधारित है।

श्री उपाध्यक्ष : No, instances will not do. Let us be very particular and relevant to the amendment itself.

श्री मुरलीधर व्यास : तो इस प्रकार का फायदा आपने हर मौके पर उठाया है और इसका फायदा आप उठाते रहे हैं। तो आप हमारी बात पर पूरा विश्वास रखो हम कोई

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस प्रकार की बात नहीं करेंगे तो यह विश्वास करने की बात नहीं है । कानून की बात है और कानून में दिलाई रखना ठीक नहीं है । इसलिए जैसा कि माननीय सदस्य ने एक बात रखी, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो ठीक है इस इस बात का आश्वाशन दे दीजिए कि २ अक्टूबर क्योंकि महात्मा गांधी का जन्मदिन है और पण्डितजी आ रहे हैं और थोड़े समय में काम पूरा नहीं कर सकेंगे परंतु इस बात के पीछे आप इतने लम्बे अधिकार ले लें यह ठीक नहीं है । मैं तो यह मानता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है । पंचायतें २ अक्टूबर के पहले यहां राजस्थान में बना दी जायें इसमें गड़बड़ी होगी तो सुधार करने का अधिकार आपको है ! परन्तु इस अधिकार को आप अपने पास क्यों रखते हैं । वैसे ही आप चाहें तो आगे जाकर अमेन्डमेंट रख सकते हैं । सरकार को सारे अधिकार हैं वह हर प्रकार से कोई भी परिवर्तन सदन के बीच में रखकर इस प्रकार के परिवर्तन कर सकती है लेकिन सारी राजस्थान सरकार एकमात्र इस प्रकार का अधिकार लेलेना चाहे और उन संस्थाओं के लिए लेना चाहे कि जो जनतांत्रिक संस्थायें हैं और जिनके पीछे हम परम्परा रखना चाहते हैं, वहां एकतांत्रिक अधिकार ले लेना ही जनतंत्र की हत्या होगी । इसलिए जैसा कि अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने सुझाव रखा है कि एक समय निश्चित कर लिया जाये। आप कहेंगे कि हम समय निश्चित नहीं कर सकते परंतु यह दलील नहीं है । कानून को इस प्रकार से अपंग रखना और लंगड़ा करना और उसका उपयोग मनमाने तरीके से करते रहना ठीक नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : You are using the expressions of Hon'ble Member from Ajmer.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय बिलकुल दृढ़ता के साथ इसका आश्वासन देंगे कि ठीक बात है। २ अक्टूबर के बाद में कुछ ४ महीने के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे कि जो हमारे अधिकार हैं वे ६ महीने के बाद नहीं रहेंगे । इतना कर देंगे तो मैं समझता हूं कि हर माननीय सदस्य को इसका मौका मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष, जिस क्लोज पर इस सदन में विचार हो रहा है उसके सम्बन्ध में दो शब्द मुझे कहने हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : दो शब्द छोड़कर बीस शब्द कहें लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ रहें ।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा लगता है कि सरकार कहने के लिए, प्रचार के लिए नारा दूसरे तरीके से लगाती है और काम कुछ इस तरीके से किये जा रहे हैं कि जो कि मैं समझता हूँ प्रजातन्त्र लिए और जनतांत्रिक प्रणाली के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो सकता है । इसी बिल को देख लें । इस बिल के अन्दर आपने कोऑप्शन का पहले एक क्लोज रखा कि उसका कोऑप्शन करेंगे ।

श्री उपाध्यक्षः I will request you to please confine yourself to the particular amendment, or otherwise there will be no end to the debate.

श्री गिरधारीलाल : मैं अभी खत्म कर देता हूं।

मैं कह रहा था कि इसी बिल के अन्दर कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं जिनसे सरकार ने इस प्रकार उसमें अमेंडमेंट किया है, इस प्रकार के प्रावधान रखे हैं जिससे वक्त बेवक्त के लिए सरकार ने अपने हाथ में इतने पॉवर्स रख लिए हैं जिससे मैं समझता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली में कोई भी प्रजातान्त्रिक सरकार को इस तरह के पॉवर्स अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसी क्लॉज में २ अक्टूबर को पंचायत समिति का निर्माण नहीं हो तो सरकार पंचायत समिति के मेम्बर को नोमीनेट कर देगी। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि २ अक्टूबर को नहीं होता है तो कोई बात नही है। दो महीने का चार महीने का टाइम दिया जाय। टाइम दिया है उसमें पूरे नहीं होते हैं तो और टाइम दें, और टाइम देने के बाद में एक स्थिति ऐसी आयेगी कि सरकार को सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि सरकार नोमीनेट करे। जनता खुद समझती है, पंचायत समिति खुद समझती है, जिला परिषद् खुद समझती है। वे अपने फायदे की समझते हैं, क्योंकि जनता स्वायत्त शासन संस्थाओं को समझती है। पंच और सरपंच मिल कर बैठ कर अपना फैसला करेंगे। आप आखिर इस प्रकार के पॉवर्स क्यों लेना चाहते हैं ? आखिर यह प्रजातान्त्रिक युग है। इस तरह की देश के अन्दर पद्धति है। कुछ पंचायतें विरोधी पार्टी के हाथ में चली जाती हैं तो समझते हैं कि इन लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर सरासर निष्पक्ष तौर से फैसला भी करती है तो आपके परोक्ष में कुछ ऐसे आदमी हैं जो इस प्रकार के गलत फैसले भी करवा देते हैं। आपके दिमाग में ऐसी चीज़ भर देते हैं कि जो आगे जाकर घातक सिद्ध हो सकती है। विरोधी पार्टी के हाथ में सत्ता जाती है तो आपके अन्दर रहने वाले लोग आपके कानों के अन्दर बात भरकर इस प्रकार की कार्यवाही आप से करवा सकते हैं जो हमारे लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और कुछ नहीं कह कर नम्र निवेदन करूंगा कि इस तरह से एडजस्ट करें कि सरकार के हाथ में पॉवर्स नहीं रहें, जिससे कि आगे जाकर प्रजातन्त्र की हत्या हो।

श्री उपाध्यक्ष : मिनिस्टर इन्चार्ज।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : I wanted to speak, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Now he has to reply, Mr. Daga.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यही अर्ज थी कि यह प्रोविजन पंचायत के फर्स्ट कान्स्टीट्यूशन के लिए रखा गया है। माननीय सदस्यों को यह भ्रान्ति है कि हमेशा के लिए प्रजातन्त्र में यह पॉवर्स एक्सरसाइज करते रहेंगे। यही आपका ऑब्जेक्शन क्लॉज ७७ पर है। उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट मैंने कर दिया है।

Insert "by the 2nd day of October, 1959" after the words "this Act". The clause will then read :

"For the purpose of constituting first Panchayat Samitis and Zila Parishads under this Act, upto 2nd day of

(श्री दामोदरलाल व्यास)

October, 1959, the State Government may by order published in the official Gazette"

(हेयर, हेयर)

दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रोविजन की, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि आवश्यकता क्यों हुई ? उसमें प्रोवाइड किया गया है कि एक कृषि निपुण मेम्बर होगा। जब तक कि कृषि निपुण डिक्लेअर नहीं होगा यह कठिनाई आ सकती है कि Panchayat Samiti is not properly constituted. क्योंकि कृषि निपुण को जिला परिषद् नियुक्त करेगी। It might take six to eight months. Then he will be declared a Krishi Nipun, but there is a provision that he will be a member of it दूसरी बात यह प्रोवाइड कर दी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कि १६५१ के सेन्सस लेंगे। इसके अलावा हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई सेन्सस नहीं है। गवर्नमेंट को उसको करवाना पड़ेगा या तो १६५५ में जी. ए. डी. ने अलग से करवाया है उस पर रिलाई करना पड़ेगा।

तो इसमें ७ दिन के नोटिस का प्रोविजन है कि ७ दिन का नोटिस होना चाहिए। हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और टाइम कम हो तो भी नोटिस दिया जा सकता है. ऐसी कितनी ही डिफिकल्टीज पैदा हो जाती हैं, इसलिए उनमें थोड़ा से रिलेक्सेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट का यह इन्टेंशन नहीं है कि सारे प्रोविजन्स को नलिफाइड करने के लिए वह प्रोविजन रखा गया है। इसलिए यह जो कहा गया है कि विजडम का ठेका केवल हमीं को है। हम नहीं चाहते हैं कि विजडम का ठेका हमारे पास ही रहे। माननीय सदस्य भी काफी अक्लमन्द हैं। मैं समझता हूं कि वे अक्लमन्द है, मगर यह कहना कि ६ मंत्रियों ने ही विजडम का ठेका लिया है यह ठीक बात नहीं है। एक बात समझने के साथ कि किस वजह से प्रोविजन रखा है, उन चीजों के समझने के बजाय इस स्तर पर रखें कि ६ मन्त्रियों ने विजडम का ठेका लिया है, तो मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि हमने नहीं लिया है ठेका....

श्री श्रीभानसिंह : I take strong objection. The proceedings may be seen. I never said this.

श्री दामोदरलाल व्यास : You can say anything you like. इस तरह की बात बोलने के अन्दर संयम रखेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने यह कभी नहीं कहा है कि एक्जीक्यूटिव के ६ मिनिस्टर्स के अन्दर ही यह पॉवर डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। आप मेरी प्रोसीडिंग मंगाकर पढ़ सकते हैं I still maintain my ground.

श्री दामोदरलालव्यास: इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि किस वजह से क्लॉज ६७ के अन्दर यह रखा गया है। They are purely temporary and I think the controversy should cease when I say that the words "by the 2nd day of October 1959" may be inserted. I have already explained the reasons and

(श्री दामोदरलाल व्यास)

dificulties will be coming Where is the census of scheduled castes and scheduled tribes in 1959 ? Where is the Krishi Nipun...यह तमाम् डिफिकल्टीज होंगी उनको सोल्व करने के लिए फर्स्ट-कॉन्सीट्यूशन के लिए है। १६६१ में दूसरा सेन्सस हो जायगा और शेडूल्ड ट्राइब्स की सेन्सस अलग हो जायेगी।

मौजूदा स्थिति के अन्दर डिफिकल्टी आयेगी उसके लिए यह प्रोविजन रखा है। मैं समझता हूँ कि सेकण्ड अक्टूबर रखने के में वह डिफिकल्टी नहीं आयेगी।

श्री पी० के० चौधरी : २ अक्टूबर कहां पर इनसर्ट कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : After the words "under this Act" in clause 77.

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ७७ में श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७७ पर जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है जो कि इस प्रकार से है,

Insert "by the 2nd day of October, 1959" after "under this Act" in line 2 of clause 77, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७७ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७७ को संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

शिड्यूल

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मैं उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही कह चुका हूं, और अब समय काफी हो गया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण जो हम करने जा रहे हैं उसको मैंने बतलाया कि वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है। यह मैंने सारे बिल की सारी भावना को पढ़कर मतलब किया है। हमने इस बात का ढोल पीटा है। सवाल यह साफ है कि कामों का विकेन्द्रीकरण है थोड़ी सी बातें काम की मैं कहना चाहता हूं चाहे आप आज किसी तरह का मोह रखें, लेकिन मैं साफ बात कहना चाहता हूं कि यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है। इस तरह के वे पॉवर्स जो ग्राम स्तर तक के हैं उन अधिकारों को पंचायत समितियों तक नहीं दे देंगे। इसलिए मैंने अपने अमेंडमेंट्स रखे हैं। अभी इस बात पर बहस हुई थी कि पटवारखाने के निरीक्षण का अधिकार नहीं है। तो निरीक्षण के अधिकार के बारे में जो मैंने बातें रखी हैं वे आवश्यक

(श्री मूलचन्द डागा)

रूप में रखी हैं; लेकिन आज नहीं तो थोड़े टाइम बाद उनको निरीक्षण करने का अधिकार देना पड़ेगा ।

संशोधन इस प्रकार है:—

Add the following functions in the schedule:-

(17) Miscellaneous:-

17 (vi)

After 'veterinary Hospitals' and between 'and other institutions' add the following words:-

'Primary schools, Patwar-khanas, Police stations, offices of the Tehsils'.

Schedule

231. In the schedule, after item 17, the following new item be added:-

18. Preparation and maintenance of land records and realisation of land revenue.

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हिरात ।

श्री लक्ष्मण हिरात (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल की धारा १० में मेरा इस प्रकार का एक शब्द बढ़ाने का संशोधन है: 'मद्य-निषेध' के बाद और 'समाज सुधार' जोड़ने का मेरा संशोधन है ।संशोधन इस प्रकार है: In part (iii) of item 10 the words and social reforms be added after the word prohibition.

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हम आज समाजवादी समाज की व्यवस्था करने जा रहे हैं । ऐसी हालत में यदि सामाजिक सुधार के लिये कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं तो अच्छा नहीं होगा, जबकि हम एक विशेष प्रकार का कानून बनाने जा रहे हैं और उसके द्वारा पंचायतों के जरिये होने वाले कार्यों में समाज सुधार के लिये कोई खास व्यवस्था नहीं है । मैं समझता हूं विधान में ऐसी व्यवस्था है कि पिछड़े वर्ग या पिछड़े इलाकों के लिये विशेष व्यवस्था की जाय । लेकिन इसमें सामाजिक सुधार के लिये इस बात की कोई खास व्यवस्था नहीं है । मेरा यह छोटा सा संशोधन है, मैं समझता हूं राजस्व मंत्रीजी इसको मान लेंगे । मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि क्रिश्चियन्स की जहां स्कूल्स हैं और उनमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी अच्छी पढ़ाई होती है । इसी तरह से सामाजिक सुधार की व्यवस्था रखी जायगी तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या अच्छा होगा ?

श्री लक्ष्मण हिरात : सामाजिक सुधार के लिये बोल रहा हूं । वैसे भी समाज कल्याण डिपार्टमेंट इसके लिये बहुत काम करता है, लेकिन मेरा संशोधन सरल और सीधा है । यदि राजस्व मंत्री महोदय इसको मान लेते हैं तो ज्यादा कहने की बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री भीमसेन : माननीय उपाध्यक्ष .

श्री गिरधारीलाल : यदि बाद में विड्‌ ही करना है तो बोलने की जरूरत ही क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : यह परम्परा है। आप तो बहुत परम्परा के सम्बन्ध में कहते हैं।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : My amendment is : Add part (ix) as follows :—"(ix) Holding inquiry and reporting proper authority regarding misconduct of certain Revenue, Police or Forest officials such as Amin, Patwaris, Constables, Forest guards etc."

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि पटवारियों से किसानों को काफी परेशानी होती है। पटवारी के फंक्शन्स पंचायत समिति के सुपुर्द नहीं किये हैं, यह मानी हुई बात है। हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद राजस्व मंत्रीजी रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर पटवारियों से तो लें लेकिन पटवारियों को पंचायत समितियों के सुपुर्द कर दें। लेकिन मैं साथ ही साथ यह कहूँगा कि पुलिस कॉन्स्टेबल, पटवारी आदि छोटे छोटे आदमी जो विलेज स्तर के हैं वे यदि मिस-कंडक्ट करें तो पंचायतों को उनकी इन्क्वायरी करने और रिपोर्ट करने का पॉवर होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक अमेन्डमेंट माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण हिरात ने पेश किया है उसे मंजूर करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : आपका अमेन्डमेंट है उसे मूव कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry. इससे पहले मैं अपना अमेन्डमेंट मूव कर दूं :—

1. In sub-item (1) of item 8 (Co-operative), substitute "Co-operation" for "Co-operative authority." This is only improvement of language, Sir.

2. In item 8 (miscellaneous)—

(a) in sub-item (1) add towards the end the words "and formulation of village and Panchayat plans", (b) after sub-item (viii) insert the following :—"(ix) organisation and management of etc...' तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे अमेन्डमेंट का सवाल है वह तो क्योंकि बिल में आलरेडी प्रोविजन कर रहे हैं फेअर्स वगैरह के लिए इसलिए ओर्गेनाइजिंग फेअर्स this will be a part of the functions of Panchayat Samiti. इसको एड करना चाहता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : आपने अमेन्डमेंट मूव किया है शिड्यूल पर तो मुझे बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि लास्ट आवर में शिड्यूल आया है इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन इस बात का क्रेडिट जरूर दूंगा कि इतनी इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ शिड्यूल शायद ही कोई होगी जो हमने रखी है। लेकिन इम्प्रेसिव होने के साथ ही साथ इतनी इम्प्रेक्टिकेबल लिस्ट भी शायद ही होगी जो है लेकिन हमारे पास सिर्फ यह आर्ग्युमेंट

(श्री श्रीमानसिंह)

है कि हमने एन० ई० एस० ब्लॉक्स को फंक्शन्स दे रखे थे और अब एन० ई० एस० ब्लॉक्स रहेंगे नहीं तो ये फंक्शन्स किस को दें । मैंने कहा था कि हमारे यहां कमेटीज एपोइन्ट होती हैं वे रिपोर्ट देती हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वे शायद यह कभी नहीं देखते कि आखिर जिन इन्सटिट्यूशन्स को पॉवर्स देने जा रहे हैं वे इनको एग्जीक्यूट कर सकती हैं या नहीं । इनमें बहुत से ऐसे फंक्शन्स हैं जो गांवों में लागू ही नहीं होते । हमने कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के फंक्शन्स अमेरिका से ले लिये और हिन्दुस्तान में लागू कर दिये । उनके पीछे क्या सिद्धांत है किस स्टेज पर कंट्री ने प्रोग्रेस किया है, क्या इनसेन्टिव है, इनको नहीं देखते । आज तक मेरा क्रिटिसिज्म एन० ई० एस० के बारे में है वह यह है कि हमने जो फंक्शन्स एन० ई० एस० को दिये उन्होंने रूरल एरियाज की डिफिकल्टीज को सोल्व करने में मदद नहीं दी । मैं एक तरफ पॉवरटी को मानता हूं, दूसरी तरफ लैंडलेस लेबरर्स की प्रोबलम को मानता हूं और तीसरी तरफ निग्लेक्टेड मदरहुड को मानता हूं तथा चौथी तरफ निग्लेक्टेड चाइल्डहुड को मानता हूं और पांचवीं डिफिकल्टी हमारे रूरल एरिया में जो मैं मानता हूँ वह है लो ईल्ड या लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन । इस इम्प्रेसिव लिस्ट में मुझे कहीं नहीं दिखा कि जो पंचायत समितियां बनेंगी वे रूरल एरिया में लैंडलेस लेबरर्स के लिये क्या फंक्शन्स करेंगी, उनकी गरीबी को हटाने के लिए वे क्या करेंगे । आखिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है । बड़ी बड़ी लैंड पर इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेन्ट्स का प्रोविजन रहता है तो उससे बड़े बड़े लैंड होल्डर्स फायदा उठा सकते हैं । इम्प्रूव्ड सीड और इर्रिगेशन फेसिलिटीज देते हैं वे सब बिगर लैंडहोल्डर्स के पास जावेंगे ।

मगर हमारी एक इन्सटीट्यूशन भी है, उसके अन्दर स्माल होल्डिंग्स भी हैं, उसके अन्दर लैंडलैस लेबरर्स भी हैं, जिनके लिए कहा जाय कि वे वेज अर्नर्स हैं । उनके लिए रूरल रीकन्स्ट्रक्शन हो इन सारी इन्सटीट्यूशन के द्वारा । मैं मानकर चलता हूं कि जो फंक्शन्स हैं, उनके अन्दर चार लाख लैंडलैस लेबरर्स के लिए उनकी भलाई के लिए उनकी गरीबी को दूर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए, उनके लिए अनाज देने के लिए इन फंक्शन्स में कोई आइटम नहीं है । तो जब हम पंचायत समिति को ऐसे फंक्शन्स देते हैं जिससे रूरल एरिया में रीकन्स्ट्रक्शन होता है तो उसके अन्दर राजस्थान की चार लाख जनता के प्रति ड्यूटी हो, रेस्पान्सिबिलिटी हो, वह इन फंक्शन्स में नहीं है । मैं यह निवेदन करूं कि इसमें कई टेक्नीकल फंक्शन्स रख दिये हैं, जैसे फेमिली प्लानिंग का फंक्शन दिया है । मैं सोच नहीं सकता कि इसे पंचायत समिति कर सकेगी । जब फेमिली प्लानिंग के आइडिया को अर्बन एरिया के अन्दर आप लागू नहीं कर सके, लोगों को कन्विन्स नहीं कर सके, डाक्टर और एक्सपर्ट्स को कन्विन्स नहीं कर सके, उस फेमिली प्लानिंग को ग्राम पंचायत और पंचायत समिति प्रोपेगेट करे । यह ठीक है कि फेमिली प्लानिंग की नीड है । लेकिन इस ड्यूटी को पंचायत समिति नहीं कर सकती, हमारी ग्राम पंचायत नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक वहां कल्चरल डवलपमेंट नहीं हुआ है, वे फेमिली प्लानिंग को मोरली अगेन्स्ट समझते हैं, ट्रेडीशन्स के अगेन्स्ट समझते हैं, उन लोगों को

(श्री श्रीभानसिंह)

आप यह फंक्शन दे देते हैं कि फेमिली प्लानिंग का प्रोपेगन्डा कीजिये।

इसके बाद आपने एक फंक्शन दिया है फ्रूट एन्ड वेजीटेबल डेवलपमेंट का। मैं जानना चाहूँगा कि एन. ई. एस. ब्लॉक्स ने कितने फ्रूट एन्ड वेजीटेबल गार्डन्स बना दिये हैं, मैं समझता हूँ शायद एक आध ऐसा होगा वह भी ऐसा होगा जिसके पास काफी जमीन होगी और जिसने सीलिंग और आपके लैंड रिफार्म्स को डिफीट करने के लिए फ्रूट एन्ड वेजीटेबल गार्डन्स में जमीन को कनवर्ट किया होगा। हम स्माल होल्डिंग्स की बात को मानते हैं. राजस्थान में स्माल होल्डिंग्स हैं, किसी के पास पांच एकड़ है, किसी के पास ढाई एकड़ और किसी के पास ११ एकड़। इस फेक्ट को लेकर चलें तो एक आदमी के पास इतनी जमीन है तो कितनी जमीन में फ्रूट एण्ड वेजीटेबल गार्डन होना चाहिए। आखिर क्या आपके गांव इतने एडवान्स्ड हैं जिसमें पंच और सरपंच इस आइडिया को प्रोपेगेट करेंगे, इसको ऐसीमिलेट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, यह कितना प्रेक्टीकेबल फंक्शन हो सकता है, इसका कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है? इस तरह के आपने फंक्शन दिये हैं।

दूसरा एक सोशल एजूकेशन का फंक्शन दिया। यह कहा जा सकता है कि हम वीमेन अपलिफ्ट चाहते हैं, वीमेन अपलिफ्ट के लिए हम एडल्ट एजूकेशन, वीमेन क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। मगर इनीशियल स्टेज पर न चाइल्ड की केअर की है, न वीमेन की केअर की है। जो ट्रेडीशन्स विलेज में हैं, जो सोशियो-इकोनामिक ट्रेडीशन बढ़ाना चाहते हैं, वह है सोशल एजूकेशन के द्वारा। एडल्ट एजूकेशन गांव में एक्सीड नहीं हुई, वीमेन एजूकेशन गांव में एक्सीड नहीं हुई। उस एजूकेशन के फंक्शन को दे दें, पंचायत समिति को डिस्चार्ज करने के लिए, जहां प्राइमरी एजूकेशन नहीं है, जहां एजूकेशन की यूटीलिटी से ग्रामीण जनता कन्विन्स्ड नहीं है, उसको एडीशनल फंक्शन, वीमेन एजूकेशन और एडल्ट एजूकेशन का फंक्शन देना कहां तक प्रेक्टीकेबल है। आज सबसे बड़ा फंक्शन यह है कि प्राइमरी और बेसिक स्कूल रन करने के लिए बिल्डिंग हो। यह पंचायत समिति का फंक्शन है कि प्राइमरी स्कूल को बेसिक स्कूल में कनवर्ट करना है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि पंचायत समिति, तहसील पंचायत के पंच, सरपंच, ग्रामीण जनता जिसके वोट्स लिये जायं तो ज्ञात होता है कि वे बेसिक एजूकेशन को समझते नहीं है कि यह कौनसी चीज है, क्या चीज है। तो इस कारण जो कम से कम फंक्शन्स होने चाहिए, मेरा सजेशन था कि रूरल एरिया की प्रोबलम है उनको एनट्रस्ट कीजिये। इस इम्प्रेसिव लिस्ट की जरूरत नहीं हैं। और रूरल एरिया की सिम्पल प्रोबलम है, वह है, इन्करीज प्रॉडक्शन, जिससे आदमी भूखे न मरें, इसके साथ ही शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए, इसके मुताबिक काम एनट्रस्ट करने चाहिए। तो पहला फंक्शन है इन्करीज एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन। जो आइडिया श्री जयप्रकाश ने दिया था कि फूड प्रॉबलम साल्व करने के लिए ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियां का यह फंक्शन रहना चाहिए कि स्टोर बिल्ड अप करें, सार्वजनिक कॉन्ट्रीब्यूशन से स्टोर बिल्ड अप करें और आज जो आदमी भूखे रहते हैं, उनका उस स्टोर से पालन करें, जिसको जरूरत पड़ती है, उसको जरूरत के

(श्री श्रीभानसिंह)

मुताबिक खाना दें। उस फंक्शन को आपने इनकोरपोरेट नहीं किया। इसके साथ ही इम्प्रूव्ड सीड का फंक्शन करना है। इम्प्रूव्ड सीड हमें देना चाहिए जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर यह चाहते हैं कि एग्रीकल्चर स्कीम फेल्योर न रहे तो यह देखना पड़ेगा कि टाइम पर इम्प्रूव्ड सीड मिले। इसलिए गांव वालों को जो फंक्शन एन्ट्रस्ट किये हैं, उसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि गांव वालों को ऐसे फंक्शन न दे जो निभ न सके। मैं आपको निवेदन करूं कि ब्लॉक्स में आपने जो सीड भेजा, वह सीड टायम पर नहीं पहुंचा, एडिकेट सीड नहीं पहुँचा, रिक्वीजिट सीड ठीक क्वालिटी का नहीं पहुँचा, और जो डिमान्ड थी उतना सीड नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि जो फंक्शन्स हैं वे गवर्नमेंट की अफीसियेन्ट मशीनरी पर डिपेन्ड करते हैं क्योंकि विलेज पंचायत इम्प्रूव्ड सीड नहीं दे सकती, इम्प्रूव्ड मशीनरी नहीं दे सकती, टेकनीकल एडवाइज इस नहीं दे सकती, प्रचार नहीं कर सकती। ये चीजें निर्भर करती हैं गवर्नमेंट की मशीनरी पर। जितनी गवर्नमेंट मशीनरी की हैल्प मिलेगी, उतनी अफीसियेन्टली पंचायत समिति फंक्शन्स को एक्जीक्यूट करेंगी, उसका बेसिस है, अफीसियेन्ट एक्जीक्यूशन का, वह है गवर्नमेंट। तो इस दृष्टिकोण से देखें। तो ऐसे फंक्शन दिये जाने चाहिए थी जिनको खुद पंचायत समिति अपने फाइनेन्स के द्वारा एक्जीक्यूट कर सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बराबर घड़ी की तरफ देख रहे हैं।

(हँसी)

श्री उपाध्यक्ष : So good of you to have the indication.

श्री श्रीभानसिंह : I will take my teme in the 3rd reading. मेरा यह मतलब था कि इस तरह के फंक्शन रखते जिनको हमारी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत अफीसियेन्टली कर सकती और जो प्रेक्टीकेबल होते और कम से कम जो नेगलेक्टेड सेक्शन ऑफ विलेज है, उसको इस पंचायत समिति ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले रूरल रीकन्स्ट्रक्शन से फायदा पहुंचता और वह सेक्शन है, लैंडलैस लेबरर्स, आर्टिजन्स, ऑकूपेशनल क्लॉस, विमेन एन्ड चिल्डरन, ये चार पांच सेकशन्स नेगलेक्टेड हैं, इनके लिए फंक्शन्स एन्ट्रस्ट करते, बजाय इस इम्प्रेसिव लिस्ट के तो इनकी यूजफुलनेस रियलाइज करते बजाय इसके कि जो एन. ई. एस. के फंक्शन थे, उनको इन्हें देते।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर–सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ले लीजिये, लेकिन समय का ख्याल करके।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जो शिड्यूल बनाया गया है, उसको मैंने शुरू से आखिर तक देखा और देखने के पश्चात्....

श्री उपाध्यक्ष : देखने के पश्चात् बोल रहे हैं, इसमें क्या बात है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : उसको देखने के पश्चात् यह मालूम पड़ा कि महात्मा गांधी, भारत सरकार और राज्य सरकार

Page No.116

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

अस्पृश्यता को भारत का कलंक मानती है और जिसके बारे में गांधी जी ने बहुत कुछ लिखा है और जिसे हम सब मानते हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें और सब कुछ बातें तो है कि सामुदायिक विकास होगा, बीज वितरण होगा, ढोरों का सुधार होगा लेकिन जिस अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में आज सरकार लाखों रुपये खर्च करती है, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन पास किया गया है, उसके अन्तर्गत लिखा गया है कि भारत सरकार ने कानून पास किया है अस्पृश्यता निवारण का······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस शिड्यूल पर चलें। पुराने खण्डों पर चलें तो कल चल सकते हैं उन पर।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि उसके अन्दर छूट देदी गई है कि जो इस प्रकार का अपराध करे, राज्य सरकार उसको दूर कर सकेगी। लेकिन इस विधेयक में देखा तो कहीं इस प्रकार का प्रावधान नहीं है शिड्यूल में कि अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत या पंचायत समिति व जिला परिषद् कदम उठायेगी। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी कमी है·······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सतर्क नहीं रहे, नहीं तो आप अमेंडमेंट दे देते।

श्री पी. के. चौधरी : अभी अमेंडमेंट दे सकते है। The Hon'ble member could have moved the amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Order order.

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : राज्य सरकार हर साल लाखों रुपये खर्च करती हैं, उसका इसमें समावेश नहीं है तो नतीजा यह होगा कि २५ लाख हरिजनों की समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी और ग्राम पंचायतें महसूस करेंगी कि इसके लिए प्रावधान नहीं है, पंचायत समिति कहेगी······

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : शिडयूल के आइटम नं० १० के आइटम नं० २ को देख लीजिये उसमें अस्पृश्यता निवारण की बात आ जाती है। Strengthening of the social well fare organisation सोशल वेलफेअर में यह आस्पेक्ट आ जाता है अस्पृश्यता निवारण का।

श्री उपाध्यक्ष : स्पेसिफिकली नाम चाहते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अस्पृश्यता निवारण की बात अलग नहीं रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अमेंडमेंट्स का सवाल लें तो दो अमेंडमेंट्स पेश किये हैं उनके लिए तो शिडयूल के नं० १० में अमेंडमेंट है सोशियल रिफार्म के लिए है, मुझे इसको दर्ज करने में एतराज नहीं है, वह स्वीकार कर लिया जाय। इन नं० १० ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसके बाद जो अमेंडमेंट लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है कि रेवेन्यू अर पुलिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत हो तो उनके खिलाफ एन्क्वायरी करने का और एन्क्वायरी करके रिपोर्ट देने का अधिकार पंचायत समिति को होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि इस बिल में पुलिस और रेवेन्यू अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई फंक्शन्स पंचायत समिति को डेलीगेट नहीं किये गये हैं और न पंचायत समिति इनकी अपोइन्टिंग ऑथोरिटी है न सुपीरियर ओथोरिटी हैं और न इनके ये सबोर्डिनेट हैं तो फिर यह रखना कि एन्क्वायरी करे तो यह सिद्धान्त के खिलाफ है। They are governed by the Public servants Conduct Rules.

इसमें जिस तरह का प्रोविजन है, उस ओथेरिटी को जिसका कि सम्बन्ध नहीं है उस इस प्रकार के अधिकार नहीं दे सकते। इसलिए वह अमेंडमेंट मुझे स्वीकार नहीं है।

अभी बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इम्प्रेक्टिकेबल है और लैंडलेस टिनेन्ट्स को लेकर बहुत कोशिश की है कि इसको राहत देने का इसमें प्रावधान नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप अगर फंक्शन ऑफ पंचायत को देखेंगे जो नं० २ में है :

Formulation of plans for increased agricultural production for family village and block and their execution, and utilisation of resources in land and water, and extension of the improved techniques of farming based on latest research.

जहां नं० २ को देखेंगे, इसके साथ नं० ८ कोओप्रेशन का पढ़ेंगे तो :

Cooperation-Promotion of cooperative activity by helping in the establishment and strengthening of service cooperatives, industrial, irrigation, farming and other cooperative societies...

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी स्टेट की लैंड पोलिसी साफ है, जो लैंड हमारे पास है, जो लैंड हमें मिलने वाली है वह लैंडलेस टिनेन्ट्स को देंगे ....

श्री श्रीभानसिंह : इन तीन फंक्शन्स में तो लैंडलेस टिनेन्ट्स के लिए कुछ भी नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी दृष्टि से देखेंगे तो समझ में आयेगा। पंचायत समिति को सारे अधिकार लैंडलेस टिनेन्टस के सम्बन्ध में दिये हुए हैं।

श्री अनोपसिंह : दृष्टि एक नहीं हो सकती, माननीय सदस्य चश्मा नहीं पहनते, माननीय राजस्व मंत्री चश्मा पहनते हैं।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस चश्मे से मैं देखता हूं वे नहीं देख सकते, लैंडलेस टिनेन्ट्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, उनको लैंड अलॉट करना, प्रोडक्शन बढ़ाना ये सारे प्रोविजन शिड्यूल की क्लॉज़ ८ में हैं,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसके साथ जो गवर्नमेंट के बनाये हुए रूल्स हैं, उनको नहीं देखा है, लैंडलेस टिनेन्ट्स की सोसाइटी बना कर उन्हें लैंड का अलॉटमेंट होगा, पर आप उसको इस तरह से देखना नहीं चाहते, आप तो, रूल्स ऑफ अलॉटमेंट हैं, रेवेन्यू के रूल्स हैं और इस सम्बन्ध में जो दूसरे कानून हैं उनको नहीं देखना चाहते।

श्री श्रीभान सिंह : माननीय उपाध्यक्ष, वे इनके साथ तो नहीं हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : I will not like to be disturbed like this Sir. This is a bad practice.

श्री श्रीभानसिंह : I am addressing the Chair.

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't want to hear.

श्री उपाध्यक्ष : I would like that the Hon'ble Members will not disturb the debate.

श्री दामोदरलाल व्यास : तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इसमें लैंडलेस टिनेन्ट्स के लिए प्रावधान नहीं है यह कहना जानकारी की कमी है। लैंडलेस टिनेन्ट्स के लिये वहां तो पंचायत समिति का फंक्शन रख दिया है, यह किसके लिये है।

श्री श्रीभानसिंह : (अश्रव्य)

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह कहना कि चिल्डरन के लिये नहीं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी एज्यूकेशन है वैसे बेसिक एज्यूकेशन ग्राम वाले नहीं समझते, वह पोजिशन आज भी है, नहीं समझते तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स समझाते हैं। क्या आपका ख्याल है कि पंचायत समिति में बिल्कुल बगैर अक्ल वाले बैठेंगे, बगैर लिखे पढ़े लोग बैठेंगे, उनमें कोई पढ़ा-लिखा नहीं होगा......

श्री श्रीभानसिंह : आपका इन्टरप्रिटेशन हो सकता है, मेरा यह नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिलकुल यही कहा।

श्री श्रीभानसिंह : यह आपकी समझ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स और लाज हैं उनको साथ लेकर देखेंगे तो पंचायत समिति में काफी बड़ा स्कोप मिलेगा कि किस तरह से इनको रीहेबिलिटेट करना और बाई फोर्मिंग कोऑपरेटिव सोसायटीज लैंड अलॉट करना, कोटेज इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना यह सब कुछ इसमें है।

आप कहते हैं कि महिलाओं के लिये इसमें कोई प्रावधान नहीं है। महिलाओं के लिये फेमिली प्लानिंग है... ...

श्री श्रीभानसिंह : हेयर, हेयर।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी इजाजत से माननीय उपाध्यक्ष, निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने नुक्ताचीनी तो बहुत की पर अपनी तरफ से कोई सुझाव नहीं दिया है न अमेंडमेंट दिया है, इतना ही कह दिया कि लैंडलेस टिनेन्ट्स के लिये कोई

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रावधान नहीं है, कोटेज इन्डस्ट्रीज के लिये कोई प्रावधान नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : We are nearing 10 now. The Hon'ble Minister will be brief in his speech.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह का शिड्यूल है उसे उसी तरह पास किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : I withdraw my amendment.

श्री भीमसेन माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री भीमसेन को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसेन : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मण हिरात ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री लक्ष्मण हीरात द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि शिड्यूल संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

शिड्यूल संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह (मौन)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ प्रिएम्बल, शॉर्ट टाइटल इत्यादि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल, शॉर्ट टाइटिल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६, संशोधित रूप में, पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मोशन मूव्ड।

श्री श्रीभानसिंह : यह कल लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मोशन मूव किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य आरम्भ कर देते।

श्री श्रीभानसिंह : मैं आरम्भ कर दूं ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Murlidhar Vyas.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो पंचायत समिति और जिला परिषद् के सम्बन्ध में बिल हमारे सामने आया है, मैं समझता हूं कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है और.......

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A M.

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही ६.५१ पर दिनाक ३-६-५६ को ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

———

संक्षिप्त–विवरण

(बुधवार, २ सितम्बर, १९५९)

स्कम्भ स्कम्भ

(सदन की बैठक सायं ५-१७ पर प्रारम्भ हुई) ।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार जारी रहा ।

खण्ड ५६ व ५७:–बिना संशोधन के स्वीकार किये गए ।

खण्ड ५८:–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड ५९:–बिना संशोधन के स्वीकार किया गया

खण्ड ६० व ६१:–संशोधित रूप में स्वीकार किए गए ।

खण्ड ६२ से ७०:–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किए गए ।

खण्ड ७०-ए:–नया जोड़ा गया ।

खण्ड ७१:–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड ७१-ए:–नया जोड़ा गया ।

खण्ड ७२:–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड ७३:–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड ७३-ए व ७३-बी:–संशोधित रूप में स्वीकार किए गए ।

खण्ड ७३-सी:–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड ७३-डी:–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड ७४ से ७६:–बिना किसी संशोधन के स्वीकार किए गए ।

खण्ड ७७:–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

अनुसूची:–संशोधित रूपमें स्वीकार की गई ।

खण्ड १ आदि:—स्वीकार किए गए।

तदुपरान्त श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मंत्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को पारित किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास ने अपना भाषण प्रारम्भ किया ही था कि सदन की बैठक रात को ९ बजकर ५१ मिनट पर गुरुवार, दिनांक ३ सितम्बर, १९५९ को प्रात ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक ३ सितम्बर, ५९ की कार्य सूची

१. राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् विधेयक, ५९।

(वाद विवाद एवं पारण)

———

शुद्धि-पत्र

(गुरूवार, २ सितम्बर, ५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
३८८८	१२	सब-क्लज	सब-क्लॉज
३८६१	८	immadiate	immediate
३८६३	१२	अमोनिमस	एनोनिमस
३८६४	८	fiedls	fields
३८६४	१०	fnuctions	functions
३८६५	२१	panchaya	Panchayat
३८६८	अन्तिम से ३	teken	taken
३६००	१५	इन खड	इन खंड
३६०६	६	नॉनरूपरसोनीफाइड	नॉन-परसोनीफाइड
३६०६	अन्तिम से ६	सरकमस्टान्सेम	सरकमस्टान्सेज
३६०७	७	मशीनर	मशीनरी
३६०७	१०	यप	यह
३६०७	अन्तिम से २	सरा	सारा
३६०६	४	Br ach	Breach
३६१०	२	कुटेशन्स	कोटेशन्स
३६१५	६	कॉन्स्टिट्यूट बोडीज है	कॉन्स्टिट्यूटेड बोडीज
३६१६	१४	in the plece	in the place
३६२७	शीर्ष	१ सितम्बर, ५६	२ सितम्बर, ५६
३६३०	अन्तिम से ६	कॉन्फेन्स	कॉन्फ्रेन्स

१	२	३	४
३९३०	अन्तिम से २	माहाराज	महाराजा
३९३१	१७	obnoxus	obnoxious
३९३५	८	necessary suspend	necessary to suspend
३९४८	७	you rpermission	your permission
३९४८	अन्तिम से ७	Government has	Government, he has
३९५४	अन्तिम से १३	of any or the District	or any of the District
३९६०	,, ,, १०	एक्साइज	एक्सरसाइज
३९६७	अन्तिम से ३-२	डाइक्टली	डाइरेक्टली
३९६८	११	सेक्रेटेयरी	सेक्रेटरी
३९७०	२	cwu	own
,,	२२	सेडो	शेडो
३९७४	५	which no. 8th	which is no. 8th
३९७५	६	सबोडनेट	सबोर्डिनेट
३९७७	अन्तिम से ६	aidyas	vaidyas
३९८३	१९	what	What
३९८५	अन्तिम से ८	entuted	entitled
३९८६	५	contrIbution	contribut'on
३९९३	७	हुआ ती	हुआ तो
३९९५	८	कॉन्स्टियूशनल	कॉन्स्टिट्यूशनल पोइन्ट
३९९६	१५	डसीजन	डिसीजन

१	२	३	४
३९९६	१९	but the connot	but they cannot
,,	२१	कमेटो	कमेटी
३९९८	२	२ श्रोक्टूबर	२ अक्टूबर
४००१	अन्तिम से ११	amendnent	amendment
४०२३	२	विद्द	विद्रा
,,	४	श्रापा	श्राप
४०२८	अन्तिम से १०	चाहए	चाहिए
,,	,, ,, ९	इन्करीज	इन्क्रीज
४०२९	२२	इस नहीं दे सकती	नहीं दे सकती
४०३०	३	wiil	will
४०३०	४	teme	time
,,	१२	लैडलैस	लैंडलैस
४०३२	१६	well fare	welfare
४०३३	४	श्रर	श्रौर
४०३४	१	techniaues	techniques
४०३८	६	हिरात	हीरात